राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ | तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का द्वितीय दिवस | संख्या २

गुरुवार, दिनांक ११ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तरांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, आबकारी, सार्वजनिक निर्माण, नियुक्ति, विद्युत, सहकारिता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन, स्टेट रोडवेज, उद्योग व खनिज-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

हाई स्कूल, नदबई में साइन्स ब्लॉक

३३. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या यह सही है कि हाई स्कूल नदबई में सरकार द्वारा साइंस ब्लॉक बनाने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या इसके लिये कोई रकम स्वीकृत हुई है ?

(ब) क्या उक्त भवन-निर्माण का कार्य शुरू हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक शुरू होने की संभावना है ?

(स) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल का भवन-निर्माण करने के लिये स्थानीय जनता द्वारा १६,०००) रु० नकद एवं कुआं तथा जमीन दान दी गई है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (अ) जी हां। हाई स्कूल, नदबई में विज्ञान विषय खोलने की स्वीकृति सन् ६० में दी गई थी। इसके लिये सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ब) उक्त भवन-निर्माण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है क्योंकि फण्ड्स उपलब्ध नहीं हो सके।

(स) जनता द्वारा १६,०००) रुपये नकद नहीं दिया गया। केवल ९ बीघा जमीन व एक पक्का कुआं अवश्य स्कूल के लिये दान दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : यह साइन्स ब्लॉक बनना कब शुरू होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शुरू होने की संभावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

Page No.2

बिक्री कर की वसूली

३५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) न्यू भारत लाइम इण्डस्ट्रीज़, मावण्डा व अन्य लाइम वर्क्स मावण्डा (नीम का थाना, सीकर) का सेल्स टैक्स का असेसमेंट किन किन वर्षों का कितना कितना हुआ है ?

(२) क्या रकम वसूल हो गई है ? यदि हां, तो कितनी और कितनी बकाया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सन् ५७ से अब तक न्यू भारत लाइम इण्डस्ट्रीज़, मावण्डा का सेल्स टैक्स का असेसमेंट नहीं हुआ है ? अगर हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(४) उक्त इण्डस्ट्री का सेल्स टैक्स लाइसेन्स किसके नाम से है ?

आबकारी मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगले सप्ताह में दिया जाएगा ।

श्री रामकिशन : यह प्रश्न ६ महीनों से पेन्डिंग है । इसका महत्व करीब करीब सारा नष्ट हो गया है । दिनोदिन और कमजोर होता जा रहा है ।

प्रश्न संख्या ३६

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सहाय

छात्र-वृत्ति

३७. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :— क्या यह सही है कि हायर सैकण्ड्री स्कूल, गंगापुर, में शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती थी तथा वह इसी वर्ष बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां । गत वर्ष तक छात्रवृत्ति शिड्यूल्ड कास्ट विद्यार्थियों को दी जाती रही है । यह सही नहीं है कि इस वर्ष इनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है ।

श्री गोविन्दसहाय : इस वर्ष नहीं दी गई है । यह रिपोर्ट गलत है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत नहीं है, सही है । इसके लिए प्रार्थना-पत्र ३१ अक्टूबर तक मांगे हैं । उसके बाद उन पर निर्णय लिया जा सकेगा; यह कार्यवाही प्रारंभ है ।

श्री गोविन्दसहाय : जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र पेश किये उनको प्रार्थना-पत्र लौटा दिये और कहा गया कि हमारे पास कोई छात्रवृत्ति देने के लिये आदेश नहीं हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा यह छात्रवृत्ति वितरित की जाती रही है । अबकी बार धनराशि शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर के पास भेज दी गई है । अतः वही छात्रवृत्ति देने का अधिकारी है । संभवतः माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात कुछ अल्प मात्रा में आई हो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि हैड मास्टरों को डाइरेक्टर ने इस संबन्ध में आदेश नहीं दिया है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि वे छात्रों की एप्लीकेशन्स को फॉर्वर्ड कर दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस संबन्ध में हैडमास्टरों को आदेश दे दिये गये हैं और हैड मास्टरों को जानकारी है। फिर भी माननीय सदस्यों को शंका हो तो पुनः सर्क्यूलर जारी करके स्मृति करा दी जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आदेश दे दिये गये हैं या दे दिये जावेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हैड मास्टर सब सजग हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आपने ३१ अक्टूबर तक की अवधि बताई; क्या आपने हैडमास्टरों को इसकी सूचना दे दी ? (अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अपने उत्तर में बता दिया कि प्रार्थना-पत्र छात्रवृत्ति के लिये ३१ अक्टूबर तक मांगे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फॉर्म्स लोगों को उपलब्ध नहीं हुए हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे पास इसकी कोई शिकायत नहीं है। फिर भी कोई शंका रही हो तो दूर की जाएगी।

प्रश्न संख्या ३८

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई !

तहसील सांचोर की सड़कें

३९. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर):- क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में पी. डब्ल्यू. डी. की तीन ग्रेवल रोड्स–रानीवाड़ा - सांचोर, सांचोर - भवा-तड़ा व सांचोर-केरिया है ?

(२) उन सड़कों की विभाग द्वारा साल में कितनी बार मरम्मत करवाई जाती है ? पिछले तीन सालों में उन सड़कों की किस साल में कब कब मरम्मत करवाई गई ? अगर नहीं करवाई गई, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि इन सड़कों के महत्व को देखते हुए एनुअल रिपेअर्स में कम रकम सेंक्शन की जाती है और इससे साधारणतया इन सड़कों की हालत बहुत खराब रहती है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों होता है और क्या सरकार भविष्य में रिपे-अर के लिए अधिक रकम सेंक्शन करने का विचार रखती है ?

(४) सरकार रानीवाड़ा–सांचोर सड़क को पक्की बनाने का कार्य कब तक शुरू करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी-शंकर नन्दवाना): (१) सांचोर–भवातड़ा, सांचोर–केरिया रोड को छोड़ कर केवल रानीवाड़ा-सांचोर रोड इस विभाग की सूची पर है।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) रानीवाड़ा-सांचोर रोड की सालाना मरम्मत इस विभाग द्वारा की जाती है। ३ साल का ब्यौरा निम्नांकित है :—

वर्ष	रुपया
१९५९-६०	४२९५) रु०
१९६०-६१	४६२६) रु०
१९६१-६२	५८४२) रु०

(३) जी हां। इसीलिये चालू वर्ष में तीस हजार रुपया स्पेशल रिपेअर्स के लिये रखा गया है।

(४) आशा है इस योजनाकाल में।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैन्टेनेन्स लिस्ट में जरूर है, पर एनुअल टाइम पर रिपेअर नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: रिपेअर होती है, तीन साल के आंकड़े मैंने रखे हैं। हालत खराब है इसीलिये इस साल ज्यादा रकम रखी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आंकड़े मंगाने की कोशिश करेंगे कि पिछले तीन सालों में जो रकम मंजूर हुई है वह रकम लगी या नहीं लगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: रकम लगी है, उसी के तो आंकड़े बताये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामकिशन !

राज्य में गजटेड महिला ऑफिसर्स की संख्या

४०. **श्री रामकिशन (वैर):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान निर्माण के समय राज्य में गजटेड महिला ऑफिसर्स की क्या संख्या थी, और आज क्या है तथा वे कहां कहां और किस किस विभाग में नियुक्त हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): सूचना उपलब्ध नहीं है।

जुलाई १९५१ की अधिकारी-सूची, जो राजस्थान बनने के प्रथम बार प्रकाशित हुई, के अनुसार गजटेड महिला ऑफिसर्स की संख्या ७१ थी।

१ जनवरी, १९६२ की अधिकारी-सूची प्रकाशित हो रही है उसके अनुसार गजटेड महिला ऑफिसर्स की संख्या १-१-६२ को ४०१ थी। इनका विवरण इस प्रकार है :-

आर. जे. एस.	१
आई. ए,. एस.	२
आर. ए. एस.	३
शिक्षा विभाग	२२७
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग	१५०
पशुपालन विभाग	१
उद्योग विभाग	२
श्रम विभाग	७
पंचायत एवं विकास विभाग	२
समाज कल्याण विभाग	३
सांख्यिकी विभाग	१
आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग	१
पर्यटक सुविधा विभाग	१
योग	४०१

श्री रामकिशन : क्या इस संख्या की भी जानकारी है कि राजस्थान निर्माण के पहले चिकित्सा और शिक्षा विभाग में कितनी थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस वक्त की अधिकृत सूची प्राप्त नहीं होने से ५१ में जो सूची उपलब्ध थी उसके आधार पर दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास !

उप-पंजीयक के पद

४१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाओं, के कार्यालय के उप-पंजीयक के इस समय कितने पद हैं ?

(२) इन पदों की आवश्यकता का आधार क्या है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरञ्जननाथ आचार्य) : (१) इस समय रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं के कार्यालय में उप पंजीयक के दो पद हैं।

(२) रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा २२ विषयों की पृथक २ परीक्षाएँ ली जाती हैं, जिसके लिये रजिस्ट्रार की सहायता देने के लिये दो उप-पंजीयक आवश्यक हैं। इस कार्यालय द्वारा जिन जिन विषयों की परीक्षाएँ ली जाती हैं उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : ये जो दोनों पद हैं उप पंजीयक के, क्या उसी स्थान पर काम करते हैं या अलग अलग करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विभागीय स्तर पर इनके काम का बंटवारा है ; अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग विषय हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : विषय तो अलग अलग हैं, पर क्या ये अपने विभाग के अतिरिक्त दूसरे विभाग में काम करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरे विभाग में काम करते हैं, ऐसी विभागीय प्रशासन से उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर माननीय सदस्य का शिक्षा विभाग से परे से मतलब है तो ऐसी संभावना की आशा नहीं की जा सकती।

श्री मुरलीधर व्यास : उप-पंजीयक, रजिस्ट्रार के विभाग से शिक्षा विभाग के ही दूसरे विभाग में काम करता है और अकाउन्टेन्ट जनरल ने ऑब्जेक्शन किया है कि वहां काम नहीं है फिर भी दो पद रखे गये हैं; क्या इस प्रकार की जानकारी आपके पास नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न ही अलग से है। अगर माननीय सदस्य पहले इसकी सूचना दे देते तो इसकी मैं विस्तृत रूप से जानकारी देता कि कौन काम करता है, कहां आपत्ति है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरा प्रश्न साफ है, "क्या इन पदों की आवश्यकता है"। वर्क लोड होता तो वहीं पर काम करते, इतना वर्क नहीं है तभी दूसरी जगह काम करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आवश्यकता तो है, पर दूसरे विभाग में काम करते हैं यह सूचना आपने दी है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। आपने सूचना दी है; इसके आधार पर बाहर मैं आपको संतुष्ट कर सकूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आवश्यकता है, पर उसका आधार क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: २२ परीक्षाएं हैं और दो उप-पंजीयक हैं। उन परीक्षाओं का विश्लेषण किया जाय तो काफी अधिक महत्व है, यह आधार है।

श्री मुरलीधर व्यास: संचालक का काम रजिस्ट्रार कर लेते हैं, उप-पंजीयक उसके अलावा क्या काम करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: माननीय अध्यक्ष, मैंने निवेदन किया कि कोऑर्डिनेशन का काम रजिस्ट्रार का है। उसके नीचे अलग अलग शाखाएं हैं। उनका काम दो उप-पंजीयक करते हैं। २२ परीक्षाओं के लिये दो उप-पंजीयक हैं तो कोई ज्यादा नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: एक १७ परीक्षाओं को देखता है और दूसरा ५ परीक्षाओं को देखता है और शिक्षा विभाग के दूसरे विभाग में काम करता है जो शिक्षा विभाग का ही अंग है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं इसकी जानकारी करूंगा कि शिक्षा विभाग में वह कहाँ काम करते हैं। करते भी हैं तो शिक्षा विभाग का ही अंग है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री मुरलीधर व्यास: एकाउन्टेन्ट जनरल का ऑब्जेक्शन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं देखूंगा कि क्या टैक्निकल बात हो गई है। कई बार अच्छा काम करने पर भी आपत्तियां हो जाती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: अच्छा काम नहीं है। इकोनोमिक कट में बारीकी से देख लेंगे तो पता चलेगा कि इस पद को बिना मतलब के चलाया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: शिक्षा विभाग में काफी कट हुआ है। आप इसके प्रति सहानुभूति रखें तो ठीक होगा। फिर भी मैं इसकी जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री रामकिशन !

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली

४२. **श्री रामकिशन (वैर)**: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो वैर क्षेत्र के किन किन गावों में बिजली दी जायगी ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे हुआ है ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा): (क) जी हां।

(ख) वैर क्षेत्र के निथार, वल्लभगढ़, सालमपुर खुर्द, सालमपुर कलां, मैनपुरा और छटोली गांवों का जल्दी ही सर्वे कराने का विचार है। सर्वे पूरा होने पर ही इन गांवों को बिजली देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(ग) अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र चालू होने की आशा है।

श्री रामकिशन: जिस जगह मुख्य लाइन जाती है उसके आस-पास गांवों में बिजली देने का क्या सरकार का इरादा है ?

श्री परसराम: वैर-भुसावर को बिजली दी जा चुकी है। बाकी जगह सर्वे कराने के बाद ही निर्णय लिया जायगा, रेम्यूनरेटिव बेसिस पर।

श्री रामकिशन : सालमपुर खुर्द है या कलां ?

श्री परशराम : दोनों ही हैं।

श्री अध्यक्ष : रेम्यूनरेटिव होने का क्या क्राइटेरियर है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : केपिटल इन्वेस्टमेन्ट पर १२ परसेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट पर . . . . .

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

सहकारी समितियां

४३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) राजस्थान में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं ? उनमें से कितनी कार्य कर रही हैं ?

(ख) कितनी सहकारी समितियां मुनाफे में चल रही हैं और कितनी घाटे में ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (क) कुल १८,३०९ सहकारी समितियां हैं जिनमें से १५,३७२ समितियां कार्य कर रही हैं।

(ख) १०,०७७ सहकारी समितियां लाभ में और ३,४८७ हानि में हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ये जो समितियां लाभ में हैं क्या उन समितियों ने अपने सदस्यों को किसी प्रकार का लाभ बांटा भी है ?

श्री भीमसिंह : इसकी जानकारी आपको हासिल करके दी जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार उपयुक्त नहीं समझती कि जो भी समितियां लाभ में हों और वे यदि लाभ अपने सदस्यों को न बांटें तो उनके जो संचालन करने वाले लोग हैं उनको सरकार आदेश दे कि ऐसा अवश्य करें ?

श्री भीमसिंह : इसकी मालूमात कर ली जावेगी। अगर आपकी निगाह में ऐसी कोई जानकारी हो तो जरूर बतायें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उन समितियों को कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : This is not a valid supplementary.

श्री विजयसिंह झाला : मुनाफा किस आधार पर आंका गया था ?

श्री अध्यक्ष : This is also not good supplementary.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम) : लोस में चलने वाली समितियों ने क्या कभी लाभ बांटा भी है ?

श्री अध्यक्ष : सहकारी समितियां रिज़र्व में पैसा रखें, लाभ बांटे या न बांटे; इसके लिए सरकार आदेश नहीं दे सकती।

प्रश्न संख्या ४४

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

गांधीनगर के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों से पानी के चार्जेज

४५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार) : Will the Minister for Water Supply be pleased to state :

1. Is it a fact that flat rate of Rs. 7/—is being charged from the low paid employees, who have been provided residential accommodation at Gandhi-nagar for water supply ? If so, what is the basis for charging such rate ?

2. Does the Government not consider that such high charges are too much for low paid employees ?

3. Does the Government contemplate to reduce such rates to a reasonable extent ? If not, why ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : 1. Yes, this is an ad hoc rate till meters are provided. Average consumption per family is expected to be of such quantity of water as would cost Rs. 6/- per month. Re. 1/- P. M. is charged for flush latrines.

2. This rate has been fixed for all categories of persons.

3. It is an ad hoc rate and ultimately the meters are to be provided. Hence the question of reducing does not arise.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मीटर्स की व्यवस्था करने का काम किसका है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डिपार्टमेंट का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि डिपार्टमेंट मीटर्स सप्लाई करने में असफल रहता है तो कन्जम्प्शन करने वाले लोगों पर यह टैक्स क्यों होना चाहिये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एवरेज रेट निकाल कर ही यह फिक्स किया है। मीटर मिलते नहीं हैं इसलिये दिक्कत होती है। ज्योंही मिलते हैं, दे दिये जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने ग्रुप को असेस किया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक आदमी के लिए प्रतिदिन २५-३० गैलन पानी की आवश्यकता रहती है। चार आदमियों की एक फेमिली भी मानकर चला जाय तो एवरेज २००-२५० गैलन पानी की एक व्यक्ति को आवश्यकता रहती है। हमने ६ हजार गैलन पानी एक महीने का लगाया और इसीलिए ६) रु० रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने २५ गैलन के हिसाब से हिसाब लगाया तो सरकार क्या यह उचित नहीं समझती है कि जिनकी फेमिली में दो ही व्यक्ति हैं (मियां और बीबी), तो उनसे ४) रु० ही वसूल करती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जयपुर में चौबीसों घन्टे नल चलते हैं। एक घन्टे में २५० गैलन पानी निकलता है। गांधीनगर में १०० मकानों में मीटर नहीं हैं और चार क्वार्टर्स के बीच में एक मीटर देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक घन्टे बराबर नल चला करे तो क्या २५० गैलन पानी निकलता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां । २००,२५० गैलन पानी निकलता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सम्भव नहीं है स्थिति को देखते हुए। लो पैड एम्प्लोईज़ से इस प्रकार ७) रु० वसूल करना उचित नहीं है, एम. एल. एज़. क्वार्टर्स में १०) रु० महीने का एवरेज आता है जहां कि चौबीसों घन्टे पानी चलता है और ७)रु. आप उन लोगों पर लगा रहे हैं ! The Hon. Minister concerned should sympathetically consider the question. या तो आप पर हैड लगा दीजिये; आठ आना बारह आना पर हैड कुछ लगा दीजिये । आपने चार आदमी की एक फेमिली का हिसाब बताया, हिसाब लगाने में बड़े होशियार मालूम होते हैं, आखिर पी० डब्ल्यू० विभाग है जहां हिसाब का ही काम होता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हिसाब मैंने लगाया, वह ठीक है । आप एक घन्टा नल खोलकर देख लीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे घर में ६ घन्टे नल चलता है । आप एक बार नहाते होंगे । मैं चार बार नहाता हूं, लेकिन फिर भी ज्यादा बिल नहीं आता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ७) रु०, जिसके घर में दो आदमी हैं उनको भी देना पड़ता है और ५० आदमियों के मकान में अधिक खर्चा होता है तो उनको भी ६), ७) रु० देना पड़ता है इसलिए इस अन्तर को कम करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : फ्लैट रेट है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अन्तरिम व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष : चार क्वार्टर्स के बीच में एक मीटर लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि चार क्वार्टर्स के बीच में मीटर लगायेंगे तो जो कन्ज़म्प्शन आयगा तो उसके हिसाब से पिछला बकाया दे दिया जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उनकी अर्जी आती है उस पर लगाते हैं या मर्जी से ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अर्जी आती है तब ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: 'नो लॉस, नो प्रोफिट' पर नहीं चला सकते ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: 'नो लॉस, नो प्रोफिट' का सवाल नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: एम. एल. एज़. क्वार्टर्स में २५) रु० पानी का बिल आता है।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): जो मीटर कनेक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं उनमें क्या ६) रु० से कम के बिल नहीं आते हैं ? ऑलरेडी मीटर्स हैं, कितने बिल ऐसे हैं जिनके चार्जेज ६) रु० से कम आते हैं ? तब ही आपको एवरेज भी मालूम हो जावेगा मकान मालिक भी किरायेदारों से २) रु० वसूल करते हैं ।

श्री अध्यक्षः टूंटी छोटी होगी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): ऐसे तलाश नहीं किया है। कई परिवारों से पूछने का मौका मुझे भी मिला है। उनका एवरेज आता है करीब ४।।), ५) रु०। क्योंकि एक टेप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है; ज्यादा खर्चा होगा, इसलिये ६) रु० लगाया है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): पानी के एवरेज का हिसाब गर्मी की मौसम में लगाया था या सर्दी में ?

श्री हरिश्चन्द्रः रेकॉर्ड तो रखा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या इस प्रकार का कोई आश्वासन देंगे कि उन लोगों को पहले मीटर सप्लाई किये जावेंगे और उनका कन्जम्प्शन देखकर बाकी का अधिक वसूल हुआ है तो वह एडजस्टमेन्ट कर देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्रः सरकार काफी चिन्ता में है कि जल्दी से जल्दी मीटर लगाये जायं। हिंदुस्तान में जितने मीटर्स बनते हैं उनको लेने की कोशिश की जा रही है, बाहर से भी इम्पोर्ट करते हैं। यह सब सप्लाई पर निर्भर करता है। आश्वासन नहीं दे सकते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): बाजार में अधिक पैसा देने पर मीटर मिल जाते हैं, तो आप क्यों नहीं खरीद लेते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्रः सरकार ब्लैक मार्केट नहीं करती है।

श्री मानिकचन्द सुराणाः ४), ४।।) रु० आप खुद एवरेज कन्जम्प्शन फरमाते हैं, तो लो पेड एम्प्लोईज़ से पर फैमिली ६), ७) रु० क्यों चार्ज करते हैं ? क्या २।।) रु० का ब्लैक नहीं है यह ?

श्री हरिश्चन्द्रः कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना पानी वे लें। हो सकता है कि वे पानी ७), ८) रु० का लेते हों जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि २५) रु० का बिल आता है।

श्री मानिकचन्द सुराणाः रेस्ट्रिक्शन कर दीजिये। दो घंटे, चार घंटे कर दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्रः आप चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाय पानी की क्वान्टिटी का; One hour in the morning and one hour in the evening ?

श्री मुरलीधर व्यासः यू. पी. गमर्नमेन्ट से बातचीत करके डाइरेक्ट ले सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्रः यू. पी. से भी मंगाये हैं। २० हजार मीटर्स के ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं।

चार हजार मीटर्स के लिये यू. पी. गवर्नमेन्ट को ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): एक रुपया एक्स्ट्रा किस चीज का चार्ज किया जाता है ?

श्री हरिश्चन्द्रः फ्लशलेट्रिन्स के लिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्माः माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कह सकते हैं कि जिनकी फेमिली नहीं और जो एक घंटा ही पानी लेना चाहते हैं उनके लिये क्या आप एक घंटा ही पानी देने की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि उन पर कम खर्चा आये ?

श्री हरिश्चन्द्रः हर फेमिली के लिये रेस्ट्रिक्ट करना मुश्किल है। यदि पानी एक घंटा ही देना है तो सारी लाइन बंद करनी होगी, यही उपाय हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार यह एश्यांरेन्स दे सकती है कि जिस समय मीटर्स अवेलेबल होंगे मीटर्स लगाने के लिये एम्प्लॉईज़ क्वार्टर्स को प्रायोरिटी दी जायगी।

श्री हरिश्चन्द्र: मीटर्स की सिर्फ जयपुर में ही कमी नहीं, सारे राजस्थान में कमी है; इसलिये सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जायगा। जहां जहां एक फेमिली है या दो फेमिलीज़ हैं और लो पेड हैं सर्टेनली सरकार उसको ध्यान में रखेगी। पर्टिक्यूलर लोकेलिटी को ही दिये जायं, इस बारे में मैं आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह: मैं पर्टिक्यूलर लोकेलिटी के लिये नहीं कह रहा हूं। लो पेड एम्प्लोईज और सरकारी नौकर हैं, जिनको सरकार ने रेज़ीडेंशियल क्वार्टर दे रखे हैं उनको प्रायोरिटी देने के बारे में सरकार आश्वासन नहीं दे सकती?

श्री हरिश्चन्द्र: सरकार के पास मीटर्स उपलब्ध होने पर इस पर विचार कर सकती है वि उसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें हम लो पेड एम्प्लोईज़ को प्रिफरेन्स दे सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मीटर्स उपलब्ध होने पर जब लगाये जायेंगे उसके बाद कन्ज्यूमर का जो खर्च आयगा उससे एवरेज निकाल कर पुराना एडजस्टमेन्ट करने को सरकार तैयार है क्योंकि यह लॉस कन्ज्यूमर की गलती के कारण नहीं बल्कि सरकार द्वारा मीटर्स उपलब्ध न कराने के कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री (बरकतुल्ला खां): नल लेने के लिये हम किसी को जबर्दस्ती नहीं करते। नल लगाने के लिये लोगों की बहुत मांग है; इसलिये मीटर्स मौजूद नहीं होते हुए भी फ्लेट रेट से हम पानी उनको देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या सरकार इस तरह की मोनोपोलिस्ट टेन्डेन्सी रखती है कि वे कन्ज्यूमर के साथ जिस तरह की चाहें कन्डीशन रखें, चाहे टर्म्स रखें?

श्री बरकतुल्ला खां: आपको तो मोनोपोली में विश्वास नहीं। जब कन्ज्यूमर को ऐतराज नहीं तो आपको क्या ऐतराज है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपकी कोठी में चार चार नल लगे हुए हैं उनको तो हटालें।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

बीदासर में मेटर्निटी होम

४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीदासर में मेटर्निटी होम खोलने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रार्थना पत्र आया है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): बीदासर में मेटर्निटी होम पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन लेडी डॉक्टर व मिडवाइफ उपलब्ध न होने के कारण इस मेटर्निटी होम में केवल दाई ही कार्य कर रही है। लेडी डॉक्टर उपलब्ध होते ही वहां भेज दी जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास: जब वहां मेटर्निटी होम खुल चुका है, ऐसी हालत में वहां लेडी डॉक्टर्स के लिये सब से पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिये, इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कई ऐसी जगह हैं जहां लेडी डॉक्टर्स नहीं पहुंची हैं, प्राथमिकता केवल इसी आधार पर तो नहीं दी जा सकती।

प्रश्न संख्या ४७

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।
(अनुपस्थित)।

बचत की योजना

४८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष जो राज्य सरकार ने बजट में से बचत की योजना बनाई है उसकी कुल धन राशि कितनी है और किस किस विभाग में कितनी बचत की गई है ?

(२) उपरोक्त बचत में प्रशासनिक खर्च में कमी कितनी है और विकास में कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): (१) इस वर्ष के बजट ऐस्टीमेट्स में ५०.०० लाख रुपयों की नॉन प्लान में बचत का अन्दाज किया गया था। इसके खिलाफ ६४.६० लाख रुपये की कमी नॉन प्लान के खर्चे में करने के हुक्म जारी किये जा चुके हैं और कैपिटल हैड्स में भी अब तक ३७.०२ लाख की कमी के आदेश जारी हो चुके हैं। जिन जिन मदों में कमी की गई है उसका स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखा है।

(२) यह सब कमी नॉन प्लान में ही की गई है और प्रशासनिक व विकास दोनों मदों में है जैसा कि स्टेटमेन्ट से जाहिर होगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपने जो कमियां की हैं वे किस सिद्धांत के आधार पर की हैं ? क्या इसके लिये कोई कमेटी बनी थी, इस कमी को सरकार किस प्रकार जस्टिफाइ करती है, उसका क्या बेसिस था ?

श्री बालकृष्ण कौल : प्रश्न तो यह अलग है, फिर भी मैं अर्ज कर दूं कि हर मिनिस्ट्री से यह प्रार्थना की गई थी कि वे अपने पदों में कुछ कमी दिखायें। उनकी सलाह से जो उन्होंने मुनासिब समझा खर्च में कमी की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह प्रार्थना कब की गई थी, बजट अधिवेशन से पहले या बाद में ?

श्री बालकृष्ण कौल : बजट पेश होने के पश्चात्।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट पेश होने से पहले यह कमी क्यों नहीं की गई ?

श्री बालकृष्ण कौल : क्योंकि १२ तारीख को मंत्रि-मण्डल ने शपथ ली और १३ तारीख को बजट अधिवेशन शुरू हो गया।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जो कमियां की गईं एक्चुअली उन पोस्ट्स की जरूरत नहीं थी फिजूल खर्चा चला आ रहा था ?

श्री अध्यक्ष : इस सारे मसले पर अलग से बहस होगी, उस समय आप ये प्रश्न पूछें।

श्री मोतीलाल चौधरी : Is it economy cut or rationalisation ?

श्री अध्यक्ष : पूरा एक दिन भर दिया जायगा बहस के लिये।

हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षायें

४९. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बेगूं (जिला चित्तौड़गढ़) में पहले हाई स्कूल में साइन्स पढ़ाया जाता था ?

(२) कौन से साल से साइन्स पढ़ाना बन्द किया गया है ?

(३) क्या गांव वाले बेगूं में साइन्स क्लास खोलने के लिए कुछ रुपया देने को तैयार हैं ?

(४) शिक्षा विभाग द्वारा साइन्स का सामान बेगूं में कब और कितना भेजा गया ?

(५) क्या सन् ६२ में भी सामान लेबोरेटरी के निमित्त भेजा गया है ? यदि हां, तो वह किस काम में लाया गया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): उत्तर तो मेरे पास है किन्तु अपर्याप्त है इसलिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाय ताकि मेरे उत्तर से सन्तोष मिल सके।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट टर्न उत्तर दे दें।

सड़क निर्माण

५०. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर जिले में ग्राम पान्योरी से जनुथर होती हुई नदवई तक सड़क बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ हो जायगा ?

उप-मंत्री, निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशन: कब प्रश्न उठेगा ? यह वह सड़क है जहां बीस साल से डीग और नदबई तक मोटर चलती है। अब भी इसके लिये प्रश्न नहीं उठेगा तो फिर कब उठेगा ? कब आपका विभाग इस बारे में सोचेगा ? इस प्रकार के उत्तर की तो हम हमेशा ही आशा करते हैं, कोई नया उत्तर दीजिये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चौथी पंच-वर्षीय योजना में विचार करेंगे।

श्री रामकिशन : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे रखेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस पर विचार करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): पांचवीं पंचवर्षीय योजना भी आरम्भ हो गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

देवगढ़ की डिस्पेन्सरी में दवाइयां

५१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ की डिस्पेन्सरी में दवाइयों की पूरी कमी है और औजार भी जरूरत के अनुसार नहीं हैं ?

(२) क्या यह सही है कि देवगढ़ कस्बे की आबादी ८ हजार है और मरीजों की अटेन्डेन्स वार्षिक ३६ हजार है, लेकिन दवाइयों का बजट केवल ढाई हजार रुपये है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(३) क्या यह सही है कि बजट और मरीजों को देखते हुए प्रति मरीज पर लगभग एक आना खर्च किया जाता है ?

(४) क्या सरकार मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखकर दवा का बजट रखने का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(१) जी नहीं।

(२) देवगढ़ कस्बे की आबादी ८०२३ है और सन् १६६१-६२ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों की अटेन्डेन्स २७,३५३ है परन्तु दवाइयों का बजट २५०० रुपये है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: यह जो २७,३५३ की संख्या बतायी है वह किस साल की है और एक आना फी मरीज दवाई का आता है क्या यह दवाई के लिये काफी है ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

मनोहरथाना, चाचोड़ा रोड

५३. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मनोहरथाना, चाचोड़ा रोड, जिला झालावाड़ जो पिछले कई वर्षों से बनाया जा रहा है अभी तक पूरा क्यों नहीं हो सका है?

(२) क्या यह रोड आगे चलकर मध्य-प्रदेश के रोड को जोड़ता है ? यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सीमा के रोड को पक्का बनवा दिया है ?

(३) इस रोड को कब तक पक्का कर दिया जायगा ?

उप-मंत्री, निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): १. जी हां, कार्य चालू है।

२. जी हां।

३. कार्य चालू है, आशा है अगले वर्ष पूरा कर दिया जायगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': कब इसको पूरा कर देंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: अगले वर्ष पूरा कर दिया जायगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': अगला वर्ष कब से शुरू होता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: ६३-६४ में।

मुआवजे का भुगतान

५४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर एवं भीनमाल तहसीलों में पसायतेदारान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) उपरोक्त तहसीलों के पसायतेदारान को कब तक बॉन्ड्स मिल जाने की संभावना है ?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(३) क्या यह सच है कि पसायतेदारान से वीघोड़ी के लिये तहसीलों द्वारा तकाजा किया जाता है, जबकि उनको कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : १. जी हां, पसायतेदारों की आय की सूचियां एवं दावे अन्य छोटी जागीरों के दावों के पश्चात् तैयार हुई, क्योंकि उस समय तक निजी सेवा के पसायतेदारों को मुआवजा देने का प्रश्न तय नहीं हुआ था। निर्णय हो जाने पर इनके दावों का कार्य शुरू हुआ।

२. पसायतेदारों के दावे फाइनल हो चुके हैं और बॉन्ड्स रिज़र्व बैंक से मंगवाने की कार्यवाही जारी है। बॉन्ड्स प्राप्त होने पर वितरित कर दिये जावेंगे।

३. जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: यह कब तक करने की सम्भावना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसमें लगभग छः महीने का समम लगेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: मेरे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर नहीं आया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया न कि नहीं वसूल किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: वसूल किया जा रहा है, डी. सी. कलेक्टर द्वारा ऑर्डर जारी होते हैं। कलेक्टर से अर्ज किया जाता है तो कहते हैं रेवेन्यू वालों का तकाजा है, हम क्या करें। तो यह वीघोड़ी वसूल की जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही है, क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस समय कोई वसूली नहीं की जा रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: जो अब तक हुआ सो तो हुआ, पर आइन्दा के लिये क्या सरकार ऐसा निर्देश जारी करेगी कि भविष्य में यह वीघोड़ी लागू नहीं की जावेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप ऐसे कोई तहकीक उदाहरण ध्यान में लाएं तो अवश्य आदेश जारी किये जा सकेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अगर यह साबित कर दिया जावेगा तो क्या आप अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अभी यह प्रश्न सामने नहीं है।

श्री मानसिंह महार : हजारों बार शिकायतें कर दी गईं, अब आपके सामने यह प्रश्न कैसे आए, यह आप ही बता दीजिये; हम आपके सामने ले आयेंगे उसी तरह।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप लाइये ऐसे केस सामने।

श्री मानसिंह महार: कल एक हजार आदमी आपके पास आ जावेंगे। तहसील की तहसील से वसूली की जा रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जब आप शिकायत लावेंगे तब देखेंगे।

माध्यमिक शाला में चपरासी की व्यवस्था

५५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील के दिवेर की माध्यमिक शाला में दिसम्बर, १९६१ से कोई चपरासी नहीं है और विद्यार्थियों को कुएं पर जाकर पानी खींचकर लाना पड़ता है ?

(२) यदि हां, तो अब तक चपरासी का प्रबन्ध क्यों नहीं हो सका और अब कब तक किया जायगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) नई भरती के लिये सरकार की ओर से रोक हो जाने से चपरासी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। सरप्लस चपरासियों की सूची भेजने के लिये जिलाधीश, उदयपुर को निवेदन किया गया है। सूची प्राप्त होने पर चपरासी की नियुक्ति जल्दी से जल्दी कर दी जावेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : साल भर हो गया चपरासी की नियुक्ति नहीं कर सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरप्लस चपरासी का प्रश्न है, नियुक्ति का नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सरप्लस नहीं मिलेगा तो क्या रखा ही नहीं जावेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरप्लस नहीं मिला तो क्या रखने की और व्यवस्था है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : विभाग में चपरासियों की ही नई नियुक्ति बन्द है या अन्य अफसरों आदि की भी बन्द है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां अभी सिर्फ चपरासियों का ही प्रश्न है। प्रश्न चपरासियों तक ही सीमित है।

बिजली की बकाया की वसूली

५६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बिजलीघर, बीकानेर में एक हजार रुपये से अधिक बकाया वाले कितने व्यक्ति हैं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इनसे रुपया वसूल करने का अब तक सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

उप-मंत्री विद्युत् (श्री परशराम मदेरणा): (१) सूची संलग्न है।

(२) नियमानुसार नोटिस दिये जा रहे हैं। व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा भी रकम वसूल करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : १८,८३,७९८) रुपया इसमें बताया है इसमें नोर्दर्न रेल्वे का ६,५७,०००) रुपया है; यह कब से बकाया है।

श्री परशराम मदेरणा : यह काफी अर्से से बकाया है और कारण यह है कि बोर्ड और नोर्दर्न रेल्वे के बीच में एक डिस्प्यूट चार्जेज़ का चल रहा है। कोल सप्लाई

(श्री परसराम मदेरणा)

करते हैं और एग्रीमेन्ट यह था कि जब कोल की प्राइस ३२) रु० पर टन होगी तो हम उनसे दो आना चार्ज करेंगे; लेकिन प्रोपोर्शनेटली कोल की कीमत ज्यादा हो तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज़ बढ़ जायेंगे। वे अपना इन्टरप्रिटेशन करते हैं और हम अपना करते हैं। अब मामला फाइनल स्टेज पर है। अभी ३ अक्टूबर को दोनों तरफ से रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ की मीटिंग थी। उसमें चीफ इन्जीनियर आने वाले थे पर वे आ नहीं सके। अब जल्दी ही दूसरी मीटिंग करके वे अपने फाइन्डिंग्ज़ दे देंगे और सरकार उस पर निर्णय ले लेगी।

श्री मुरलीधर व्यास: यह कब से बकाया है?

श्री परसराम मदेरणा: इसकी तारीख इस समय मेरे पास नहीं है, इसलिये ऑफ हैण्ड जवाब नहीं दे सकता।

श्री मुरलीधर व्यास: ६,४०,५४४) रुपया ९९ नये पैसे म्यूनिसिपेलिटी के नाम पर हैं, इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया?

श्री परसराम मदेरणा: इसके लिये लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी बिठाई है, वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। उस पर सरकार अपना निर्णय दे देगी; उस पर अमल किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास: इसी प्रकार १,४७,२५४) रु० रूलर्स के नाम पर हैं और यह भी लगातार कई महीनों से नहीं, बरसों से, सन् ५३ से निकल रहे हैं; तो अब तक यह रकम वसूल नहीं किये जाने में क्या अड़चन है?

श्री परसराम मदेरणा: सरकार के साथ बीकानेर रूलर्स की कुछ बिल्डिंग्ज़ को कन्सेशनल रेट पर पॉवर सप्लाई करने का एग्रीमेन्ट था। अब वह डिस्प्यूट बिल्डिंग्ज़ का है। वे ज्यादा बिल्डिंगें बता रहे हैं और हम कहते हैं कि इतनों का एग्रीमेन्ट नहीं था। इसके लिये रूलर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ और गवर्नमेन्ट के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ की एक मीटिंग का आयोजन किया है। इनकी दो मीटिंगें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमने ऐसी हाई पॉवर कमेटी बिठाई है। इसमें रूलर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ भी बैठेंगे और गवर्नमेन्ट के भी और इसके जो प्रोपोज़ल्स होंगे उन पर फाइनल निर्णय सरकार ले लेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यही तरीका दूसरे साधारण जो कन्ज़्यूमर्स हैं उनके लिए भी आप उनके अन्दर रहे हुए ड्यूज़ को तै करने के लिये अपनाने को तैयार हैं? वरना आपने इन रूलर्स से पहले वसूल करके फिर अपील करने को क्यों नहीं कहा जैसे आप आम कन्ज़्यूमर्स को कहते हैं?

श्री परसराम मदेरणा: नोर्दर्न रेल्वे का डिस्प्यूट है, म्यूनिसिपेलिटियों का डिस्प्यूट है और इस तरह के जहां कहीं भी डिस्प्यूट हैं; रूलर्स का डिस्प्यूट है कि जिनके लिये वे कहते हैं उन बिल्डिंगों के लिये कन्सेशन था या नहीं, तो इन प्रश्नों पर झगड़े चल रहे हैं, इसलिये ऐसा करना पड़ रहा है?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ये झगड़े कितने साल से चल रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा: काफी अर्से से चल रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कॉवेनेन्ट में सिम्पली इतना ही है कि उनके रहने के जो मकान हैं उनमें देंगे पर आज तो जिन बिल्डिंगों में वे कारोबार, धन्धा और व्यापार करते हैं उनमें भी फ्री देते हैं। देना चाहिए केवल उनमें जिनमें वे और उनका परिवार रहता है।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): मैं स्पष्ट कर दूं। तीन रूलर्स के साथ एग्रीमेंट इस तरह का हुआ था; एक जयपुर, दूसरा जोधपुर और तीसरा बीकानेर। और इनको उन कॉवेनेंन्ट के तहत कन्सेशन दिया गया था। अब इन्टरप्रिटेशन जो प्रिन्सेज का है और जो हमारे पास, सरकार के पास आया है उसमें वे यह कहते हैं कि जो प्रिवी पर्स का निर्धारण किया गया है उसके अनुसार संख्या का जो क्वान्टम एमाउन्ट बनता है, उतने तक हमारे को छूट मिलनी चाहिये। सरकार का इन्टरप्रिटेशन यह है कि उनके साथ-साथ जो ऑफीशियल रेजीडेन्सेज हैं, जो रेजीडेन्सेज माने गये हैं उनके अन्दर जो बिजली खर्च होती है तो केवल उसमें कन्सेशन मिलना चाहिए, न कि वे चाहें उसे हर किसी मकान में ले सकें। इस बात को तय करने के लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है। अब उनकी जो भी बात होगी वह सुनने के बाद जो उचित होगा वह निर्णय लिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह बात कॉवेनेन्ट में उल्लिखित है ?

श्री हरिश्चन्द्र : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की ओर से उनके साथ स्पेशल एग्रीमेन्ट है तीनों के साथ; और किसी के साथ नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कॉवेनेन्ट के बीच में यह किसी क्लॉज के रूप में एन्टर हुई है या नहीं, यह आप थोड़ा स्पष्ट बता दें।

श्री हरिश्चन्द्र : वह एक लेटर है, जहाँ तक मेरा ख्याल है।

श्री मानिकचंद सुराणा : नॉर्दर्न रेल्वे, म्यूनिसिपल कौंसिल और महाराजा बीकानेर के अलावा और भी कुछ उपभोक्ता हैं, जिनमें एक हजार से ज्यादा बकाया हैं उनसे १५ दिन का नोटिस देकर साधारण उपभोक्ताओं की तरह क्यों नहीं वसूल किया गया और अगर १५ दिन के नोटिस पर भुगतान नहीं किया तो साधारण उपभोक्ताओं की तरह कनेक्शन डिसकनेक्ट क्यों नहीं किया गया। उनके साथ पार्शिएलिटी करने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे इन्डिविजुअल बहुत कम हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे जितने भी हैं, एक या दो।

श्री परसराम मदेरणा : उनको बराबर नोटिस दिया जा रहा है। पर्सनल एप्रोच भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के पास कम्पलेन्ट भी दर्ज करा दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पिछले ६ महीनों में जिन साधारण उपभोक्ताओं में पांच-पांच, दस-दस रुपये तक भी बकाया थे या एक महीने का बकाया था उन सैकड़ों लोगों को नोटिस देकर फौरन कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिये गये; पर जो बड़े बड़े हैं, सरकारी अधिकारी हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनमें हजारों की बकाया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

होने के बावजूद नोटिस देकर डिसकनेक्ट नहीं करने का क्या कारण है ? यह डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी क्यों वर्ती जाती है ? यह तथ्य है और मंत्री महोदय को चाहिये कि इस तरह की पॉलिसी में मूलभूत परिवर्तन करें।

श्री परसराम मदेरणा : किसी के साथ नरमी नहीं बरती गई है। ये जो इन्डिविजुअल्स थे इनके अमाउन्ट डिस्प्यूटेड थे। जैसे एक व्यक्ति का कुएं का मामला था। कुआ दूसरे ने ले लिया है। चार्जेज पहले वाले से मांगा जा रहा है तो वह डिस्प्यूट कर रहा है। तो इस तरह के केसेज हैं; otherwise no connection is given to anybody.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रश्न से स्पष्ट है कि आपसे जो लिस्ट मांगी गई वह बकाया रकम की है, डिस्प्यूटेड रकम की नहीं मांगी गई थी। जो रकम का क्लेम करते हैं चाहे पार्टी डिस्प्यूट करती हो लेकिन जिसको आप बकाया मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ आप उनको नोटिस दे सकते हैं और यदि डिस्प्यूट करते हैं तो आप डिसकनेक्ट कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इसके अतिरिक्त और भी लोगों के ऊपर बकाया है, जो लिस्ट दी है उसमें मैं ऐसा देखता हूं कि उसमें दूसरे नाम नहीं हैं जिनके ऊपर कि बकाया है। क्या आपने सम्पूर्ण लिस्ट दे दी है या इसके अलावा और भी बकाया है। एक हजार से ज्यादा की बकाया वालों के और नाम रह गये हैं। अगर आप चैलेन्ज करते हैं....

श्री अध्यक्ष : चैलेन्ज का सवाल नहीं है। आपने एक जानकारी मांगी वह उन्होंने दी और यदि आपके ध्यान में है कि अमुक आदमी रह गये हैं तो स्पष्ट रूप से आप कहें उसकी जांच और कर ली जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : १७०० रुपये तो मेरे ख्याल से एक दलित वर्ग सम्मेलन कांग्रेस ने किया था, उनके ऊपर बकाया है वह इसमें नहीं आया है। एक नाम तो यही है। तो इसका पैसा क्यों नहीं आया ?

श्री मोतीलाल चौधरी : कांग्रेस ने नहीं किया, दलित वर्ग संघ ने किया था।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर श्री जगजीवनरामजी भी आये थे, वे शायद कांग्रेस के नहीं होंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी: कांग्रेस ने नहीं किया था।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जानकारी प्राप्त करके उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

राजस्थान में आई० ए० एस० ऑफिसर

५७. **श्री रामकिशन** (वैर) : **क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

राजस्थान में आई० ए० एस० ऑफिसर्स कुल कितने हैं, और प्रत्येक जिले में कितने-कितने आई० ए० एस० ऑफिसर्स हैं ?

Page No.20

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) कुल १२० हैं। प्रत्येक जिले में आई. ए. एस. ऑफिसर्स इस प्रकार हैं :–

(ख)	उदयपुर	१२
	जोधपुर	७
	बूंदी	३
	अलवर	४
	कोटा	४
	बीकानेर	४
	जयपुर	८
	बांसवाड़ा	२
	भरतपुर	२
	अजमेर	३
	सीकर	१
	पाली	१
		५१

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने रखा था उसको उसी रूप में नहीं रखा। वैसे मैंने पूछा था कि आई० ए० एस० ऑफिसर्स में कितने मेहता, कोठारी और भण्डारी हैं; प्रश्न के इस भाग को तो उड़ा ही दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : और सही तरीके से उड़ाया गया है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये, इसलिए उस भाग को उड़ाया गया है और जो प्रश्न अब रखा गया है उसी के संम्बन्ध में आप पूछ लें।

श्री रामकिशन : हरिजन, शूद्र और आदि कितने आई० ए० एस० ऑफिसर्स हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उनके सर्विस रेकॉर्ड में उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया हुआ होता है। हां, डोमिसाइल की तो बात उसमें होती है। उसके अलावा कौन कितने हैं, कितने नहीं, इस प्रकार से विस्तार की बात पूछना चाहें तो अलग से प्रश्न पूछ लें, मैं बता सकता हूं।

श्री रामकिशन : इनमें से प्रमोशन्स और डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट वाले कितने हैं, यह तो जानकारी होगी ही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्न में केवल जानकारी जिलेवार चाही गई थी, वह आपको दे दी। प्रमोशन्स और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंटवाली जानकारी मेरे पास नहीं है। ये तो यू० पी० एस० सी० के जरिये चुने जाते हैं।

श्री रामकिशन : मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछने का नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं कि इसमें जहां तक कि सिलेक्शन का सवाल है डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट तो एग्ज़ामिनेशन के जरिये यू० पी० एस० सी० के द्वारा किया जाता है। जैसे प्रमोशन का सवाल है तो वहां भी यू० पी० एस० सी० की तरफ से रिप्रेज़ेन्टेटिव आते हैं और उनकी सिफारिश के बाद गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की यू० पी० एस० सी० के पास मसला जाता है और उनकी एप्रूवल के बाद सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए अच्छा यह हो कि इस प्रश्न को हम एक संकुचित प्रश्न न बनायें।

श्री रामकिशन : जो रिकमन्डेशन है वह राज्य सरकार भी तो करती है।

Page No.21

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, राज्य सरकार नहीं करती है। सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके बाद यू० पी० एस० सी० सिलेक्ट करती है।

श्री रामकिशन : क्या राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑफिसर्स होते हैं।

श्री रामकिशन : कौन-कौन होते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी अपोइन्टमेन्ट्स और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है।

श्री रामकिशन : आमतौर पर चीफ सेक्रेटरी होता है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चीफ सेक्रेटरी तो होता ही है।

श्री रामकिशन : आपने कहा कि अपोइन्टमेन्ट्स सेक्रेटरी भी होता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्पेशल सेक्रेटरी भी नॉमीनेट किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या आपके यहां आई० ए० एस० ऑफिसर्स का सर्विस रेकॉर्ड नहीं होता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभी का होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या उनमें ये सारी चीजें मेन्शन नहीं होती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन सी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यही कि कौन है, किस जाति का है और कहां का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तादाद दी है मैंने कि कितने हैं। अब कोई हरिजन है या नहीं, यह अलग से प्रश्न के उत्तर में दिया जा सकता है। अगर यह प्रश्न पूछा जायेगा कि इसमें कितने हरिजन हैं तो उसका जवाब दे सकते थे। तादाद की तो सूचना दे दी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर एक आई० ए० एस० ऑफिसर का सर्विस रेकर्ड होता है और उसके अन्दर यह जरूर मेन्शन होता होगा कि वह किस डिस्ट्रिक्ट का है और किस कॉम्युनिटी का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सर्विस रेकार्ड के अन्दर वह किस स्टेट का डोमीसाइल है, सिर्फ इस बात का जिक्र होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इन आई० ए० एस० ऑफिसर्स में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार अनुपात उतना कायम रख रहे हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह ऑल इन्डिया सर्विस है और ऑल इन्डिया रिजर्वेशन की दृष्टि से देखा जाता है और उसी आधार पर इसका फैसला होता है। स्टेट टू स्टेट कितना हो, क्या हो; इसका प्रश्न इससे नहीं जुड़ता।

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर) : वह तो सहानुभूति के लिए पूछ लिया गया है।

श्री रामकिशन : इस दृष्टि से पूछा गया है कि आदिवासी और दलित वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाता है या नहीं। किसी के प्रति मुझे कोई द्वेष नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चंडावत।

टूरिस्ट बंगले

५८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में टूरिस्ट बंगले किन-किन स्थानों पर हैं ? टूरिस्टों से प्राप्त किराये की आमदनी से इनकी व्यवस्था का खर्च निकल जाता है या सरकार को खर्च करना होता है?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि इन बंगलों में कोई केन्टीन जैसी व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी रहती है ? क्या सरकार कोई इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा): (१) राजस्थान में टूरिस्ट बंगले निम्न स्थानों पर हैं:—

जयपुर, उदयपुर, अजमेर और माउन्ट आबू। इनकी आमदनी से खर्च निकल जाता है।

(२) जी हां, जयपुर और उदयपुर में केन्टीन जैसी व्यवस्था कर रखी है। अजमेर और माउन्ट आबू में केन्टीन की व्यवस्था की जा रही है जो शीघ्र ही प्रारंभ हो जायेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या सरकार को जानकारी है कि टूरिस्ट बंगलों का मिसयूज़ किया जाता है। उनमें बारातें ठहराई जाती हैं, ऑफिसर्स ठहरते हैं और कॉन्फ्रेन्सेज़ की जाती हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो जानकारी नहीं है, लेकिन आपका जो प्रश्न है वह स्कोप के बाहर का है। आमदनी के बारे में और खर्चे के बारे में कि घाटा रहता है या नफा, तो मैंने कहा कि जहां दो जगह केन्टीन्स चल रही हैं वहां तो ठीक है और मिसयूज़ तो बंगलों का नहीं होना चाहिये, टूरिस्ट बंगलों में बारातें नहीं ठहराई जा सकतीं। पहले कहीं ठहर गई होंगी जब हमने चार्ज नहीं लिया था। वह बात दूसरी है। माउन्ट आबू और अजमेर का अब चार्ज लिया है, उनकी बिल्डिंग्ज़ में कुछ रिपेयर्स वगैरह थीं जिसकी सूचना पी. डब्ल्यू. डी. को दे दी है और वहां भी अब केन्टीन चालू करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : टूरिस्ट्स जहां ठहरते हैं वहां कॉन्फ्रेन्सेज़ के लिये ठहराना मुनासिब है या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ५९

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल सारस्वत

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

Page No.23

राजस्थान रोडवेज़

६०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान रोडवेज़ पर आज तक कितनी रकम लगाई (इन्वेस्ट) गई है और किस पर्सेन्टेज से रिटर्न मिल रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि नई बसें खरीदने के लिए सरकार ने किसी बैंक से कर्ज़ लिया है ?

उप-मंत्री, परिवहन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : राजस्थान रोडवेज़ पर इन्वेस्ट की गई रकम तथा रिटर्न के पर्सेन्टेज के आंकड़े वर्षवार निम्नप्रकार हैं:—

एक माननीय सदस्य : जोर से बोलें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : स्थिति वर्ष १९६०-६१

योग लागत पूंजी	६१,५४,८२८
पूर्ण लाभ	१२,५०,५३६
घिसाई	६,४५,७३९
ब्याज	१,११,१०३
शुद्ध लाभ	४,९३,६९४

शुद्ध लाभ ५.४० प्रतिशत ।

स्थिति वर्ष १९६१-६२

योग लागत	१,१४,१२,४०८
पूर्ण लाभ	१३,१४,२५७
घिसाई	११,०९,८६१
ब्याज	२,१७,०१०
शुद्ध हानि	१२,६१४

(२) अभी तक राजस्थान सरकार ने बैंक से कोई कर्जा नई बसें खरीदने के लिये नहीं लिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राज्य सरकार ने दूसरी स्टेट रोडवेज़ से यह मुकाबला किया है कि हमारा जो डिविडेन्ड आ रहा है यह पर्सेन्टेज यू. पी. और पंजाब की रोडवेज़ से कैसा है ?

श्री अध्यक्ष : स्टेट एन्टरप्राइज़ पर एक रोज बहस रखी है, उस समय इस प्रश्न को उठाया जाय तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसकी रिपोर्ट तैयार होती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेन्ट है । उस बहस के लिए स्टेट रोडवेज़ में कॉमर्शियल एकाउन्ट्स मेन्टेन किये जाते हैं और उसकी बैलेन्स शीट निकलती है, तो वह बैलेन्सशीट और कॉमर्शियल रिपोर्ट गवर्नमेन्ट पब्लिश कराती है या नहीं ।

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): पब्लिश नहीं कराती है ।

श्री भैरोंसिंह : कम से कम सदन के सदस्यों को तो बताया जाय ताकि उस पर पूर्णतया विचार किया जा सके । अगर पब्लिश नहीं कराते हैं तो उसकी पूरी बैलेन्स शीट आती होगी कि जो एक्सपेन्डीचर हो रहा है वह किन-किन आइटम्स पर हो रहा है । बाकी के जो एन्टरप्राइज़ेज हैं उनके बारे में बैलेन्सशीट और आडिट रिपोर्ट तैयार होती है । इसी तरह से इसकी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए । जो भी रिपोर्ट इस तरह की सरकार के पास में है वह सदन में रखी जाय ताकि सदस्य उसको देख सकें ।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका उत्तर मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : यह तो सुझाव था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे देंगे या नहीं इस पर बहस आ रही है, इसलिए we should know it.

श्री हरिश्चन्द्र : I will consider the question.

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

सब-डिविजन मालपुरा में रिसेटलमेन्ट

६१. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सब-डिविज़न मालपुरा में कोई रिसेटलमेन्ट करवाया गया था ? यदि हां, तो किस साल में ?

(२) क्या यह सही है कि उस सेटलमेन्ट को उसी समय इम्प्लीमेन्ट नहीं किया गया और आज दिन तक भी उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि इस समय वहां पर काश्तकारों को नोटिस दिये जा रहे हैं और उनको वेदखल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है ?

(४) क्या यह सही है कि वहां पर अभी तक पर्चे नहीं दिये गये हैं जिससे वहां तहसीलदार काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर तो आ गया है लेकिन इसमें और सूचना की आवश्यकता है; इसलिए इसको आगामी टर्न पर रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

कोटा में प्रिसीशन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्ट्री

६२. **श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर): Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(1) Whether the Government of India has started constructing Precision Instruments Factory at Kota ?

(2) If not, when it is expected to do so ?

उप-मन्त्री, कृषि(श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) No.

(2) The Government of Rajasthan cannot say anything precisely in regard to the duration of time the factory may take in its construction as the matter concerns Government of India.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या कारण है कि जिससे यह काम शुरू नहीं हो रहा है और कितना जल्दी शुरू हो जायगा ताकि उससे राजस्थान की जो तरक्की होने वाली है और राजस्थान की जनता को जो लाभ मिलने वाला है, जो रोजगार मिलने वाला है, उसका राज्य सरकार से कन्सर्न है और उसकी राज्य सरकार को जानकारी करनी चाहिए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके बारे में साइट वगैरह जो कन्सर्न्ड होते हैं, वह उन्होंने देखली है और एप्रूव कर ली है । इसके मैप्स रशिया में तैयार हो रहे हैं क्योंकि यह पार्टी रशियन पार्टी है । तैयार होने के बाद में काम चालू होगा । जो इन्फोर्मेशन थी वह दे दी गई है ।

प्रश्न संख्या ६३

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४

श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

पलाना लिग्नाइट माइनिंग बोर्ड

६५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): Will the Minister for Mines be pleased to state:—

What progress has been made so far with respect to the open cast mining of Lignite at Palana (Bikaner)?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, राजकीय संस्थान): Palana Lignite Mining Board has been formed and a Chief Mining Engineer, Palana (Bikaner), has been appointed and necessary action for appointing other officers is also being taken. The Chief Mining Engineer is preparing the Project report. In the meantime core drilling and geological mapping is in progress to determine extension of coal seams in the neighbouring areas.

According to programme approved by the Coal Adviser to the Government of India, production would be possible by the end of 1967.

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले बजट अधिवेशन के अवसर पर यह बात नोटिस में लाई गई थी कि वहां पर काम की मशीनरी जो कि बहुत जरूरी है, उनके नहीं आने की वजह से काम रुका हुआ है और वहां के टेक्निकल ऑफिसर्स ने इस बात के लिए कई बार गवर्नमेंट को कहा है कि वह मशीन मंगवा ली जाय। उसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो मशीन मंगाने के लिए गवर्नमेन्ट ने क्या किया? उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि ड्रिलिंग ट्रिग्स पहले एक थी उसके स्थान पर दो और मांगी गई हैं। इसके अलावा दूसरी और मशीनें आई हैं जो कि बोरिंग के लिए हैं। वे अपना काम कर रही हैं। इनकी प्रोग्रेस यह है कि ये तीनों-चारों बराबर चल रही हैं। इनके डिटेल्स आप चाहेंगे तो बता दूंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ड्रिलिंग ट्रिग्स के लिए ऑर्डर कब दिया गया?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऑर्डर का मालूम नहीं है लेकिन जो काम चालू किया है उसकी डेट्स मैं बता सकती हूं; २९-७-६१ और २५-९-६१।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि ड्रिलिंग ट्रिग्स दो नहीं हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वे काम में लगी हुई हैं।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब फाइनल लिखी जा रही है और

Page No.26

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन से और प्रोजेक्ट एप्रूव होने की हम उम्मीद करते हैं। वह मंजूर हो जायगी, उसके बाद में ओपन कास्ट के लिए मशीनरी चाहियेगी। उसके लिए टेण्डर्स वगैरह इन्वाइट करके फिर मंगानी पड़ेगी। ड्रिलिंग ट्रिप्स वगैरह तो प्रिलिमिनरी इस बात की जांच करने के लिए है कि कितना कोल वहां पर है और उसको निकालने के लिए बड़ी ऑर्डीनरी टाइप की मशीनरी मंगाई गई हैं। बाकी ओपन कास्ट के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी जा रही है। चीफ इंजीनियर उसको लिख रहे हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जायेगी और वहां से एप्रूवल होने के बाद में वह होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने कहा कि वर्क की रिपोर्ट तैयार हो रही है, ड्रिलिंग के बाद में ओपन कास्ट करें या नहीं, उसका बाद में निर्णय होगा..................

श्री नाथूराम मिर्धा : ओपन कास्ट करना है, यह तो निर्णय हो चुका है। ओपन कास्ट करने के लिए क्या क्या मशीनें चाहिएंगीं, कितना खर्चा होगा उसके सारे डिटेल्स उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होंगे। उसका एस्टीमेट वगैरह तैयार होकर वह प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार की मिनिस्ट्री के एप्रूवल के बाद यह सारी कार्यवाही हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सैकण्ड फाइव ईयर प्लॉन में इस स्कीम को लिया गया था। उस समय भी इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सजेशन दे दिया गया था, क्या यह सही है?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सजेशन था कि इस तरह से ओपन कास्ट करने से यह लाभ होगा। ओपन कास्ट के टेक्निकल डिटेल्स—कितनी मशीनरी चाहियेगी, कितना सारा सामान चाहियेगा, कितना एक्सपेन्डीचर होगा वह सारी रिपोर्ट लिखी जा रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस माइन को ओपन कास्ट करके चलाने की योजना बनी थी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं किया जा सका और अब तृतीय पंच-वर्षीय योजना में भी पौने तीन करोड़ रुपया रखने के बावजूद भी सफिशियेन्ट स्पीड से प्रोग्रेस नहीं चल रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले से प्रोग्रेस हो रही है और अब प्रोग्रेस तेजी से चलेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में शुद्धि करने सम्बन्धी विद्युत मंत्री का वक्तव्य

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं। क्वेश्चन नं० ४२ में मैंने यह कहा था कि १२ पर्सेन्ट रिटर्न होना चाहिए ऐसे कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट पर किसी लोकेलिटी को इलेक्ट्रीफाई किया जाता है तो वह १२ पर्सेन्ट सिटीज और टाउन्स के लिए है इन्क्लूडिंग डेप्रिसियेसन एण्ड इन्ट्रेस्ट। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये 3% in 10 years after deducting depreciation and interest.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपने १२ पर्सेन्ट सिटीज और टाउन्स के लिए कहा है; that is for industrial purposes or domestic purposes?

श्री हरिश्चन्द्र : Over all.

श्री मोतीलाल चौधरी : Then how are you selling electricity below cost production ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

(१२.०६ म. प.)

गंगानगर में पुलिस की हिरासत में एक युवक की मृत्यु सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन-प्रस्तावों की सूचना आई हैं; श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और माननीय सदस्य, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा द्वारा सूचना समय से बहुत देरी से आई और वह गंगानगर में पुलिस की हिरासत में एक युवक की मृत्यु से सम्बन्धित है। जिसका और कोई उल्लेख नहीं करके गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस पर प्रकाश डालें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, ४ अक्तूबर, ६२ को श्री सोडाराम को हिरासत में लिया गया था एक कत्ल के मुकदमे के सिलसिले में और उनको ४ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। ५ तारीख को एस. डी. एम., हनुमानगढ़ के सामने एक दर्ख्वास्त पेश की गई, जिसमें इस बात को जाहिर किया गया कि पुलिस कस्टडी में श्री सोडाराम के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। उस पर एस. डी. एम., हनुमानगढ़ ने मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिये हुक्म दिया और बहुक्म एस. डी. एम., हनुमानगढ़ श्री सोडाराम का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाया गया। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ कि श्री सोडाराम के शरीर पर तीन एब्रेशन्स आये हैं। उसके बाद में श्री सोडाराम को डॉक्टर के मुताबिक बुखार भी था और इसलिये उसको पुलिस थाने से ले जाकर हनुमानगढ़ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया...

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : पुलिस कस्टडी में या...

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस थाने से हटाकर अस्पताल में दाखिल कराया गया, वहाँ उसका ट्रीटमेंट चालू रहा। उसके बाद उनका डाइग्नोसिस किया गया और डॉक्टर ने कहा कि निमोनिया था, उनकी तबियत ठीक नहीं होने से हनुमानगढ़ के डॉक्टर की एडवाइस पर गंगानगर हॉस्पिटल में उनको भेज दिया गया। वहां पर ९ और १० तारीख की रात को उनका देहान्त हो गया। उसके बाद उनका पोस्टमॉर्टम कानून के हिसाब से कराया गया। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अभी तक पुलिस के पास नहीं आई और सोडाराम की लाश उनके रिश्तेदारों को दे दिया गया।

अब क्योंकि श्री सोडाराम पुलिस की टेक्निकल कस्टडी में थे, हालांकि उनको पुलिस की हिरासत से अस्पताल में भेज दिया गया लेकिन ५ तारीख को और ५ से ९-१० तारीख के बीच जब कि वे गुजरे, उसके बीच में वे अस्पताल में रहे; चाहे गंगानगर, चाहे हनुमानगढ़ में। इस तरह का तार कल रात को मुझे मिला, एसेम्बली का अधिवेशन खत्म होने के बाद और उसके ऊपर इमिजियेटली जाँच की गई। वायरलैस से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और जो इत्तला आई वह आपके सामने रखी है। पोस्टमॉर्टम की

(श्री मथुरादास माथुर)

रिपोर्ट आने के बाद सदन को इत्तला दे सकता हूं। लेकिन क्योंकि जो डॉक्टर की रिपोर्ट थी और जो एब्रेशन्स पाये गये उसमें डॉक्टर ने यह भी कहा है कि ये four days old हैं। फिर इस बात को देख कर हमारे ऑफिसर्स पर और मेरे दिमाग पर असर पड़ा कि इस तरह की हालत पुलिस कस्टडी में हो तो हम उसे बहुत सीरियसली देखते हैं। इसमें जो हालात बने हैं उनको देखते हुए मैंने एस.एच.ओ., हनुमानगढ़ को मोअत्तिल करने का हुक्म दिया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गंगानगर को हुक्म दिया है कि वे तुरन्त जांच करके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजें। रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या कदम होगा, रिपोर्ट आने के बाद कह सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, शव उस व्यक्ति का यहां विधान सभा के बाहर है, कुछ लोग हनुमानगढ़ से शव उठा कर यहां पर लाये हैं। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि उस बदकिस्मत की मौत निमोनिया से हुई बताई है। इस शव को डॉक्टर के पास भेजकर देखा जा सकता है, फेफड़े मौजूद हैं, क्या वह निमोनिया से मरा है या जरबात से मरा है......

श्री मथुरादास माथुर: मैंने यह नहीं कहा कि निमोनिया से मरा......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं निवेदन कर दूं...

श्री मथुरादास माथुर: जरा मेरी बात सुन लीजिये ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मुझे प्रार्थना करने दीजिये। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह लाश यहां अस्पताल में भेजी जाय ताकि वास्तविकता का पता लग जाय। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में यह पहली घटना नहीं है, इन्सानों पर झूठे मुकदमे बनाकर थाने के आंगन में बुरी तरह से पीटा जाता है, हत्या की घटनाएं हुई हैं। पिछले वर्ष थानेदार महावीरप्रसाद......

श्री अध्यक्ष: यहां पर दूसरे मसले उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): राजस्थान में ऐसी हत्याएँ......

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): जनता के सामने ऐसी कई घटनाएँ आ चुकी हैं। हमारा फर्ज हो जाता है कि जनता पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोकें......

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: Order please! एक सदस्य एक बार बोलें।

श्री अब्दुलजब्बार: इसी तरह से भीलवाड़ा में भी निमोनिया से मर गया, हनुमानगढ़ में निमोनिया से मर गया, निम्बाहेड़ा में निमोनिया से मर गया......

श्री अध्यक्ष: Order please! Order!!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): मैं निवेदन करना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : निवेदन मत करिये, शंका हो तो पूछिये । एक समय एक ही सदस्य बोलें । यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाय, यह मंशा है तो एक समय एक ही सदस्य बोलें ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब लाश सदन के बाहर आई है तो क्या उन्होंने तकलीफ की है खुद आंख से देखने की कि उसके जरवात हैं या नहीं ?

श्री श्योपतसिंह : उस थानेदार को एरेस्ट करना चाहिये था ......

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब सवेरे हम इस लाश को चांदपोल गेट से यहां एसेम्बली भवन ला रहे थे तो हमको पुलिस कोरडन ने चांदपोल गेट के बाहर रोक लिया । पुलिस के पास चिट्ठी थी जिसमें जीप के नम्बर थे । पुलिस वालों ने कहा कि एस. पी. के ऑर्डर्स हैं, यह जीप आगे नहीं जायगी । हमने कहा लाश जरूर जायगी, आप कुछ भी करिये । पुलिस ने कहा नहीं जायगी । उन्होंने हमको धक्के मारे । हमने कहा हम एम. एल. ए. हैं, फलां ग्रुप के लीडर हैं, हम लाश ले जायंगे । उन्होंने कहा एस. पी. के ऑर्डर्स हैं, किसी भी हालत में लाश नहीं जाने दी जा सकती । हमने कहा गोली मारदो, लेकिन हम जीप ले जायँगे । हमने वहां पर लेक्चर देकर जनता से कहा । जनता ने पुलिस को कोरडन करके हमको आगे बढ़ने दिया । इस प्रकार के जुल्म पुलिस द्वारा किये जायं और क्या आप यह नहीं चाहते कि आपकी नाक के नीचे पुलिस जुल्म करे और उसको हम जनता के सामने रख सकें । आप कुर्सियों पर बैठे हैं और हम अपोज़िशन में हैं । आपके छोटे छोटे सिपाही हमको धक्के दें और हमको जलील करें ! आपके सिपाही जिसके नम्बर १४१४ हैं उसने हमको धक्के देकर कहा कि जीप को रोक दिया जाय । हम जानना चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस तरह का व्यवहार एम. एल. एज़. के साथ करें, यदि इस तरह का व्यवहार एम. एल. एज़. के साथ करेंगे तो क्या यह सदन की प्रिविलेजेज़ के खिलाफ नहीं है, क्या यह सदन की इज्जत के खिलाफ नहीं है, क्या यह सरकार की इज्जत के खिलाफ नहीं है और क्या यह प्रजातंत्र की इज्जत के खिलाफ नहीं है ? मुख्य मंत्रीजी जवाब दें कि इस बारे में उनको क्या कहना है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं ।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order please । आप शान्ति रखिये । एक साथ न बोलें । मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी की भी मृत्यु हो उसके बारे में प्रत्येक को दुःख होता है, हमको भी उतना ही दुःख है । रहा सवाल यह कि जो कुछ घटना हुई है उसके बारे में सही हालात का पता लगाया जाय और यदि कोई दोषी हो तो उसको दंडित किया जाय, इस बारे में गृह-मंत्रीजी कह चुके हैं ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अभी यहां पर रायसिंहनगर से आये हुए माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो पोस्टमॉर्टम वहां हुआ है उससे संतोष नहीं है। वे चाहते हैं कि यहां जनरल हॉस्पिटल में भेज कर उसके बारे में फर्दर जांच की जाय। तो मैंने गृह मंत्रीजी से पूछा है। उनको इस बारे में कोई ऐतराज नहीं है कि उसको वहां भेज कर उसके बारे में जानकारी की जाय। जो कार्यवाही अब तक की गई है उसको सस्पेन्ड करने की, प्राइमाफेसी जो मेटीरियल है, उसको देखते हुए। गवर्नमेंट किसी चीज को छिपाना चाहती है, यह कतई मन्शा नहीं है। रहा सवाल यह कि पुलिस के किसी कॉन्स्टेबल ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया ह– एम. एल. ए. के साथ ; अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए दुःख है। हम नहीं चाहते कि किसी एम. एल. ए. के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो। जो नाम आपने बताया है उसकी फर्दर इन्क्वायरी होम मिनिस्टर करेंगे और उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र ही की जायगी।

श्री श्योपतसिंह : माननीय अध्यक्ष.......

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जानना चाहता हूं..........

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, गृह-मंत्रीजी ने पोस्टमॉर्टम के सम्बन्ध में कहा कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सदन के बाहर आपने वायर-लेस के द्वारा भी मालूमात की। इस प्रश्न का लब्बे-लिवाव इस पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट पर निर्भर है। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय की यह बहुत बड़ी चूक है, भूल है कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अभी तक उनके पास उपलब्ध नहीं है। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट उनको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, उस पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के लिए मैंने खुद ने तहसील से आज सुबह पूछा। उसने कहा कि डॉक्टर ने अभी तक रिपोर्ट भेजी नहीं है। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट ज्यों ही आ जायगी डॉक्टर से, उसके बाद ही डिलीवर हो जायगी और मैं.........

श्री मुरलीधर व्यास : उस डॉक्टर........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस रिपोर्ट को क्यों छिपाया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : इसके अन्दर लूप होल की सम्भावना हो सकती है। यह सन्देह जायज़ है क्योंकि जब ऐसी घटनायें होती हैं तो डॉक्टर डर के मारे बिल्कुल डीमोरेलाइज़ हो जाता है नेतागिरी के द्वारा और कभी-कभी ऐसी पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट करने से डरते हैं। इसलिए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट होना परमावश्यक है। इस मर्डर की जानकारी, जो गृह-मंत्रीजी ने प्राप्त की है, के साथ पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट न आने का कारण महत्वपूर्ण है और यह उनकी बड़ी सख्त भूल है। इस बारे में मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे शीघ्रातिशीघ्र पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट प्राप्त करें और यह भी जानकारी प्राप्त करें कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट डॉक्टर के द्वारा देने में क्यों देरी हुई है ?

Page No.31

श्री मुरलीधर व्यास : जब.....

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री श्योपतसिंह: अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष: Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल: चौबीस घंटे में रिपोर्ट आ जानी चाहिए।

श्री श्योपतसिंह: अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी मारा गया है, उस सिलसिले में मैं थोड़ा डिटेल्स बताना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष: डिटेल्स अभी बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्योपतसिंह: गरीब आदमी मारा गया है उस सिलसिले में हाउस में जो रिपोर्ट मिली है, उसमें गृह मंत्रीजी ने बताया है कि ४ तारीख को उसे अरेस्ट किया गया है, यह गलत है......

श्री मथुरादास माथुर: आपका एडजोर्नमेंट मोशन भी यही कहता है।

श्री श्योपतसिंह: अध्यक्ष महोदय, इस गरीब को ४ तारीख तक पीटा है। एक तारीख को पीटने लगे हैं। एक तारीख को पीटा है, दो तारीख को पीटा है, तीन तारीख को पीटा है, चार तारीख को पीटा है। लगातार चार दिन तक उसे पीटते रहे। हनुमानगढ़ शहर के ईमानदार लोगों ने और मैंने भी थानेदार से एप्रोच किया कि इस गरीब को क्यों पीटते हो ? मगर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। पांच तारीख को वह गरीब बेहोश हो गया। उसके बाद थानेदार एक रेड़ी पर डलवा कर उसको घर छोड़ आये। उसकी मरने की हालत थी, इसलिए उसके घर वाले उसको लेने को तैयार नहीं हुए और वे उसको रेड़ी में डालकर वापस थानेदार को सौंप आये। उसके बाद में मैं और मेरे साथी हैं वे एस. डी. एम. के पास गये। और कहा कि सोडाराम पुलिस की पिटाई से बेहोश है डाइंग डिक्लेरेशन लिया जाय। उन्होंने इस बारे में एस. एच. ओ. को लिखा कि वे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से उसकी फौरन रिपोर्ट मुझे दी जाय; क्योंकि जो लोकल डॉक्टर था वह मौजूद नहीं था, छुट्टी पर था इसलिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की रिपोर्ट भेजी गई थी। यह भी कहा गया कि मरने जैसी उसकी हालत है, क्योंकि उसको बहुत पीटा गया इसलिए उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया जाय। एस. एच. ओ. ने असलियत को छिपाने के लिए उसकी गम्भीर हालत को नहीं बताया। डॉक्टर से मिलकर S.D.M. को मामूली बुखार और साधारण चोटों की रिपोर्ट दी गई। हमारी मांग है वह यह बात साफ है कि इस गरीब को पीटकर मारा है।

श्री लक्ष्मणसिंह: अभी पोस्टमॉर्टम हो सकता है।

श्री श्योपतसिंह: वह एक गरीब हरिजन है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हरिजन है ?

श्री श्योपतसिंह: धानिका हरिजन है। हमें शंका है कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट सही नहीं आयेगी, क्योंकि जो थानेदार के रिश्ते-

(श्री श्योपतसिंह)

दार हैं वे उसके दोस्त हैं; वे इस तरह के एप्रोच करने में लगे हैं कि पोस्टमॉर्टम की सही रिपोर्ट पेश नहीं हो। मैं मुख्य मंत्रीजी से अपील करूंगा कि वे खुद जाकर चोट देखें कि वे किस तरह की चोटें हैं। हम इस बात के लिए यहां लाये हैं कि उसका पोस्ट-मॉर्टम कराया जाय और सारी बातों को देखा जाय। इसी बात के साथ साथ माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है कि उस थानेदार को सस्पेन्ड कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि उसको पीट कर मारा गया है। इस हालत में जो थानेदार है उसके खिलाफ दफा ३०२ के अण्डर में मुकदमा दर्ज कराया जाय और सेशन कोर्ट में मामला दिया जाय। वह वहां नहीं दिया जाय जहाँ उसका सर्कल है; नहीं तो उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त उसके मुकदमे की पैरवी कर खारिज करा देंगे और इस गरीब की मौत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल: मुख्य मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है......

श्री मुरलीधर व्यास: मैं पूछना चाहता हूं.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा......

श्री अध्यक्ष: Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल: ऐसी दो घटनायें हो चुकी हैं। मेरा प्रश्न है......

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं होगा। अब......

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि उस सिपाही के पास उस जीप का नम्बर कैसे आ गया; उन्होंने कहा कि सिम्पल इन्क्वायरी करा दी जायगी कि गवर्नमेंट ने इन्स्ट्रक्शन भेजे, या एस. पी. ने भेजे......

श्री अध्यक्ष: Order please ! माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उसके पास जो ऑर्डर पहुंचा वह किस तरह से पहुंचा ? किसने पीछा करवाया ? गवर्नमेन्ट ने...

श्री अध्यक्ष: Order please ! अब कोई जानकारी नहीं चाही जायगी। इस पर काफी बहस हो चुकी है और मुख्य मन्त्रीजी और गृह मंत्रीजी ने इस बात को...

श्री मुरलीधर व्यास: मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है और मुख्य मंत्रीजी को कहा गया है...

श्री अध्यक्ष: Order please ! Order please !! देखिये, जितनी बहस होनी चाहिए वह...

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर और समय दिया जाय और...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मामला बहुत गम्भीर है। उसको सस्पेन्ड कर दिया है और ३०२ में मामला दर्ज हो चुका है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता...

(अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट का एटीट्यूड इस मामले में बहुत खराब है; वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: थानेदार को गिरफ्तार किया जाय। ३०२ में मामला दर्ज किया जाय ।

(अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां उस लाश को नहीं लाने दिया...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात का तार गृह मंत्रीजी को दिया, आई० जी० पी० को दिया और एस० पी० को मिला । लेकिन कॉन्स्टेबिल को नहीं मिला । ड्यूटी पर खड़े हुए इस थानेदार को किसने कहा कि जीप को रोके ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, जांच के बाद में यह स्पष्ट होगा कि किसने किया है, किसने कहा है और यह क्या अनधिकृत था या क्या था । आपको आश्वासन मिल चुका है कि सारे मामले की जांच की जायगी । किसी माननीय सदस्य को दु:ख हुआ है, तकलीफ हुई है या कोई गलत कार्यवाही हुई है . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसको ३०२ में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ?

अनेक माननीय सदस्य : आप जांच करायेंगे, वह जांच गलत ढंग से होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी पुलिस कॉन्स्टेबल्स के खिलाफ इतनी शिकायतें हैं...

श्री मुरलीधर व्यास: यह वही थानेदार है जिसने ढाणियों को जलाया, इतने अत्याचार किये । इसकी अत्याचारों की जांच नहीं करायेंगे ? माननीय सदस्यों की समिति से जांच चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष: Order please !
Order please !!

श्री मुरलीधर व्यास: यह एडजोर्नमेन्ट मोशन ऐसा है.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार की गिरफ्तारी का हुक्म होना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है । अभी मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का आश्वासन दिया है, उस आश्वासन से सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है । माननीय गृह मंत्रीजी ने यह अवश्य बताया कि उस एस. आई. को सस्पेन्ड किया है । लेकिन अभी, जैसा हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह मरीज हॉस्पिटल में एडमिटेड था और उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया । इस डाइंग डिक्लेरेशन को लिखवाने की जिम्मेदारी प्राइमरिली डॉक्टर की है जो इन्चार्ज होता है । उस डॉक्टर ने उसकी मौत के समय किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कन्सर्निंग मजिस्ट्रेट को सूचना यदि नहीं दी है तो वह डॉक्टर भी उतना ही कुसूरवार है जितना कि एस. आई. कुसूरवार होता है, जिसकी कस्टडी में मुलजिम मारा गया । मैं सरकार से चाहूंगा कि जिस डॉक्टर ने अब तक पोस्ट-मॉर्टम की रिपोर्ट नहीं दी है और जिसने इस सम्बन्ध में डाइंग डिक्लेरेशन को रेकॉर्ड करने में गुरेज की है उसको सस्पेन्ड किया जाय

(श्री भैरोंसिंह)

और जितना हॉस्पिटल का इस सम्बन्ध में रेकॉर्ड है उसको तुरन्त जब्त किया जाय। वह इसलिए किया जाय, क्योंकि राजस्थान में इस तरह के केस आये हैं जिनमें डॉक्टर और पुलिस— इन दोनों ने मिल कर हॉस्पिटल में या पुलिस की हवालात के अन्दर कत्ल किये हैं और डॉक्टर के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का वारन्ट इश्यू किया है। आप चाहें तो आपके डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की रिपोर्ट पेश करता हूं जिसके अन्दर यह सिद्ध किया गया है कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट दी है और मुलजिम के एडमिशन को गलत बताया है, और डॉक्टर ने मौत को छिपाने के लिए रेकॉर्ड फर्जी बनाया है। मैं चाहूंगा कि उस सब रेकॉर्ड को जब्त किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि इसकी इन्क्वायरी करा ली जायगी, हमें 'इन्क्वायरी' शब्द से संतोष नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि इस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए बोर्ड अपोइन्ट किया जाय और वह उसका पोस्टमार्टम करके इस सदन को अपनी रिपोर्ट पेश करे।

जहां तक पुलिस कॉन्सटेबल का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यह सारे सदन की मान-हानि है। ये हमारे राइट्स और प्रिविलेजेज हैं कि हमारी और जनता की जो ग्रीवान्सेज हैं उनको हम सरकार के सामने रखें और हम अपने राइट्स और प्रिविलेजेज का उपयोग करें, जो ज्यादतियें हैं उनको सरकार की दृष्टि में लावें। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा उपस्थित करता है तो यह कोई डी. आई. जी. या कोई अन्य अधिकारी के इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं है और न वह इन्क्वायरी कर सकता है: यह प्रश्न तो हमारे प्रिविलेजेज का है। इसके लिये इस सदन की प्रिविलेज कमेटी ही जांच कर सकती है और वही करे कि किस आदमी ने इसका विरोध किया है और जिस कारण से वे डेड बॉडी को लाकर सदन में नहीं पहुंचा सके।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ कहा गया उसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि जिस थानेदार ने जुल्म किया है उसको सजा दी जावे। जिस थानेदार के बारे में यह बात आई है उसने कई घटनाएँ की हैं। मैंने जिस व्यक्ति की जेब से रुपये निकालने की बात पहले सदन में कही थी और उसका सारा केस आपके सामने रखा था, वह यही थानेदार था। इसने अपना धन्धा सा बना रखा है। किसी भी राह चलनेवाले को बुला लेता है और उसके पास जो कुछ पैसा होता है। लूट लेता है और उनको छोड़ देता है। इसने ऐसे अनेक केसेज किये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार डी. आई. जी. और कलेक्टर को भी बताया है कि यह किस तरह से कार्य करता है। उसकी दर्ख्वास्त भी अभी गृह मंत्रीजी के पास ही है। प्राइमाफेसी केस बन चुका है। इसके अलावा इसको एक तारीख से इतने दिनों तक रखा और उसके बाद हनुमानगढ़ से गंगानगर भेजने का कोई कारण नहीं था। उसकी हालत खराब थी। कहते हैं कि उसको निमूनिया हो गया तो निमूनिया में उसको कहीं नहीं भेजा जा सकता है। वास्तव में उसको मारने से उसकी हालत खराब हो गई थी इसलिये उससे बचने के लिये उसको वहां भेजा गया।

Page No.35

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसलिये हमें संतोष इससे हो सकता है कि इसको सस्पेन्ड न करके फौरन गिरफ्तार किया जावे, क्योंकि अगर कोई दूसरा आदमी इस तरह का जुर्म करता तो पुलिस उसको फौरन गिरफ्तार कर लेती। इसलिये चाहे वह पुलिस का एस. एच. ओ. हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसने बुरा काम तो किया ही है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उसको सस्पेन्ड न करके फौरन गिरफ्तार करना चाहिये, ताकि आगे से होने वाली कार्यवाही जल्दी और अच्छी तरह से हो सके।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): तीन जगह चोटें आपने बताई; किन किन स्थानों पर कितनी लम्बी चौड़ी चोटें थीं ?

श्री मथुरादास माथुर: यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय उसको गिरफ्तार किया गया था उस समय एरेस्ट मीमो बनाया गया होगा। बीमार था तो डॉक्टर के पास भी भेजा गया होगा। उसकी रिपोर्ट भी होगी, डॉक्टर ने लिखा है कि चार दिन पहले की चोटें थीं। उसके बाद जब मरा उस वक्त रिपोर्ट बनाई होगी और उसके रिश्तेदारों से वेरीफाई कराया होगा। यह सब तो पुलिस तैयार करती रही है। अब जो पोस्टमार्टम कराने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करूंगा कि लाश यहां पर आ गई है इसकी तहकीकात यहां पर हो सकती है। यहां पर अच्छे मौतबिर मिल सकते हैं, इसकी रिपोर्ट अच्छी तरह से तैयार हो सकती है। चोटें मौजूद हैं सभी लोगों की जानकारी में हैं उनको कोई छिपा नहीं सकता।

इसके साथ ही साथ माननीय सदस्य, किशनपोल से आने वालों ने अपने विचार रखे कि मेडिकल बोर्ड नियुक्त होना चाहिये, जो पोस्टमार्टम करके अपनी रिपोर्ट दे। ऐसा देखा गया है कि कई लोग आपस में इन्ट्रेस्टेड हो जावेंगे इसलिये ऐसा बोर्ड मुकर्रर किया जावे जो निष्पक्ष रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करे। इसलिये अगर बोर्ड कायम हो तो वह अपनी राय जल्दी दे सकता है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह यह था कि जब यहां पर उसकी लाश को लाया गया तो रास्ते में पुलिस ने रोका। यह गैरकानूनी हरकत पुलिसमैन के द्वारा की गई। यह उसने की लेकिन उसको उसके लिये प्रोवोक किसने किया? इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर इसके लिये आई० जी० पी० पर इसकी जांच की जिम्मेदारी छोड़ दी जावे, तो उचित नहीं होगा। वे तो प्रोम्प्ट करने वाले हैं इसलिये जो भी सुझाव हाउस के सामने आये हैं उनके अनुसार होम मिनिस्टर को चाहिये कि इसकी जांच की जावे और रिपोर्ट सदन में पेश करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह पुलिस कस्टडी में मर्डर किया गया है, इसलिये ३०२ ताजीरात की फर्याद एस. एच. ओ. के खिलाफ दर्ज की गई है, मगर उसके बावजूद भी कोई ३०२ के जुर्म के अन्दर कार्यवाही करनी चाहिये, जो नहीं की गई। उसको फौरन गिरफ्तार करना चाहिये। ३०२ में प्रोविज़न है कि अगर किसी ने मर्डर किया हो या सस्पेन्शन हो तो उसको फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिये। तो जो जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के सेपरेशन की बड़ी-बड़ी बातें करते थे और जिन्होंने बहुत शोर और शराबे से सेपरेशन की बातें कही थीं और आप एडमिट करते हैं कि डैथ पुलिस कस्टडी में हो गई है तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस थानेदार को फौरन हवालात में रखा जावे और माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें; अन्यथा मजबूर होकर विरोधी सदस्यों को सख्त कदम उठाने होंगे।

दूसरी बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्क्वायरी सौंपने के संबन्ध में है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने ताजीरात के सारे केसेज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पर्व्यू से हटा कर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को सौंप दिये हैं तो फिर यह एक केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों दिया जावे ? मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जो राजस्थान हाई कोर्ट के नीचे है उसको सुपुर्द किया जाना चाहिये था किसी मुन्सिफ को नहीं सौंपना चाहते तो किसी डिस्ट्रिक्ट जज को यह इन्क्वायरी सुपुर्द की जानी चाहिये थी। इसलिये दोनों प्रश्नों पर माननीय गृह मंत्री का मैं स्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो मामला आया है उसमें यह कहा गया है कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है।

(विराम)

इस पर सख्त कदम उठाये जाने चाहिये और रिपोर्ट नहीं आई है, इसका कारण सदन के सामने आना चाहिये।

दूसरी बात यह कही गई कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड कर दिया गया है, यह संतोषजनक बात नहीं। मैं आपको इस विषय में हाल की ही एक नजीर देना चाहती हूं कि किस तरह से पुलिस के कर्मचारी ज्यादतियें करते हैं। कोटा में एरोड्रोम के सामने से जाते हुए एक ट्रक को पुलिस अधिकारियों ने रोका। वह नहीं रुका और निकल गया। दूसरा ट्रक तैयार करवा कर पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और दरा पर पहुंचकर ड्राइवर को और कन्डक्टर को बहुत बुरी तरह से पीटा। उन्होंने पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर से निवेदन किया, उन्होंने एस० पी० साहब को टेलीफोन किया उस पर उनको सस्पेन्ड किया; मगर जिस समय चीफ मिनिस्टर, कोटा में पहुंचे तो वहां के ड्राइवर लोग उनसे मिले कि पुलिस की ज्यादतियों से हम परेशान हैं–यह मामला ठंडा नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन लोगों (ऑफिसरों) को जिनको कि सस्पेन्ड किया था उनको इस विषय पर कि ड्राइवर लोग चीफ मिनिस्टर से मिल लिये हैं, वापिस बहाल कर दिया।

(विराम)

इसलिये सदन जानकारी चाहेगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी, यह साधारण बात नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस कस्टडी में किसी आदमी का मारा जाना और उसके लिये स्थगन-प्रस्ताव आने पर ट्रेज़री बैंच के लिये यह एक बहुत मामूली बात भले हो सकती है मगर इस प्रजातंत्र में जहां हर एक व्यक्ति

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

को नागरिक अधिकार है वहां किसी इन्सान को जानवर की तरह से पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और बेरहमी से मारा जाता है, और उसके शरीर पर जब जरबात आवें तो उसकी रिपोर्ट नहीं दी जाती है; यह कहां तक शोभनीय हो सकता है ? यह सब सदन के सदस्यों के लिए विचारणीय है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रस्तुत होता है, वह इस प्रकार का है; अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको स्वयं को मालूम ही है, सदन के प्रिविलेजेज़ की रक्षा करना। हो सकता है कि दूसरे लोग इस ओर ध्यान न दें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो संविधान आपको इसके लिये अधिकार देता है, मैं निवेदन करूंगा कि उसके अनुसार सदन के प्रिविलेजेज़ की रक्षा करने का भार आप पर है। मेरा आप पर पूरा विश्वास है कि सदन के सदस्यों के सामान्य व्यवहार पर पुलिस या किसी अन्य ऑफिसर द्वारा प्रहार किया जावे तो यह प्रश्न विचारणीय प्रश्न है; क्योंकि यह आवाज सदन के सदस्यों की ही नहीं, बल्कि राजस्थान की जनता की आवाज है। सदन के सदस्य ट्रेजरी बैंचेज़ के सामने, सदन के सामने उनकी आवाज को बुलन्द करके उनकी मांगों को रखते हैं। इसलिये जो व्यक्ति उन पर हाथ रखता है उसके प्रति कार्यवाही की जावे। अगर ज़ांच कमीशन बैठाया जाना जरूरी हो तो जांच कमीशन बैठाया जाना चाहिए। अगर डॉक्टर की गल्ती है तो उसके प्रति कदम उठाया जाना चाहिए, यदि ट्रेज़री बैंच के माननीय मंत्री का हाथ रहता है तो, अध्यक्ष महोदय, आपको जागरूक रहना चाहिये। आपको चाहिये कि आप हमारे प्रिविलेजेज़ की रक्षा करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्रिविलेजेज़ की रक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्वालाप्रसाद !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो दुख:पूर्ण घटना सामने आई है उसके लिये मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों का मन भारी है, निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर से लेकर सदन के हर सदस्य पर इस घटना का असर पड़ा है। वह असर यह है कि सबको दु:ख है। गृह मंत्री साहब की तरफ से भी जो चीज, तुरन्त कार्यवाही की गई, उसको हम एप्रीशियेट करते हैं। लेकिन इसके साथ यह सोचना है कि यह घटना एक उस गरीब के साथ ही नहीं हुई है, बल्कि हम यह कल्पना कर सकते हैं कि उसके भी कोई मां होगी, बहिन होगी, उसके घर के अन्दर कोई रिश्तेदार होंगे, उनको भी कोई दु:ख होगा। उनके दु:ख का यह अन्दाजा नहीं है कि एक घटना हो गई, उसकी मुजम्मत हो गई। मुजम्मत हुई है और होगी और सरकार की तरफ से होगी; पर उसके साथ यह सोचने की बात है कि यह घटना एक नहीं, इसी तरह की अजमेर में मसूदा के अन्दर हुई और उसके बाद ज्यूडिशियल इन्क्वायरी कराई गई तो डॉक्टर और पुलिस को मिला हुआ पाया गया.........

एक माननीय सदस्य : विजयनगर की घटना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am sorry, विजयनगर की घटना है।

तो सदन में यह दुःख-चिन्ता एक्सप्रेस हो गई, यह खत्म हुआ; पर आज हम चाहते यह हैं कि इस प्रकार की घटनाओं का आधार सरकार के लोग हैं, इसमें कोई पोलिटिकल पार्टीज़ का सम्बन्ध नहीं है, जो हमारी सरकार में जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं उनको कहता हूं कि इनको गलत ढंग से प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो आपसे अपील करूंगा कि इससे अधिक मौजूं चीज हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं हो सकती जिसके लिये एडजोर्नमेंट मोशन आये। आज ऑफिशियलडम हम पर चढ़ाई कर रहा है, उसको सब जगह रोकना है। एक आध नहीं, इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं। इनके सम्बन्ध में एक पॉलिसी ले-डाउन करनी होगी। मैं एक नहीं, १० इन्सटान्सेज़ देता हूं। इन पर रोक नहीं लगाई गई तो यह डेमोक्रेसी राजस्थान में बहुत खतरे में पड़ेगी।

वैसे मैं ड्यूटीज़ को एन्करेज करने की कोशिश करता हूं पर कुछ लोग इस तरह की दिक्कतें, मनमानियां करते हैं, उनको रोकने के लिये यह जरूरी है और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिये मैं आपसे अपील करता हूं कि यह एक मौका है, जिस पर एड्जोर्नमेन्ट मोशन अलाउ करें तो बहुत अच्छा हो।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस दुःखद घटना का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि सदन के कोई भी माननीय सदस्य इससे सहानुभूति नहीं रखते हों। मंत्री महोदयों के चेहरे भी गंभीर हैं। पर इसमें साहस और परम्पराओं की बात है। परम्परा का मौका है अब। एक मनुष्य मारा जाता है, एक मनुष्य की हत्या की जाती है, हत्यारे लोगों की गिरफ्तारी की बात है तो इसमें कौनसी दिक्कत गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के सामने है? उन्हें चाहिये कि सदन को विश्वास में लें। जिस तरह उन्होंने घोषणा की है कि उनको मोअत्तिल किया गया उसी तरह सदन की कार्यवाही एड्जोर्न करें। केस अदालत में जायगा तो कुसूरवार होगा तो सजा हो जायगी और कुसूरवार नहीं होगा तो छूट जायगा।

सदन के एक माननीय सदस्य के अपमान की कार्यवाही हुई। यह सारे सदन का अपमान है। यदि इस प्रकार की घटनाएँ घटती गईं तो एक दिन वह भी आ सकता है कि पुलिस के आतंक से सरकार का आगे बढ़ना बंद हो जाय, सरकार आगे बढ़ना छोड़ दे। तो माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष के नाते आपका कर्त्तव्य है कि हाउस के लोगों की एक कमेटी बैठायें। जिन लोगों ने ऐसा आचरण किया है, उनकी जांच की जाय और यह जो लाश लाई गई है उसका यहां पर पोस्टमार्टम कराया जाय और सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। हो सकता है कि सदन के माननीय सदस्य तो आपके तर्कों से प्रभावित हो जायं पर जनता पर बुरा असर पड़ सकता है, खासतौर से हरिजन की हत्या कर दी जाती है तो आम धारणा राजस्थान में फैली हुई है कि सब जगह सवर्ण लोग बैठे हुए हैं तो उनको कोई न्याय नहीं मिलता। आमतौर से मेरे जिले में देखता हूं कि हरिजन पिटते हैं;

(श्री रामकिशन)

तो या तो पुलिस चालान नहीं करती या चालान करती है तो आगे जाकर अपराधी छूट जाता है। इसमें अगर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई तो आम लोगों में यह धारणा बन जायगी कि एक हरिजन की, एक गरीब की हत्या हुई उसका कोई सहायक समर्थक नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस विभाग है। गृह मंत्रीजी भी मर्यादा में उनकी सहायता करने में तत्पर हैं। मुख्य मंत्रीजी परम्परा की बात करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा की शुरुआत करने का मौका है, सरकार इस समय इस परम्परा को स्थापित करदे कि कोई तथ्यपूर्ण घटना सदन के सामने लाई जायगी तो एड्जोर्नमेन्ट मोशन अलाउ किया जायगा।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तो सदन के जिन माननीय सदस्य का अपमान किया गया है, उसकी जाँच की जाय और दूसरे लाश यहाँ लाई गई है, डॉक्टर और पुलिस मिल कर गड़बड़ी कर रहे हैं, इसकी दुबारा जांच की जाय, दुबारा पोस्टमार्टम कराया जाय। तीसरे, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो हत्या के लिये जिम्मेदार है उसको गिरफ्तार करने की घोषणा करें। परम्परा का यह मौका है, इस समय लोकतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद की परीक्षा का प्रश्न है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर): माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने एक बहुत ही दुःखद घटना है, उसके बारे में कोई इन्कार नहीं कर सकता। अपोज़िशन और ट्रेजेरी बचेज़ के सेंटीमेंट्स आपके सामने रखे जा चुके हैं। इस घटना से हमें सदमा है। पर साथ ही साथ यह घटना हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। अगर थानेदार की ज्यादती से, पुलिस की ज्यादती से घटना हुई है तो इसके लिये गवर्नमेंट ने, गृह मंत्री ने, मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन सदन के सामने दिये हैं वे काफी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके बारे में मेरे कोई डिफरेंसेज़ नहीं हैं। लेकिन अगर यह मर्डर हुआ है तो पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाय और जो इस क्राइम के लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाय......

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): गिरफ्तार किया जाय।

श्री हरिप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस समय कहना है कि यदि पुलिस की मारपीट से, थानेदार की मारपीट से जान गई है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कदम उठाया जाय। लेकिन यह चीज तो है, एक गैरजिम्मेदारी का काम है, अगर किया गया है तो। लेकिन सदन को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिये। एक दुःखद घटना हो चुकी है और हम इसको पोलिटिकल इश्यू बनाते हैं यह सदन की हम डिग्निटी नहीं बढ़ाते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : It is not a political issue, my dear friend. It is a question of humanity We are only contesting for humanity.

(व्यवधान एवं शोरगुल)

Page No.40

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ही इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Certainly murder.........

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : वे अपने ये शब्द वापिस लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is a question of murder and you want to introduce politics into it.

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! Order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बेचारा गरीब मरा पड़ा है और आपको राजनीति सूझ रही है।

(व्यवधान)

श्री कुमारानन्द : शब्द वापिस लें।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बाहर की सूचना दे रहा हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष......

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नीचे पुलिस पिटाई कर रही है।

श्री हरिराम चौहान : उस लाश के सामने पुलिस के सब-इन्सपेक्टर और पुलिस के अफसर हज्जूम लगा कर खड़े हैं। पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, लोगों को आतंकित किया जा रहा है, बाहर जनता पर डंडे बरसाये जा रहे हैं और आप यहां इस प्रकार से फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिराम चौहान : जुड़ा हुआ प्रश्न है। मेरे सामने ही एक सब-इन्सपेक्टर ने एक के मुंह पर तमाचा लगाया है। आपको एक जांच कमेटी इसके लिए बैठानी चाहिये और उस जुल्मी थानेदार पर जिसने खून किया है, ३०२ का केस चलाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मुझे सबसे बड़ा दुःख यह हुआ। एक आदमी की जिन्दगी का दिया बुझ चुका है लेकिन उस लाश को शो-पीस करना चाहते हैं, उसका बड़ा दुःख है।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी आंखों में चर्बी चढ़ी है।

श्री मानसिंह महार : मानीय सदस्य 'शो-पीस' कहते हैं, यह हरिजनों के प्रति कांग्रेस के लोगों की कद्र है, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए आप लोगों ने यह किया है।

Page No.41

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please ! !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे यह साफ जाहिर है कि उन (ट्रेज़री) बेन्चेज़ की तरफ से यहां लाने का मना किया है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : करोड़पति इन्सान एक गरीब हरिजन को 'शो-पीस' कहता है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please ! जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं उनको सुन तो लीजिये।

(शोरगुल)

Order please ! Order please !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मैं कहूंगा...

श्री अध्यक्ष : Order please ! किसी माननीय सदस्य को सदन में बोलने का मौका न दिया जाय, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये। उनको बोलने दीजिये, उनको सुन लीजिये कि वे क्या कहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : दूसरा कोई बोलता है तो उसको नहीं बोलने देना है, यह आपका तरीका है !

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please !! Order please !!

श्री मुरलीधर व्यास : हम चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : Order p'ease ! कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें, चाहे वे किसी तरफ से बोलते हों, क्या उनकी भावनायें हैं, क्या उनके विचार हैं, यह सदन के माननीय सदस्यों को सुनना चाहिये। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति जब सदन में हो जाती है कि किसी को बोलने का मौका न मिले तो बहस नहीं चल सकती। आप उस पर नाइत्तिफाक या रोष प्रकट करें ; लेकिन जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको बोलने दीजिये। तर्क का जवाब तर्क से दे सकते हैं। मैं समझता हूं यह कभी आप भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनको बोलने न दिया जाय।

श्री हरिराम चौहान : हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जिस प्रकार की भाषा...

श्री अध्यक्ष : ऐतराज नहीं है तो बैठ जाइये।

श्री हरिराम चौहान : जयपुर के लोग लाश को देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस आतंकित कर रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

Page No.42

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, इज्जत के साथ निवेदन कर रहा था, हमारी मेजोरिटी होते हुए भी, हम जो डेमोक्रेसी का कायदा होता है और जो सदन की मर्यादाएँ होती हैं वे स्वीकार करते हैं, पर वे नहीं चाहते कि दो मिनट भी हम बोल सकें। आपकी आइडियोलोजी दूसरों की है, बाहर से आयी हुई है, हिन्दुस्तान की नहीं है, हम हिन्दुस्तानी हैं, हमने अपना संविधान बनाया है, संविधान हम भारतियों का बनाया हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम भी भारत-वासी हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह एक दुःखद घटना हुई, सारे लोगों की सद्भावनायें हैं, उस चीज से मतभेद नहीं है। यह निवेदन था कि एक आदमी की जिन्दगी खत्म हो चुकी है तो उसके प्रति डिग्निटी दिखाना चाहिये, जो बातें यहां कही गई हैं वे इस सदन में शोभा नहीं देतीं।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, हमें ऐतराज नहीं है। हम इतना ही चाहते थे, लाश को कोई नुमाइश के लिए नहीं लाये हैं कि कई इस प्रकार की डैड बोडीज होती हैं जिनको जला दिया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जैसा कई दफा होता है, बदल दी जाती हैं, इसमें भी वह न हो। इसलिए हम चाहते हैं कि सुरक्षित-रूप से लाश आ जाय, उसका फिर से पोस्ट-मार्टम हो जाय, हमारी जो भावना बनी है कि रिपोर्ट में गड़बड़ी होती है वह इस मामले में भी न हो सके। इसको नुमाइश के दृष्टि-कोण से नहीं लाये हैं। बीकानेर जेल में कई हत्याकांड हुए हैं, अनेक इस प्रकार की घटनायें हुई हैं...

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहस न बढ़ायें। विचार रख चुके हैं।

(विराम)

माननीय गृहमन्त्री।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सदन में जो चर्चा हुई और जिस तरह से रोष में लोगों ने कहा वह स्वाभाविक था। मैं आपको, अध्यक्ष महोदय और सदन को यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि हममें से कोई भी आदमी जो ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठनेवाले हैं उनको जो इस प्रकार की एक दुःखद घटना घटी है, उसके लिए जितना आपको दुःख है उतना ही हमें भी है। हम नहीं चाहते कि हमारे शासन में ऐसी घटना हो और मैं आपको यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि हम उसको रोकना चाहते हैं।

मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि सदन में यह मांग रखी गई है कि इस लाश का दुबारा पोस्टमार्टम, जो एक दफा हो चुका है, कराया जाय और वह भी मेडिकल बोर्ड से। मैं माननीय साथियों से निवेदन करूंगा कि बोर्ड के प्रश्न के बारे में मैंने हैल्थ मिनिस्टर से पूछ लिया है और वे भी चाहते हैं कि लाश को वहां फौरन भेज दिया जाय। ९-१० तारीख के बीच में इसकी डैथ हुई है, मॉर्टेसरेगर आने लगता है, देर से नतीजे पर पहुंचने में कठिनाई आयगी। बोर्ड में एक मेडिकल जूरिस्ट होगा, सवाईमानसिंह अस्पताल का एक फिजीशियन और एक सर्जन। सर्जन जी. सी. शर्मा को और फिजीशियन डॉक्टर सांघवी को नियुक्त कर देते हैं। आपको मंजूर होगा ?

एक माननीय सदस्य : डॉ० मेहता ।

श्री मथुरादास माथुर : वे तो जयपुर में नहीं हैं और डाइरेक्टर मेडिकल हैं । तो मैं उनको इत्तला करवा देता हूं । आध घंटे में वे तैयार होकर मिनेचर हाउस में पहुंच जावेंगे । आपकी जितनी इच्छा इसकी सच्चाई जानने की है उतनी ही तीव्र इच्छा मेरी भी है । अगर सच्चाई नहीं मिलेगी तो हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा । गलत चीज़ मालूम होगी तो हमको भी जांच में सुभीता होगा और कल्प्रिट को सजा देने में भी ।

(१ म० प०)

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के एस० पी० ने उस पार्टी से रिपोर्ट मांगी थी कि मुझे एफ० आई० आर० दे दो । मुकदमा उस थानेदार के खिलाफ हो सकता है, हालांकि थानेदार उस थाने का इन्चार्ज होता है उसकी जवाबदारी है, एक्शन लेने की, उसको क्रिमीनल लाएबिलिटीज़ के मैटर्स में जाना पड़ता है कि किस वजह से यह मौत हुई । हमने कहा कि एफ० आई० आर० दे दो ताकि हम तफतीश चालू कर दें । जहां तक कानूनी कार्यवाही करने का सवाल है, हमारे अधिकार में नहीं कि हम उसको वहां के ऑथोरिटी को यह अधिकार दे दें, यह अधिकार न सदन को है, न मिनिस्टर को । जब एफ० आई० आर० दर्ज हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टीगेशन शुरू हो जाता है, तफतीश डिटेल्स में शुरू हो जाती है । मेरे सामने फेक्ट्स नहीं, हम यह भी नहीं चाहते कि गुनाहगार सजा न पाये और वह स्पोट फ्री निकल जाय । इसलिये सदन की मांग पर हम इस लाश को दुबारा पोस्ट-मार्टम के लिये देने को तैयार हैं । पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट आते ही तफतीश करने वाले अफसरों के पास भेज दी जायगी । सदन के कहने पर जब दुबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर भी रख दिया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : Order! Order!! तफतीश के लिये वहां के जिले के अधिकारी न रख कर और अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं डी० आई० जी० क्राइम को कह देता हूं कि वे यहां से किसी स्पेशल आदमी को भेज देंगे ।

श्री अध्यक्ष : That might be of more satisfaction.

श्री मुरलीधर व्यास : हमारी यह मांग है कि उस थानेदार को गिरफ्तार किया जाना चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : गिरफ्तारी का ऑर्डर मैं नहीं दे सकता और न आप दे सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसका पर्चा हो चुका है, उस पर्चे के अन्दर उस थानेदार को मुल्जिम नामजद किया जा चुका है ।

श्री जगनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या उसके एब्सकोन्ड होने का डर है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर्चा धारा ३०२ के तहत दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने कहा है, एस० पी० ने कहा है कि आप अपनी तरफ से रिपोर्ट दीजिये, हम इन्वेस्टीगेशन शुरू करें, लेकिन दी नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : परचा देने के लिये तैयार हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जिस एम० एल० ए० के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में गृह मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारी यह मांग है कि तुरन्त थानेदार को अरेस्ट किया जाय।

श्री श्योपतसिंह : हमने टेलीग्राम्स से वहां एस० पी० को इत्तला दी है। हमने यहां पर भी टेलीग्राम्स भेजे हैं, जिसमें हमने थानेदार का नाम मेन्शन किया है और कहा है कि उसने बुरी तरह से इसको पीटा है। उसका नाम भी मेन्शन किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि इस केस को दर्ज कर लिया गया है। इन्वेस्टीगेशन का अधिकार जिस व्यक्ति को होगा वह कार्यवाही करेगा और सरकार भी करने के लिये तैयार है। इसके अलावा मेरे सुझाव पर कि वहां के अधिकारी ठीक प्रकार से इन्वेस्टीगेशन न कर सकें उसके लिये भी वे विशेषतौर पर पुलिस अधिकारी को भेजने के लिये तैयार हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री रघुनाथसिंह खींची डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इसके लिये रख दिया जाय।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह नाम सुझाने का आपका काम नहीं।

श्री अध्यक्ष : कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टीगेशन करे उसके नाम में मतभेद नहीं होना चाहिये। अमुक व्यक्ति उसके लिये ठीक है, अमुक व्यक्ति नहीं; यह सदन का काम नहीं है। सदन से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में न पड़ें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय सदस्य उससे मिले हुए मालूम देते हैं।

श्री श्योपतसिंह : शर्म आनी चाहिये किसी ईमानदार आदमी के लिये इस प्रकार कहने में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो यह भी कह सकते हैं कि हम ही इसको मार कर लाये हैं।

श्री श्योपतसिंह : किसी ईमानदार व्यक्ति के लिये इस प्रकार आपको नहीं कहना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपकी निगाह में ईमानदार आदमी ये एक ही नजर आये हैं।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री महोदय ने उस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला जो पुलिस अधिकारी ने एक एम० एल० ए० के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसमें सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। उसमें गृह मन्त्री क्या कदम उठायेंगे, इसकी सूचना भी मिलनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस सारी बातचीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रह गया है जो कानून की दृष्टि से बहुत अहम है। जिस आदमी को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मौत हुई वह मौत है या कत्ल; यह तब तक साबित नहीं होगा जब तक कि यह चीज नहीं आयेगी, इसके एवीडेन्स म डाइंग डिक्लेरेशन होता है। उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, यह एक ओमीशन है। इसको किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकेंगे, किस कारण से वह रेकॉर्ड नहीं हो सका, ये बातें अदालत में आयेंगी। अस्पताल में किसी भी आदमी की मृत्यु होती है तो ऐसे केसेज़ में वहां के डॉक्टर्स को डाइंग डिक्लेरेशन रेकॉर्ड करना पड़ता है। इस केस में यह न होने के कारण अदालत में यह लेकुना रह सकता है कि उस डॉक्टर ने इसका डाइंग डिक्लेरेशन रेकॉर्ड नहीं किया, किन सर्कम्स्टान्सेज़ में नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेडिकल डॉक्टर्स की है। यह एक खामी रह गई है। सदन की भावनाओं का आदर करके माननीय गृह मन्त्री महोदय ने जो भी, वे अधिक से अधिक कार्यवाही कर सकते थे, उन्होंने करने का कहा है। यहां मेडिकल मिनिस्टर भी मौजूद हैं और गृह मन्त्रीजी भी हैं, दोनों मिल कर डॉक्टर्स का एक एक्सप्लेनेशन यह भी ले लें कि उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन की रिपोर्ट क्यों नहीं दी ? जिस समय उस आदमी की मौत हुई उसमें इन सब बातों की तफतीश होना जरूरी है कि वहां के हॉस्पिटल का जो रेकॉर्ड है, जो इस केस से सम्बन्धित है, उसके डेस्ट्रक्शन आदि के बारे में कोई चीज न हो; इसकी भी व्यवस्था हो जानी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय..................

श्री अध्यक्ष : अब इस सम्बन्ध में कोई बहस नहीं होगी। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(१.१६ म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा के साथ जयपुर पुलिस के कथित दुर्व्यवहार विषयक विशेषाधिकार प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : इस समय मैं और कुछ बात न कह कर जो मसले सदन के सामने आये हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक दुःखप्रद घटना का उल्लेख सदन के समक्ष आया। सदन के दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों के दिमाग में इस घटना का बहुत बड़ा असर हुआ, एक रोष भी पैदा हुआ। उस घटना के विभिन्न पहलुओं पर भी माननीय सदस्य गये। बहुत संतोष की बात है कि मुख्य मंत्री महोदय व गृह मंत्री महोदय ने सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करके यथासंभव वैधानिक और कानूनी दृष्टि से कार्यवाही हो सकती थी वह उन्होंने की और आशा करता हूं कि भविष्य में जो जांच होगी उसमें उन तथ्यों को भी सामने रखा जायगा जो माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखे-- उनको ध्यान में रखते हुए ही इसका निराकरण किया जायगा।

एक बात का और उल्लेख आया कि श्री रामानन्द अग्रवाल जब सदन में आ रहे थे, रास्ते में पुलिसवालों ने उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष)

और उनके साथियों के साथ भी पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया। इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव भी मेरे पास श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने भेजा है। आपकी अनुमति हो तो मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करदूं ताकि वह जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दे और उस पर निर्णय ले लें।

कल दो आश्वासन दिये गये थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी गंगानगर की जो फ्लड सिचुएशन है उस पर बाद की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे तो वह वक्तव्य वे इस समय न देकर चार बजे या उसके पश्चात् वह लिया जावेगा।

दूसरा, माननीय गृह मन्त्रीजी ने पाकिस्तान की बोर्डर की घटनाओं के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने की बात कही थी। वे कृपया अब अपना वक्तव्य दें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री):Sir... अध्यक्ष महोदय, मेरे बीच में इन्टरप्शन करने के लिये क्षमा करें। मैं निवेदन करूंगा कि यहां से हम हॉस्पिटल टेलीफोन कर रहे हैं कि डॉक्टर तैयार रहे। अब शायद जब तक आप लोग इन्स्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक डेड बॉडी को वे न ले जावें, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाकर उनको सूचना दे दें कि डेड बॉडी वे लेकर वहां चले जावें।

आर. ए. सी. के व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा पाकिस्तान में शरण पाने वाले डाकुओं द्वारा राजस्थान-पाकिस्तान सीमा-क्षेत्र में लूट-पाट विषयक गृहमन्त्री का वक्तव्य।

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): माननीय अध्यक्ष, तीन एडजोर्नमेन्ट मोशन्स के सिलसिले में मैंने कल सदन के सामने यह कहा था कि उनके बारे में गवर्नमेन्ट का स्टेटमेन्ट मैं आज पेश करूंगा।

एक एडजोर्नमेन्ट मोशन है श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का, दूसरा श्री मुरलीधर व्यास का और तीसरा श्री भैरोंसिंह का। इनमें ज्यादातर श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के एडजोर्नमेन्ट मोशन में दो प्रश्न खास तौर से थे। एक तो यह कि कुछ आर. ए. सी. के ऑफिसर्स की पाकिस्तान के अन्दर गिरफ्तारियां हुई, उस सिलसिले में था और दूसरा वहां बोर्डर पर लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में था।

मुरलीधरजी का भी करीब करीब इसी तरह का प्रस्ताव था और भैरोंसिहजी ने भी यही कहा था अपने प्रस्ताव के अन्दर कि इस वक्त डकैती, मर्डर और एब्डक्शन जो हो रहे हैं उस इलाके में उनको रोका जावे। पाकिस्तान वाले हमारे पर्सोनल्स को पकड़ कर ले गये, इसका भी जिक्र उन्होंने किया था।

मैं सदन के सामने जो आर. ए. सी. के पर्सोनल्स को पकड़ कर ले जाने के सम्बन्ध में कहा गया है उसके बारे में पहले कहना मुनासिब समझूंगा।

यह ठीक है कि १८-९-६२ के साढ़े सात बजे इस बात की सूचना मिलने पर कि कुछ हिन्दुस्तान के मवेशी स्ट्रे कैटल पाकिस्तान की सीमा में घुस गये हैं, आर. ए. सी. की पोस्ट के आर. ए. सी. के पर्सोनल जिसमें एक प्लाटून कमान्डर हनुमानसिंह, हैड कॉन्स्टेबल

(श्री मथुरादास माथुर)

और ३ फूट कॉन्सटेबल थे, जुमले पांच आदमी जिनके द्वारा सूचना मिली वे श्री देवीदत्त और इसके बाद में तीन और आदमी डूंगरसिंह, पठानसिंह और रोहाराम–ये सब उन मवेशियों के खोज के पीछे पीछे पाकिस्तान की बोर्डर पर-डी-फेक्टो बोर्डर पर पहुंचे। उनके अपने हिसाब से जब इस तरह की घटना घटती है तो जो सामने पोस्ट होती है तो उसको सूचना दी जाती है और वे लोग भी जो हमारे सामने कोरेस्पोन्डिग पाकिस्तान की पोस्ट होती है वे भी डी फैक्टो बोर्डर पर चले आते हैं और वे अपनी पाकिस्तान की टेरीटरी में खड़े रहते हैं और हम अपनी टेरीटरी में खड़े रहते हैं और वहीं खड़े रह कर बातचीत करते हैं और बाद में जो निर्णय होता है उस पर बाद में कदम उठाये जाते हैं।

इस केस में पूछताछ होने पर पाकिस्तान की पोस्ट के लोगों ने यह कहा कि चूंकि मवेशीं जो थे, उनके खोज पाकिस्तान में एन्टर हो चुके थे, इसलिये कानून के हिसाब से रसीद हम लेंगे पाकिस्तान की पुलिस से और इसके बाद में पता निकालना और मवेशियों को लाना और हैंड ओवर करना पाकिस्तान की फोर्सेज़ का काम होता है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि पास ही की पोस्ट में चलिये और पोस्ट में जाने पर हम अभी खोज का पता निकाल कर इसका फैसला करते हैं। इस पर हमारे आर. ए. सी. के पांच पर्सोनल्स और चार सिविलियन कुल; ६ आदमी वहां पर पाकिस्तान कीं पोस्ट के अन्दर टेरीटरी में चले गये। यह अमूमन रिवाज सा है। वे भी ऐसे मौकों पर हमारी तरफ आ जाते हैं और हम भी उधर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद में पाकिस्तान की पोस्ट के पास की एक झोंपड़ी के पास में चारों तरफ लोगों को बैठाया गया, चाय पिलायी गयी, उनका आदर सत्कार किया गया और यह कार्यवाही होने के बाद वहां से कुछ लोग गये आर. ए. सी. के और आकर कहा कि आप लोगों की ये कैटल नहीं हैं; बल्कि हमारे यहां की थीं और उनको चुराकर तुम्हारे लोग ले गये थे। इस पर उनको यह कह कर गिरफ्तार करने की कोशिश की, पर हमारे आदमी वहां से भागे। उन लोगों ने पीछे से फायर किया जिससे एक कॉन्सटेबल के शोल्डर पर गोली भी लगी वह और दो सिविलियन फिर भी किसी तरह भाग कर इण्डियन टेरीटरी में आ गये। बाकी के वहीं गिरफ्तार कर लिये गये। यह किस्सा १८ तारीख को हुआ। होते ही उस वक्त जो आदमी भाग कर आये थे उन्होंने हमारे यहां के लोगों को सूचना दी। उस पर हमारे अफसर; असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, आर. ए. सी. और कमान्डेन्ट वगैरह सब १८ तारीख को इत्तला होने पर पहुंचे वहां और १६ तारीख को पाकिस्तान के कमान्डिग ऑफिसर से कोन्टेक्ट करने कीं कोशिश कीं और कोशिश करके कहा कि एज़ यूज़वल ऐसे मामलों में जैसा होना चाहिये उस हिसाब से इन्क्वायरी की मांग की। १६ तारीख को ही इसके लिये उन्होंने एग्री कर लिया। पर कमान्डेन्ट का टेलीग्राम आ गया बीमारी का, इसलिये वह आ नहीं सका। २१ से २२ तक जोइन्ट इन्क्वायरी हुई इस सिलसिले में। उनका यह कहना था कि मवेशी हमारे चोरी कर ले गये थे उधर और ये हमारी टेरीटरी में घुस गये। स्ट्रे कैटल थे, मवेशी हमारे थे। हमने कहा कि हमारे मवेशी थे और उन लोगों के कहने से हम उधर पहुंचे ढूंढते ढूंढते। इस तरह जोइन्ट इन्क्वायरी

(श्री मथुरादास माथुर)

होकर उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट हो गई । इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद में उन लोगों ने कहा कि हम इण्डियन आर. ए. सी. पर्सोनल्स को और सिविलियन्स को छोड़ देंगे। मगर फिर उन्होंने छोड़ा नहीं और कई दिन तक इसी तरह से टालते रहे । अन्त म जाकर जब यह मामला हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमने भेजा, वहां से कोरेस्पोन्डेन्स हुई तो वहां के पुलिस इन्सपेक्टर जनरल ने हमारे इन्सपेक्टर जनरल को पांच तारीख को लाहोर में आने के लिये कहा और कहा कि वहां इस बारे में बात की जावेगी । इस पर हमारे आर. ए. एस. अफसर, एस. पी. गंगानगर, कमान्डर, फोर्थ बटालियन को लेकर लाहोर गये । बातचीत की और इसके बाद ८ तारीख को हमारे सारे आर. ए. सी. पर्सोनल्स और सिविलियन छोड़ दिये गये और श्री हनुमानसिंह को ६ तारीख को छोड़ा गया जो हमारे प्लाटून कमान्डर थे । यह बात इस तरह की है ।

जहां तक इस तरह की घटनाओं का सम्बन्ध है, पहले भी इसी तरह पाकिस्तान के पर्सोनल्स एक महीने भर पहले हिन्दुस्तान में आये थे हमारे बुलाने पर और जब वापिस गये तो रास्ता भूल गये और हिन्दुस्तान की हमारी टेरीटरी में ही अपना कैंप लगा लिया। इसमें कायदा फिर यह होता है कि अगर कोई फोर्स का आदमी बोर्डर पर रास्ता भूल जावे तो अपने कैम्प में सफेद झन्डा लगा लेता है ताकि उससे मालूम हो जावे कि यहां झगड़े की कोई बात नहीं है । पर उन्होंने अपने केम्प पर सफेद झन्डा नहीं लगाया । जिस पार्टी ने बुलाया था अपने यहां, वहां से वे चल दिये थे । दूसरी पोस्ट वालों को इसका पता नहीं था । पेट्रोलिंग पार्टी को भी इसका इल्म नहीं था और जब पेट्रोलिंग करते हुए उन्होंने देखा तो फिर वे वहां पर पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर लिया । इसके बाद में फिर एज यूजुवल वहीं जोइन्ट इन्क्वायरी हुई और इसके बाद में हमने उनको छोड़ दिया और वे उधर चले गये । तो इस तरह से साल में एक-दो घटनाएं हो ही जाती हैं । जहां तक पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मुल्क के डिफेन्स का प्रश्न है, उस प्रश्न के ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर बहस नहीं होनी चाहिए; क्योंकि वह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है और पालियामेन्ट में ही उस पर बहस हो सकती है यानी पब्लिक इन्टरेस्ट में भी बहुत ज्यादा चर्चा यहां करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिला देता हूं कि जहां तक बोर्डर का सम्बन्ध है, उसके प्रति हम जागरूक हैं। बोर्डर के ऊपर डैकोइटी आपरेशन्स का जहां तक सवाल है और जहां तक वहां के लोगों के जीवन का सम्बन्ध है, उनको प्रोटेक्शन देने का पूरा ध्यान हमको है। वहां पर हमारा आर. ए. सी. का पूरा प्रबन्ध है और हमने वहां एन्टी डैकोइटी पोस्ट्स लगा रखे हैं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने यह निवेदन करना मुनासिब समझूंगा कि पाकिस्तान के अन्दर हमारे हिन्दुस्तान के दो-तीन गैंग्ज़ हैं । एक तो पाकिस्तान में जगमाल सिंह का गैंग है और उससे और भी मुख्तलिफ गैंग हैं, वे हिन्दुस्तान के अन्दर डाका डालते हैं; उसके पश्चात् पाकिस्तान के अन्दर प्रोटेक्शन ले लेते हैं, शैल्टर ले लेते हैं। इसमें दो राय नहीं है । इसके बारे में हमने और भारत सरकार ने पाकिस्तान की पुलिस

(श्री मथुरादास माथुर)

के अधिकारियों से जो मीटिंग होतीं है उसमें भी बहुत प्रोटेस्ट किया है कि या तो वे उनको हिन्दुस्तान में भेज दें या फिर उनको गिरफ्तार करके हमें हैंड ओवर कर दें। वे हमेशा 'हां' करते रहे हैं लेकिन हमें खेद है कि हम उनसे इस मामले में सहयोग नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसके अलावा हमको यह भी मालूम है कि वे किस जगह पर पाकिस्तानी टेरीटरी में रहते हैं और हम बराबर उनको बताते रहते हैं कि वे वहां बैठे हुए हैं, इसलिए वहां से उनको निकाल कर इन्डियन टेरीटरी में भेज दो, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं और हमें उनका सहयोग नहीं मिलता है। इसके अलावा हम अपनी इन्डियन टेरीटरी में, खास तौर से लोगों में कॉन्फीडेन्स रखने के लिए, वहां पर हमने एक होल टाइम डी. एस. पी. एन्टी डेकॉइटी फोर्स और मोबाइल पेट्रोलिंग आदि का प्रबन्ध किया है। अगर आप चाहें तो मैं बता दूं कि वहां पर कितने ऑफिसर्स हैं.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Sure, sure ; बतायें।

श्री मथुरादास माथुर: मैं पढ़ देता हूं...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : इसके पहले हम यह जानना चाहते हैं कि जो बोर्डर के ऊपर पकड़े गये–ऐसी घटनायें पहले भी हुई क्या? आदमियों को बुलाया गया और बाद में उनको एरेस्ट किया तो हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसी घटनायें कितनी घटीं ? उनको इस प्रकार से बुलाया गया कि हम आपसे बातें करना चाहते हैं और वहां बुला कर उनको एरेस्ट कर लिया गया; इस प्रकार की घटनायें राजस्थान के बोर्डर पर कितनी हुई ?

श्री मथुरादास माथुर: इस साल में एक हुई।

श्री जोधसिंह: पहले भी हुई या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर: पहले के फीगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : दूसरी बात यह जानना चाहते हैं कि जो लोग वहां एरेस्ट हुए थे उनको छोड़ दिया गया ; उनको छोड़ने के पश्चात् आपने अपने ऑफिसर्स से बात की या नहीं कि, उनकी कस्टडी में उनको किस प्रकार की तकलीफें हुई और वहां पर उनसे किस किस प्रकार की बातें पूछी गयीं ?

श्री मथुरादास माथुर: मैं निवेदन कर रहा था, मैं यह पढ़ देता हूं पूरा पैराग्राफ अंग्रेजी में और बाद में हिन्दी में कह दूंगा। सोशियलिस्ट साथी इसमें बुरा न मानें:—

"We have on our side of the border taken stern measures to liquidate the gangs by establishing ADF posts under the charge of the whole time Dy. S.P., A.D.F. and vigilant patrolling by the ADF party and the RAC personnel is being constantly made on the border. The following steps have been further taken to intensify the anti-dacoity operations on the border:—

One S. I. one H. C. and 10 constables with the mobile vehicle have been posted at village Khejra, 2 H.Cs, 7 FCs. and 5 Camel sowars have been posted at village Bharewala. One mobile patrolling party of camel sowars consisting of 1 S.I., 1 H.C. and 11 FCs. have been posted at village Raner. A static guard of 1 H. C. and 10 FCs. have been posted at village Randisar. 1 S. I, 2 H. Cs. and 10 Constables and 6 camel sowars have been posted at Anandgarh......"

Page No.50

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आनन्द का बेरा या आनन्दगढ़ ?

श्री मथुरादास माथुर: Anandgar

RAC post Nokhra has been converted into ADF post and stationed at Ranera, P. S. Pugal. Head quarters posts on the border have been alerted and vigilant patrolling is being made by them on the border. It will thus appear that concerted efforts and firm measures are being taken to liquidate the gangs. There is apparently no panic among the residents of the border villages and no reports of any kind of disturbances among the villagers of the border have been received. It may be recorded that during the last two months there have been no serious border incidents committed by the gang of decoit Jagmal Singh or any other gang and as a result of vigilant patrolling by the RAC and the ADF posts. In fact the intensification of anti-dacoity operations on the border seem to have restored confidence among the so called panic stricken people of the border.........

आप मेरा मतलब समझ गये होंगे। आर. ए. सी. तो हमारी वहां पर लगी ही हुई है, उसके अलावा यह एन्टी डेकॉइटी फोर्स के पेट्रोलिंग और लगाये गये हैं। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या इस सम्बन्ध में यह बता सकेंगे कि बोर्डर के ऊपर जो टोटल फोर्स लगी हुई थीं इसमें कमी की गयी है और उनकी एक बटालियन को नेफा भेजा गया, इसी कारण से वहां पर ऐसी घटनायें होती हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: यह नहीं भेजी गयी। वह बोर्डर की नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह: लेकिन बोर्डर के प्रोटेक्शन के लिए इसी एरिया में डेप्यूट की गई थी और पिछले दिनों नेफा भेजी गयी। टोटल स्ट्रेन्थ में कमी आने के कारण बोर्डर इन्सीडेन्ट्स हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आर.ए.सी. में किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है। उस जगह के एक भी आदमी को कम नहीं किया गया है। ठीक है, यह दूसरी बात है कि वहां के किसी ऑफिसर का तबादला कर दिया गया हो तो उसकी जगह दूसरे ऑफिसर को भेज दिया गया होगा। लेकिन जो बोर्डर पर काम करते हैं उसमें कमी नहीं की गयी है। जो नेफा भेजी गयी है बटालियन वह धौलपुर एरिया के अन्दर काम करती है। उसको नेफा भेजा है और वह भी दूसरी जगह गयी है, वहां नहीं गयी है और उसके कमान्डमेन्ट के लिए वहां से भेजने का प्रवन्ध किया है वर्ना एक फोर्स भी कम नहीं की है और धौलपुर की जो कमी हुई है, आउटसाइड दी स्टेट चली गयी है उसकी जगह एम.बी.सी. और डबल ए. सी. को रिप्लेस करके पोस्ट किया गया है। इसलिए वहां कोई तकलीफ नहीं हुई है। अब जहां तक माननीय भैरोंसिंहजी ने अपने एडजोर्नमेन्ट मोशन में कहा था कि डेकॉइटी बढ़ती जा रही है, उसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस साल में—१९६२ में—जनवरी से लेकर सितम्बर तक की पोजीशन बता सकता हूं और वह यह है—डिटेल्स में जानना चाहें तो फीगर्स बता दूं :

Dacoities-7, Robberies-11, Kidnapping-5-these instances are committed by the organised gangs of Jagmal Singh, Vijaysingh, Gaganiya Sherkhaniya and Peer Bux Ramzan ये ४ गैंग हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: और सुलतानसिंह?

श्री मथुरादास माथुर: इसी गैंग के साथ है सुल्तानसिंह।

The first three gangs are of Indian dacoits permanently taking shelter in Pakistan while the fourth one is a Pakistani gang. The rest of the heinous offences were either technical ones or committed by unknown Pak nationals or were encounters with smugglers.

यह पोज़ीशन–क्राइम के सम्बन्ध की पोजीशन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : How many cases of smuggling have been detected ?

श्री मथुरादास माथुर : I am sorry, प्रस्ताव के अन्दर डेकोइटीज़ का ही था इसलिए स्मग्लिंग के फीगर्स मेरे पास में नहीं हैं। आप चाहें तो दे सकता हूं।

From the above, it will be evident that after first half of Aug.,-Sept. these dacoits did not commit any offence in our side of the territory. They enter India only to commit offences and immediately thereafter return to Pakistan and hence it becomes difficult for our RAC and anti-dacoity forces posted on the border to capture them because of their immediate retreat into Pakistan. It is all due to the intensification of the anti-dacoity measures on Indo-Pak border that these gangs could not commit any offences after 10-7-62.

If you want I will place the details on the table of the House.

माननीय अध्यक्ष, इसलिए मेरा निवेदन करना है कि पाकिस्तान बोर्डर के ऊपर यह भी कहा गया है, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा, कि उस तरफ क्या हो रहा है? उस तरफ क्या हो रहा है, वह मैंने शुरू में निवेदन किया है, वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में और सिक्योरिटी के इन्ट्रेस्ट में उसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं यह निवेदन कर देता हूं कि हमारी आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ भी होता है उससे पूरी जागरूक है और भारत सरकार को पूरे कॉन्फीडेंस में रखा है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम यह परेशानी करें कि हम कभी भी अनअवेयर नहीं ले लिये जायं, ऐसी स्थिति नहीं होगी और डिटेल्स, जो कुछ भी वहां होता है उसका हमको इल्म है और हम बराबर भारत सरकार को इत्तला देते रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कहा......

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, बोर्डर के संबंध में जो स्थगन-प्रस्ताव मैंने रखा था उसका मुख्य लक्ष्य जो था वह यह था कि सारे बोर्डर के ऊपर बहुत भयग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ घटनाएं हुई हैं जिनसे भारतवर्ष के क्षेत्र के अन्दर बोर्डर के ऊपर रहने वाले लोग काफी भयभीत हैं और भयग्रस्त हैं, और सारे दिन के कार्य हैं वह उन लोगों ने बन्द रखे हैं। १८ के बोर्डर के वाकये को गृह मंत्रीजी ने तस्लीम किया और जिस प्रकार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की घटना का उन्होंने वर्णन किया है उसी प्रकार की घटना भी हुई है। हमारे ऑफिसर्स के साथ में १८ सितम्बर, १९६२ पाकिस्तान ने धोखा किया और धोखे से हमारे दो आदमियों को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त मैंने इस संबंध में टेलीग्राम्स डी० आई० जी० और सारे पुलिस के अधिकारियों को समय समय पर दिये हैं कि जगमालसिंह और सुल्तानशाह जैसे भयंकर डाकू पाकिस्तान फोर्सेज़ के प्रोटेक्शन में भारतवर्ष के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सारे इलाके को भयग्रस्त कर रखा है। मैं सदन को अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचित करूं कि १८ तारीख के बाद से आज तक, जब कि सदन चल रहा है, गंगानगर जिले में अनूपगढ़ के बोर्डर के क्षेत्र में, रायसिंहनगर के बोर्डर के क्षेत्र में, विशेषकर रायसिंहनगर बोर्डर पर ऐसे क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ में बोर्डर क्षेत्र पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहरें काफी बोर्डर क्षेत्र तक जाती हैं, वहां पर लोगों ने हल बन्द कर दिये हैं और १० कदम पीछे हट गये हैं, उनको कह दें कि इस बारे में बहस नहीं हो। यह मैं मानता हूं कि हमारे बोर्डर के ऑफिसर्स बहुत ईमानदार हैं। जो आर० ए० सी० रायसिंहनगर में फन्क्शन करती है वह बड़ी जिम्मेदारी से फन्क्शन करती है। इसके अतिरिक्त आर०ए०सी० की स्थिति, अगर भारत के क्षेत्र के अन्दर देखी जाय, तो एक अजीब सी स्थिति है। उनके कच्चे पोस्टिंग्स हैं, उनके पास आर्म्ड कार्स नहीं हैं। वहां पर बहुत कम जवान हैं। उनके पास किसी प्रकार के आधुनिक हथियार नहीं हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान फोर्सेज़ जो बोर्डर के साथ लगी हुई हैं उसकी तरफ जाते हैं तो उनके पास आर्म्ड कार्स हैं, ब्रेन गनें हैं, हेवी विहीकल्स हैं, बाकायदा फोर्स हैं। वायरलैस के सेट्स हैं टेलीफोनिक कनेक्शन हैं हरेक के पास वे हमारे यहां उन डाकुओं को प्रोटेक्शन देते हैं, उस मज़बूत फोर्स के संरक्षण में उनको भारतवर्ष में भेजते हैं। मैं आपको लखा फोर्स की घटना बताऊं कि पाकिस्तान की काफी फोर्स के साथ में हथियार लिये हुए भेजा तो लखा का सारा गांव भयग्रस्त हो गया और लोग गांव छोड़ कर पीछे आ गये।

माननीय अध्यक्ष, इस बात की सूचना मिली है, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां तक सही है कि आर० ए० सी० की बटालियन को नेफा में चला सकते हैं। मैं निश्चित रूप से सदन के अन्दर सारी जिम्मेदारी को समझ कर कह सकता हूं कि जिस प्रकार की सुरक्षा की हमें बोर्डर पर आवश्यकता है, गृह मंत्रीजी चाहे जितने आत्मविश्वास से कहें, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। वे सुरक्षा की भावना को अनुभव नहीं करते हैं। जगमालसिंह और सुलतानशाह के ७ डाके के केसेज़ गृह मंत्रीजी ने गिनाये। लेकिन ऐसी छोटी-मोटी सैंकड़ों घटनाएं हैं जो हमारी दृष्टि में नहीं लाई गई हैं। सुलतानशाह और जगमालसिंह बोर्डर पर आते हैं और बोर्डर में यह स्थिति है कि हजारों लोगों का निर्वाह पशु चराने पर है। वे पानी की तलाश में बोर्डर पर आते हैं और वहां पर घास होने के कारण पशुओं को लेकर आते हैं तो वे उन चरवाहों को घेर लेते हैं और पशुओं को उठा ले जाते हैं; यहां तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि उनसे चौथ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वसूल करते हैं, जिस तरह से कि मादजी सींधिया चौथ वसूल किया करता था। वह उनको बाकायदा कहलाते हैं कि इस इस दिन यह भेज दो तो इस किस्म से चौथ के रूप में वे भेज देते हैं।

मैं गृह मंत्रीजी को पिछले सदन की याद दिलाऊं जब कि मैंने इस बात पर जोर दिया था कि जगमालसिंह को गिरफ्तार किया जाय और सदन में माननीय सदस्यों ने कहा था कि भारत सरकार या राजस्थान सरकार जगमालसिंह को गिरफ्तार नहीं करती है तो गृह मंत्रीजी को इस्तिफा दे देना चाहिए। मैं आज भी निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के डाके हैं, बोर्डर क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार की एक्टीविटीज़ हैं और वोर्डर में सुरक्षा की कमी को दूर नहीं करते हैं तो भय का विषय है, लज्जा का विषय है और सरकार के लिए वास्तव में एक कलंक की चीज होगी। वहां के लोगों में सुरक्षा की भावना हो। यह ठीक है कि आर० ए० सी० के जवानों ने खुद खड़े हो कर भारतवर्ष की तरफ के लोगों को हल चलाने में मदद की, लेकिन उनके पास फेसिलिटीज़ कम हैं। जब गृह मंत्रीजी रायसिंहनगर पधारे थे तो रायसिंहनगर के लोगों ने मांग की थी कि वोर्डर क्षेत्र पर वस सर्विस चालू कर दें ताकि उससे आर० ए० सी० के जवानों को भी फेसिलिटी होती है। अगर वहां लॉरी नहीं चला सकते हैं तो इतने विहीकल्स होने चाहिए आर० ए०सी० के जवानों के पास कि वे वोर्डर पर पहुंच सकें।

तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार के साथ वातचीत करके इस बोर्डर के क्षेत्र को अधिक सुरक्षित किया जाय। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर रेग्युलर आर्मीज़ वोर्डर पर कायम हो सकें और हमारा यह बोर्डर अधिक सुरक्षित हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ! कृपया आप संक्षिप्त में बोलें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल गृह मंत्रीजी से चार बातें निवेदन करना चाहूंगा। पहला मेरा यह प्रश्न होगा कि आपने जैसा कि अभी बताया कि हम बराबर पाकिस्तान सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं कि हमारे यहां के डाकुओं को शरण नहीं दें और उन डाकुओं को भारत की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार की डाकेजनी की घटना नहीं होने दें। पर आपने खेद प्रकट किया है कि वरावर प्रार्थना करने पर भी पाकिस्तान सरकार का हमें इसमें सहयोग नहीं मिला तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है, आप फोरिन अफेयर्स डिपार्टमेंट को लिख चुके हैं, आप स्वयं यह महसूस करते हैं कि रोज ये डाकू जो पाकिस्तान में पनाह पाये हुये हैं वे भारतीय सीमा का इस प्रकार से अति-क्रमण करते आ रहे हैं उस स्थिति में राजस्थान सरकार भारत सरकार के साथ बातचीत करके ऐसा कौनसा स्टेप लेना चाहती है कि उस स्टेप के लेने से पाकिस्तान सरकार मजबूर हो जाय कि हम आज भारत के साथ सीमा समझौतों के मसलों पर असहयोग की नीति अपना कर चल रहे हैं तो उसका परिणाम बुरा होगा ?

(श्री भैरोंसिंह)

पहला मेरा प्रश्न यह है। दूसरा मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी नाराज हो रहे हैं......

श्री मथुरादास माथुर (गृह-मंत्री) : नहीं, नहीं; आपसे बड़ा खुश हूं।

श्री भैरोंसिंह : लगता ऐसा है।

श्री अध्यक्ष : वे नोट कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वे चिंतित हैं गंभीरतापूर्वक।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह बता दिया कि इस महीने में ज्यादा सीरियस ऑफेन्सेज़ क्राइम्स नहीं हुए। आपने नंबर बताया, वह इस प्रकार की स्थिति है कि आप जितना रिड्यूस करना चाहें उतना रिड्यूस कर दें, बढ़ाना चाहें जितना बढ़ा दें। राजस्थान की पुलिस इस वर्किंग में एक्सपर्ट है, दूसरे मामलों में एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन रिकवरी के मामले में यदि ऑल इंडिया बेसिस पर शील्ड दी जाय तो आपको पहला नंबर देने की मैं सिफारिश करूंगा.........

श्री मथुरादास माथुर : आप जब मुलाजिम थे तब की बात होगी।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, आप होम मिनिस्टर हुए हैं तब की यह बात है। कैटल लिफ्टिंग का सवाल आया है, गांवों में बहुत कैटल लिफ्टिंग होती है। आप खुद चलिये, राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को साथ लेकर चलिये। बोर्डर पर रहनेवाले लोगों को पूछिये कि आपके पास १ साल पहले कितने मवेशी थे और अब कितने हैं? कितनी बार कैटल लिफ्टिंग के केसेज़ रजिस्टर करवाये हैं और कितने केसेज़ रजिस्टर हुए हैं? जब रिकवरी हो जाती है तब केसेज़ रजिस्टर किये जाते हैं। डाकू पकड़ते हैं तब केस रजिस्टर किया जाता है; लेकिन जिस समय इन्स्टान्स होता है उस समय केस रजिस्टर नहीं करते।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में एक सीरियस प्रोब्लम खड़ी हो रही है। हम डाकेजनी को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कैटल लिफ्टिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पोपुलेशन का जो कनवर्शन होता जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बोर्डर के गांवों में जाइये और पता लगाइये कि पहले कितनी पोपुलेशन थी और अब कितनी है। बोर्डर से कितनी दूर खेती के लिये जमीन ली है और आज पाकिस्तान के रिलेटिव्ज़ बन कर यह सर्टिफिकेट लेकर हिन्दुस्तान में रहने लगे हैं। पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान में राजस्थान सरकार की कमजोरी से आबाद होते जा रहे हैं। गृह मन्त्रीजी चाहें तो आप चलिये बाड़मेर में। आप इलेक्शन के फीगर्स ले लीजिये, वोटर्स लिस्ट देखलीजिये, जन-संख्या देख लीजिये, आपको मालूम हो जायेगा कि वहां की जन-संख्या बढ़ी है। गांवों की जन-संख्या कम हुई है और जिस जाति के लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनकी जन-संख्या बढ़ी है। आज सरकार यह नहीं कह सकती कि हमने पाबन्दी लगा रखी है। आज जिस तरह से आसाम में पाकिस्तानी घुस आये हैं, मुझे भय है कि जगमालसिंह और उसके सहारे से पाकिस्तानी हमारे यहां बढ़ते आ रहे हैं। सरकार यह कह सकती है कि हमने

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

फोरिन मिनिस्टरी को लिख दिया है कि पाकिस्तान सरकार हमारे साथ असहयोग कर रही है । यदि पाकिस्तान सरकार असहयोग करती है तो आपको भी कोई नहीं रोकता कि आप पाकिस्तान से मुकाबला न करें । मैं इसको आपकी कमजोरी कहूंगा । मैं पूर्व की मिसाल आपके सामने रखता हूं । आप हंस कर कुछ भी कहें, पहले आसाम सरकार भी हंसती थी लेकिन लाखों की संख्या में जब पाकिस्तानी उनके यहां घुस आये तब उनका हौसला ठिकाने आ गया । उसी तरह से राजस्थान सरकार का हौसला ठिकाने आ जायेगा जिस समय पाकिस्तान राजस्थान की सरहद के ऊपर पाकिस्तानी लोग घुस आयेंगे । क्या हमारे जो सिपाही वंहां पकड़े गये हैं उनके बारे में हमारी सरकार दावे के साथ कह सकती है कि उनका टोर्चरिंग नहीं होता ? क्या सरकार दावा कर सकती है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी पकड़ कर ले गये हैं उनका उन्होंने टोर्चरिंग नहीं किया ? क्या सरकार कह सकती है कि पाकिस्तान सरकार ने बोर्डर पर कॉम्युनिकेशन का डेवलपमेन्ट नहीं किया है ? उसको फेस करने के लिये राजस्थान सरकार ने किसी तरह का कदम उठाया है ।

मैं समझता हूं, राजस्थान के सामने फाइनेन्शियल डिफिकल्टी है । लेकिन इसके कारण यह नहीं कर सकते कि हमारी जो कमजोरी है उसको न मिटाया जाय । मैं यह कहूंगा कि जब बोर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लेते हैं तो सारे फाइनेन्शियल लाएबिलिटीज़ को लेकर देश की सुरक्षा पर खर्च करें और यदि स्वयं खर्च नहीं कर सकते हैं तो भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कह दें कि हम इस बर्डन को नहीं उठा सकते, इसलिये भारत सरकार यहां पर फौज नियुक्त करे और उसका हमारे हिस्से में जो खर्चा आता है वह हम से ले । लेकिन केवल इस सस्पेन्स में हम राजस्थान के बोर्डर की सुरक्षा के प्रश्न को इस हालत में नहीं छोड़ सकते । इसलिये मैं चाहूंगा कि इन तीन-चार बातों का स्पष्टीकरण गृह मंत्रीजी करदें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान बोर्डर का सवाल है, उस पर गृह मंत्रीजी का यह कहना कि क्योंकि यह तो केन्द्र से संबंधित सवाल है इस पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, मैं समझता हूं ठीक बात है; जहां तक पाकिस्तान हिन्दुस्तान का सवाल है, उस दृष्टिकोण से यह सवाल हो जाता है; लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर रहनेवाले लोगों की सुरक्षा का जहां तक सवाल है उस संबंध में राजस्थान के गृह मन्त्री उसके लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, इसलिये वे यह बात कह नहीं सकते । वे यह कह सकते हैं कि होनेवाली घटनाओं को आर. ए. सी. के जवान देखते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक बात है, समझ सकते हैं कि रक्षा भी करते हैं, लेकिन आज की जो वस्तु-स्थिति बतलाई है, जो घटनाएं हुई हैं, डाकुओं ने हमले किये हैं, ३ अक्टूबर को सत्तासर के दो घरों को लूट कर ले गये थे वे वाकई डाकू थे या पाकिस्तान के सशस्त्र व्यक्ति जो सोल्जर्स की हैसियत से आये और लूटकर ले गये ? आप डाकू की बात को लाकर टाल दें, लेकिन यह ३ तारीख की बात डाकूओं का हमला नहीं है । पाकिस्तानी फौज

(श्री मुरलीधर व्यास)

के सिपाही रोज आ जाते हैं और लूटमार करके चले जाते हैं, सीमा पार। इस प्रकार की घटनाओं से बहुत से लोग परेशान होकर बीकानेर कलेक्टर के पास गये हैं, एस. पी. और डी. आई. जी. पी. के पास गये हैं और उनको कहा है कि आप रक्षा करिये, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं हैं। मैं गृह मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि इतना कह कर टालने से काम नहीं चलेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आज का जो वातावरण है उसमें सुरक्षा की भावना नहीं है, घबराहट है। इस समय पाकिस्तान ने अपने बोर्डर पर चौकियां बढ़ाई हैं, फौज बढ़ाई है, जवानों की संख्या ज्यादा की है। इस प्रकार उनकी हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं तो स्वाभाविक है कि सीमा के पास रहनेवाले लोग घबराते हैं। भारत सरकार ने भी अभी तक कोई बात नहीं कही है। कम से कम राजस्थान सरकार को चाहिये कि इन घटनाओं का पता लगावे; या तो डाकू पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं या यह पता लगावें कि वे डाकू नहीं हैं वे सशस्त्र सिपाही हैं, जो सिविलियन के रूप में आते हैं। इससे पहले उन्होंने कई बनियों के लड़कों को उड़ाया और कह दिया कि डाकुओं ने उड़ाया है। पता लगाने से पता चला कि उन्हीं में से कुछ आते हैं, जब पैसा उनके पास चुपचाप पहुंच जाता है तो छोड़ देते हैं। वे डाकुओं में से नहीं थे, उन्हीं के आदमी थे जो उठा कर ले जाते हैं। गत समय स्थगन-प्रस्ताव से सरकार का ध्यान खींचने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यावसायिक और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के लोगों से साठ-गांठ लगाते हैं। उनका यही रहता है कि तस्कर करलें और इतना लाभ मिले......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): गृह मंत्रीजी चले गये, किसको सुनाते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : वे सुन रहे हैं।

हजारों रुपयों का तस्कर बढ़ गया। पहले भी बहुत होता था। तस्कर करनेवाले कौन होते हैं? वे होते हैं जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए होते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान में आने-जाने का परमिट लेते हैं और लोग उनको परमिट दिलाते हैं, सिर्फ इसलिये कि आते जाते रहें और तस्कर करें। तस्कर के नाम पर पाकिस्तानियों ने सी. आई. डी. के आदमी छोड़ रखे हैं। स्वार्थ के आधार पर कुछ लोग उनको सहारा देते हैं, यहां तक कि कोर्ट तक सहारा देते हैं। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। राजनैतिक दृष्टिकोण से बड़े लोग समझे जाते हैं वे इसलिये सहारा देते हैं कि उनका आर्थिक स्वार्थ निहित होता रहे और यहां रहनेवाले सी. आई. डी. का काम करें और देश को नुकसान पहुंचावें।

तो इस सम्बन्ध में जो कुछ भी घटनायें अभी हुई हैं इस मामले में गृह मंत्रीजी को...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऐसे जो एन्टी-नेशनल हैं उनके नाम हाउस में आने चाहिए। ऐसे जो एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज करने वाले हैं उनके नाम हाउस में आने चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : नाम उनको मालूम हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको पता है........

श्री मुरलीधर व्यास : ८० हजार का केस हुआ है उसमें कौन-कौन हैं, किस किस ने किया है, यह देखेंगे तो मालूम हो जायेगा। वैसे उन्होंने देखा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एस. पी. की रिपोर्ट पहुंच गई होगी कि एक बहुत बड़े नेता की जीप पकड़ी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस सम्बन्ध में इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें मालूम था कि पाकिस्तान का रवैया है वह इस प्रकार का है कि हमारे आर. ए. सी. के जवानों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। उनको बोर्डर के भीतर ले जाते हैं, चाय पिलाने की बात करते हैं और फिर पकड़ ले जाते हैं। उनके साथ वहां दुर्व्यवहार होता है। जब उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उनके सम्बन्ध में बातचीत करने की बात होती है तो कहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है, तुम लाहोर आ जाओ। उनका दुर्व्यवहार है और फिर यह हालत कि बात भी न हो। इसलिए हमें इस सवाल को यहां तक ही नहीं रखना चाहिए। हमें भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि सुरक्षा की जिम्मेवारी आर. ए. सी. की है लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार अपनी फौज भी रखे। अगर वहां पर फौज नहीं रहेगी तो डिफेन्स की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। आज पाकिस्तान ने डिफेन्स की व्यवस्था कर ली है और बोर्डर पर चौकियां बना ली हैं। इसलिए हम भारत सरकार को सारी परिस्थिति से अवगत करायें और ऐसी व्यवस्था करायें जिससे डिफेन्स की व्यवस्था ठीक हो।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो यह है कि हमारे यहां की स्ट्रे कैटल बोर्डर में चली गई उसको ले आने के लिए आर. ए. सी. के जवान वहां गये। क्या पुलिस रूल्स के अन्दर यह अधिकार है कि अगर स्ट्रे कैटल चली जाती है तो उसको ले आने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि स्ट्रे कैटल के मालिकों का नाम नहीं बताया है। यह बोर्डर एरिया का सवाल है; यहां की स्ट्रे कैटल वहां चली जाती है और ऐसा बराबर होता है। हमारे बोर्डर एरिया में जो कैटल की ब्रीडिंग है वह ब्रीड की दृष्टि से इंडिया में बैस्ट मानी जाती है। मैं समझता हूं कि उनको वहां से हटा देना चाहिए और बीस तीस मील दूर पर रखना चाहिए। एक जो राठी कैटल ब्रीडिंग है और आगे जाकर बीकानेर का इलाका है, वहां जो रैड़ सिन्धी है, वह राजस्थान में तो क्या पूरे हिन्दुस्तान में मिलेगी नहीं। ऐसी स्थिति है। इसलिए उनको वहां से हटा देना चाहिए, नहीं तो वह ब्रीड मिलेगी नहीं। ऐसी स्थिति में उनका मालिक तो होगा, बिना मालिक के तो वह कैटल हो नहीं सकती। तीसरी बात यह है कि होम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि डाकू आते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं कही कि हिन्दुस्तान के बॉर्डर में इवेडर कौन हैं। यह निश्चित बात है कि कोई डकैत पाकिस्तान से आये, लेकिन जब तक हिन्दुस्तान में इवेडर नहीं हों, तब तक वे बोर्डर के दस, बीस मील के एरिया में डकैती नहीं कर

(श्री मोतीलाल चौधरी)

सकते। उनके इन्फोर्मेन्ट हिन्दुस्तान में होंगे, उनके इवेडर होंगे। वे लोग कौन कौन हैं, किसने क्या क्या किया- वह भी पुलिस और आर. ए. सी. को निश्चितरूप से मालूम होगा। अगर पुलिस को जानकारी नहीं रहती है कि कौन इवेडर हैं तो आर. ए. सी. के लोग भी उसमें शामिल होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इवेडर या इन्फोर्मेन्ट होते हैं उनके कहने पर ही डाकू डकैती करने जाते हैं। अगर इन्फोर्मेन्ट नहीं होंगे तो डकैती नहीं हो सकती। यह तथ्य है और क्राइम साइकोलोजी का तथ्य है। चौथा प्रश्न मेरा यह है, जो बहुत बड़ा है कि इन्टर्नेशनल दृष्टिकोण से आर. ए. सी. पुलिस बोर्डर क्रोस नहीं कर सकती। लेकिन वह किया गया है और उन्होंने मिल-जुल करके ट्रेडीशन कायम किये हैं। यह हमारे लिए बहुत घातक होगा। इसलिए वह कैसे कर लिया है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान गवर्नमेंट के ऑर्डर थे ? कौन से ऑर्डर थे और क्या उसको मेन्टेन करने के लिए आर. ए. सी. को अलाँउ किया गया है कि वे लोग वहां जायं, चाय पीयें और बैठें ? हम कैसे मान सकते हैं कि आर. ए. सी. के लोग वहां हमारी इन्फोर्मेशन नहीं देते होंगे। जब कि यह इन्टर्नेशनल लॉ है कि आर्मी या पुलिस का आदमी या कोई सिविलियन बोर्डर क्रोस नहीं कर सकता है, जब तक कि ऊपर से परमिशन नहीं मिले तो हमारे यहां के आर. ए. सी. के लोग कौन से ऑर्डर्स के मातहत, गवर्नमेंट के कौन से इन्स्ट्रक्शन्स के मातहत उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ चाय पी सकते हैं और गप्प कर सकते हैं और स्मग्लिंग का काम कर सकते हैं ? सब से बड़ी बात तो यह है कि हमारे बोर्डर पर आर. ए. सी. हो या मिलिट्री हो, वह बराबर है; क्योंकि अगर आर. ए. सी. का वह स्टेन्डर्ड नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे नेपाल जाने के लिए कैसे कहती ? इसलिए वह बात नहीं है। इन्टर्नेशनल लॉ के दृष्टिकोण से मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने कौन से कन्वेन्शन कायम किये हैं, कब किये हैं, कब इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं, जिसके अनुसार हमारे लोग पाकिस्तान में पांच-दस मील तक जाकर गप्प कर सकते हैं, उनके साथ चाय पी सकते हैं ? और जब उनको गिरफ्तार कर मारते-पीटते हैं तो वे कहते हैं कि हमें बुला कर ले गये थे। यह आर. ए. सी. के दृष्टिकोण से मैं गवर्नमेंट के सामने पेश करता हूं और आशा करता हूं कि हमें उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे कन्वेन्शन खतरनाक हो सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय.........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोर्डर में जो पोस्ट लगी हुई हैं वे बोर्डर के कितने मील के अन्दर लगी हुई हैं, उसके मुकाबले जो पाकिस्तान ने लगाई हैं, डी ज्युरे हिन्दुस्तान - पाकिस्तान का है उससे कितने दूर पर लगाई हुई हैं ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पाकिस्तान की पोस्ट के बहुत नजदीक ग्रेवल रोड्स और मैटल रोड्स बनी हुई हैं और वे एक–दो मील की दूरी पर हैं जब कि हिन्दुस्तान के बोर्डर के चौदह, पन्द्रह मील तक न ग्रेवल रोड्स हैं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और न मैटल रोड्स हैं ? पच्चीस मील की दूरी पर भी मैटल रोड्स नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जो राजस्थान बहुत अर्से से, बारह वर्ष से डेकोइट्स का मुकाबला करता रहा है और पाकिस्तान से स्मग्लिंग भी होता है, उनकी शरण में डाकू भी रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में इन वारदातों की रोकथाम के लिए भारत सरकार की सलाह से हमारे वोर्डर के एक मील के अन्दर अन्दर ग्रेवल रोड्स और मैटल रोड्स बनाने के लिए क्या इन्तजाम किया है, जिससे भविष्य में इन वारदातों की रोकथाम की जा सके और यहां व्यवस्था अच्छी की जा सके ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, ये प्रश्न जो उठाये गये हैं, इनके सिलसिले में, जहां तक पाकिस्तान का रुख है और हमारे यहां पर जो जुर्म होते हैं और जुर्म करने वाले पाकिस्तान में चले जाते हैं, इस सिलसिले में पहले निवेदन कर चुका हूं कि हमें उनका सहयोग नहीं मिलता है। इसके बारे में पाकिस्तान सरकार से सीधीतौर पर सम्बन्ध राजस्थान सरकार कर नहीं सकती, इसलिए भारत सरकार की मार्फत पूरी कोशिश में लगे रहते है और जब भी वोर्डर डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फ्रेंस आई० जी० लेवल की होती है, तब एक एक केस, जो इधर होते हैं, की डिटेल्स रखते हैं, उनको प्रेस करते हैं और हल करवाने की कोशिश करते हैं। जहां तक कैटल लिफ्टिंग का सवाल है, हमारा सात सौ मील का खुला वोर्डर है। मैंने कैटल लिफ्टिंग के फ़ीगर्स नहीं दिये थे, क्योंकि ये मांगे नहीं गये थे, डकैती और मर्डर की बाबत ही सूचना मांगी गई थी। इसके साथ ही जैसा माननीय सदस्य ने वर्किंग का प्रश्न उठाया। जहां तक पाकिस्तान के बोर्डर पर ऑफेन्स होते हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां वर्किंग नहीं किया जाता है, बल्कि हमारी नीति बिल्कुल साफ है। हो सकता है कि माननीय सदस्य को उनकी सूचना मिलती रहती है। अब बिल्कुल फेक्चुवल रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी ऑल इंडिया लेवल पर ली गई है। जो पाकिस्तान के ऑफेन्स होते हैं उनको न तो वर्किंग करने की कोशिश की जाती है और न वैसा करना नेशनल इन्ट्रेस्ट में ठीक ही है। रहा सवाल पोपुलेशन का; यह सवाल उठाया है कि पोपुलेशन के कन्वर्शन की बात कही है, वह गलत है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : I am sorry. I correct myself, not converting but shifting.

श्री मथुरादास माथुर : यह होता है। दूसरी वात उधर से जो पाकिस्तान से नेशनल्स इंडिया को आते हैं उनको हम नेशनलाइज़ करके उनको रहने की इजाजत दे देते हैं। अब चोरी छिपे लोग आते हैं उनका प्रश्न है। जो वहां से चोरी छिपे आवें और बगैर परमिट के चले आवें और रह जावें तो चोरी से कुछ यह वात तो समझ में आ सकती है मगर इसके लिये भी हमारे आर. ए. सी. के पेट्रोल बराबर गांव गांव में फिरते रहते हैं। इसलिए इस तरह का सवाल अभी हमारे सामने नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेंट इसकी जांच करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने तो यह प्रश्न आज उठाया है, हमारे पास रिपोर्ट आती रहती है। कोई भी यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान से लोग स्मगल होकर आवें और इंडिया पर खतरा पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसी चीज हम नहीं चाहते।

बहुत से सदस्यों ने पूछा कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह बताने में मैं असमर्थ हूं। जो कुछ वहां पर होता है उसकी सूचना हम भारत सरकार को देते रहते हैं। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे फोर्स एफिशियेन्सी में या इक्विपमेंटों में उनके फोर्सेज़ से किसी भी हालत में कम नहीं हैं। मेरे ख्याल से रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनको इसका ज्ञान होगा। फिर भी भारत सरकार इस संबंध में कदम उठा रही है। हमारे पोस्ट और उनके पोस्ट जो १ या १।। मील की दूरी पर हैं, वहां पर सड़क बनाने, उसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह मामला भारत सरकार और राजस्थान सरकार के आपस में विचारणीय है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे पोस्टों की क्या पोज़ीशन है? इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पोज़ीशन अलग अलग जिलों और तहसीलों में अलग अलग है। कहीं तो हमारे पोस्ट और पाकिस्तान के पोस्ट फेस टू फेस हैं और इतने नजदीक हैं जैसे आप और हम हैं, आमने सामने आवाज दे सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) जिस तरह से आप और हम हैं इतनी दूरी पर हैं!

श्री मथुरादास माथुर : अभी जो जोइंट सर्वे हुआ वहां पर कहीं तो पिलर पास पास में लगे हुए हैं और कहीं ऐसे भी स्थान हैं जहां २० या २५ मील दूरी पर लगे हैं। डेज़र्ट एरिया है जहां मीन्स आॅफ कॉम्युनिकेशन्स नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : हमारे पोस्ट २०–२५ मील की दूरी पर हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जैसलमेर और बाड़मेर में बहुत दूरी पर हैं। गंगानगर और रायसिंहनगर में दूर नहीं हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि हमारा sufficient स्टॉफ है और आर्म्स एण्ड एम्युनिशन में किसी तरह से कम नहीं है। इसके लिये माननीय सदस्य को संतोष होगा। जो माननीय सदस्य इसमें इन्ट्रेस्ट रखते हैं वे मेरे साथ दौरे में चलें। मैं यह भी निवेदन करूं कि वहां पर खेती होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी जो हालत है उसको ज्यादा दिन नहीं देख सकेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी तरह भी वहां की जनता में असंतोष और घबराहट नहीं है। जहां पर पोस्ट है और बोर्डर दूर है वहां पर खेती लोग करते हैं। वहां पर न तो कोई आतंक है, न माननीय सदस्य में कोई आतंक है।

इसलिये मेरा ख्याल है कि जो बातें कही गई उनका उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नापासर के बारे में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न पूछ लिये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक ही पूछना है। बोर्डर पर रहने वाले लोगों को सेफ्टी के लिए बन्दूकें दी गई थीं उनसे वापिस क्यों ली गईं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा कि उनको बन्दूकें दी गईं। मैंने तो यह कहा कि हमारा स्टाफ सफिशियेन्ट है और वैल इक्विप्ड है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां के लोगों को उनकी सेफ्टी के लिये बन्दूकें दी गई थीं; वे वापिस क्यों ली गईं, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह दूसरा प्रश्न है। यह एडजोर्नमेंट मोशन से कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष : बनेड़ा की स्थिति के बारे में आप कुछ कह दें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : R.A.C. used to go to Pakistan border...

श्री मथुरादास माथुर : I will send a copy of Ground Rules if the Hon'ble Member wants to understand everything. He will be enlightened.

मैं सूचना के तौर पर बता देना चाहता हूं कि कहीं-कहीं हमारे पोस्ट बहुत दूर हैं और हमारे आर. ए. सी. के आदमी पाकिस्तान में अपनी चौकियें भी गाढ़ सकते हैं। ३०० फीट पर जाकर दो आदमी उनसे बात कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके लिये रूल्स क्या हैं, आप बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बनेड़ा की स्थिति के बारे में आप कहें।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो बातें कहीं उनके लिये धन्यवाद देता हूं। मगर किसी माननीय सदस्य को बोर्डर पर ले जावेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : एक तारीख से चार तारीख तक मैं जा रहा हूं। कोई चलना चाहें तो चल सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आर्म्स बोर्डर पर रहनेवालों से क्यों लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : यह दूसरा प्रश्न है। इसको आप दूसरी तरह से पूछ सकते हैं। आप मिसयूज़ नहीं करें।

(२ म० प०)

बनेड़ा तहसील तोड़ने विषयक स्थगन–प्रस्ताव पर गृह मन्त्री का वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : श्री उमरावसिंहजी ने बनेड़ा के सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन रखा है, उसके बारे में जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं। १५ सितम्बर से बनेड़ा की तहसील तोड़ दी गई। उसके बाद में माननीय सदस्य और कई लोगों ने एक्शन कमेटी बनाई और दो-तीन दिन हड़ताल रखने की कोशिश की और भीलवाड़ा की कलेक्ट्री में आकर सत्याग्रह करना शुरू किया।

(श्री मथुरादास माथुर)

१, ३, ४, अक्टूबर को सत्याग्रही आये। उनकी कोई गिरफ्तारियां नहीं की। हम नहीं चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारियां की जाएं। मैं खुद बनेड़ा गया था और मैं कह कर आया था कि सत्याग्रह आदि करना जो नागरिकों का अधिकार है उसमें पुलिस हस्तक्षेप न करे, जब तक कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम में कुछ रुकावट न हो। जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम में रुकावट हों तो रोकना पड़ेगा। खासतौर से कलेक्टर के पैसेज को रोक दिया और ऑफिस जाने में लोगों को रोक दिया। उसमें खासतौर से महिलाओं और बच्चों का उपयोग हुआ। उनको महिला-पुलिस ने हटाया। यहां से पुलिस भेजी गई और हमने कोशिश की है कि उनको किसी तरह की तकलीफ न हो। यह कहना कि लोगों को चोटें आईं और उनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं कराया गया; न तो किसी को चोटें आईं, न पुलिस ने किसी के कपड़े फाड़े। इसलिये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

इसके अलावा जिस समय किसी को गिरफ्तार किया उसको जुडिशियल लोक-अप में भेज दिया। इसलिये पुलिस कस्टडी का प्रश्न नहीं है। यह कहना कि मोटर को आने की पर्मिशन नहीं दी, इसके लिये सत्याग्रहियों ने ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी को या कलेक्टर को अर्जी नहीं दी। मुझे इस बात का खेद है कि जब कलेक्टोरेट के पसेज को रोक दिया जाता है तो ऐसा करना पड़ता है कि उनको हटाया जाए। इसलिये हमने किया। ५ तारीख को जब बहुत ज्यादा राउडी होने लग गए तो ४० आदमियों को रोकना पड़ा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ऐसी कौनसी स्थिति पैदा हो गई थी ?

श्री मथुरादास माथुर : जब कलेक्टोरेट का रास्ता रोक दिया और एडमिनिस्ट्रेशन के काम में बाधा पहुंचाने लगे और कानून का उल्लंघन करने लगे तो पुलिसवालों ने उनको गिरफ्तार किया और लोक-अप में भेज दिया। परसों बहुत से लोगों ने माफी मांगली और उनको छोड़ दिया गया। करीब ८ आदमी पुलिस की कस्टडी में हैं। केस उनके खिलाफ सबजुडिस है, इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

(२–१० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उन माननीय सदस्य को......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) क्या उन लोगों की रिटन माफी है आपके पास ?

श्री मथुरादास माथुर : कलेक्टर के पास सब की रिटन माफियां हैं। इतना ही नहीं, फ्यूचर में गुड कन्डक्ट रखूंगा, यह भी लिखा हुआ है। बनेड़ा में हड़ताल कराने की कोशिश की गई वह भी पूरी नहीं हुई, चूंकि दशहरे का मौका था सब दूकानें खुली थीं, केवल दस-बीस दूकानें बन्द रही थीं, वहां भी आधे किंवाड़ बन्द करके बिक्री हो रही थी।

श्री अब्दुलजब्बार : पूरी हड़ताल होती तो तहसील रुक जाती ?

श्री मथुरादास माथुर : इससे मेरा ताल्लुक नहीं, तहसील पर तो बहस होगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हड़ताल होने से तहसील रुकने की बात हो तो बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये मैं माननीय साथी, जो उस क्षेत्र से आये हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि न तो पुलिस ने आपके साथ और न आपके साथियों के साथ ज्यादती की है । हां, कोई कानून का उल्लंघन करे तो गिरफ्तारी करनी पड़ती है । ८ आदमी जेल में हैं । यहां जो आये हैं तो उनको आजादी है, न तो पुलिस के लोगों ने तकलीफ दी है और न तकलीफ देने की इच्छा है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में जो गृह मंत्री महोदय ने सदन को जानकारी दी है, जहां तक मैं उसको सुन पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें से अधिकांश बातें कही गई हैं वे बिल्कुल झूठ हैं और इसको साबित करने के लिये कि लोगों पर और शांत सत्याग्रहियों पर पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं, इसके लिये मेरे पास फॉटोज् हैं, उन फॉटोज् को मैं सदन में पेश कर सकता हूं ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने फॉटोज् सदन की मेज पर रखे)

यह कहा गया कि जो लोग गिरफ्तार किये गये माफी मांग कर चले आये हैं, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या भीलवाड़ा की सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उन ४० आदमियों पर मुकदमे नहीं चलाये जा रहे हैं जिनको १३ तारीख की पेशी कोर्ट में दी गई है, १३ तारीख की पेशी दी गई है या नहीं ? उनसे जबरदस्ती १,०००) रुपये के मुचलके लिखाये या नहीं ? १५१/१०७ में गिरफ्तारियां करने का कहा । १०७/१५१ में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको रात के दो बजे यह कहकर उठा कर ले गये कि डी० एस० पी० साहब बुला रहे हैं। उन लोगों को पांच २, सात २ आदमियों ने मिल कर जीप में बैठाया और पंचायत भवन के पास नया पुलिस भवन है, जहां कोई काम नहीं होता, वहां ले गये और वहां से भीलवाड़ा ले जाकर भीलवाड़ा जेल में बन्द कर दिया गया ।

तो यह कहा गया कि कोई अत्याचार नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से फिर कहना चाहता हूं......

श्री मथुरादास माथुर : I never said that there are no prosecutions. Prosecution is going on against 8 persons ; बाकी केसेज् सब-जुडिस हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने कहा कि माफी मांग ली है, तो माफी मांगनेवालों के खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह कहा है कि ८ लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, बाकी लोगों ने माफी मांग ली है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १३ तारीख को पेशी हो रही है, उसमें कितने आदमी कोर्ट में हाजिर होते हैं, इसका फैसला कौन करे, आप करेंगे या लोग जो वहां पर जायेंगे वे करेंगे ?

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

आपका यह कहना कहां तक सही है कि लोग माफी मांग कर चले आये हैं? ४० आदमियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ताजीरात हिन्द की करीब ७ दफाओं के तहत चालीस आदमियों पर मुकदमे चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं गृह मंत्रीजी की नॉलेज के लिये बताना चाहता हूं कि ५ तारीख को गिरफ्तारियां हुईं तो गिरफ्तार करनेवाले अधिकारियों ने उन लोगों के साथ मारपीट की है, उन लोगों को जबरदस्ती घसीट-घसीट कर पुलिस की जीपों में बैठाया है और जो लोग सत्याग्रहियों के पास नहीं थे, कलेक्टरी के गेट के बाहर थे, उनको जबरदस्ती पुलिस की जीप में बैठाया गया। जो ऐसे व्यापारी थे जो बनेड़ा में रहते हैं और भीलवाड़ा में व्यापार करते हैं, उनको जेलों में डाला गया और एक-एक हजार की उनकी जमानतें लीं। संघर्ष समिति के संयोजक माणिकलालजी उस वक्त सत्याग्रहियों से २०० गज दूर परमानन्दजी से बात कर रहे थे उनको पांच-सात पुलिसवालों ने जबरदस्ती जीप में डाला और गिरफ्तार किया।

यह कहा गया कि जो लोग आये हुए हैं उनके साथ यह-यह कार्यवाही नहीं की जायगी। मैं बताना चाहता हूं कि बनेड़ा के सरपंच को, जब गिरफ्तारशुदा आदमियों से दूर किया गया तो कलेक्टर के यहां फोन आने पर उनको पकड़ा गया और जेल में डाला गया। बनेड़ा के सरपंच हुसनखां को गिरफ्तारशुदा लोगों से पहले तो अलग कर दिया, जेल से निकाल दिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गृहमंत्रीजी सत्य को छिपाने के लिये हाउस में गलत बातें कहें तो मैं नहीं मान सकता कि वे सही कहते हैं।

आपने कहा कि जयपुर आने के लिये किसी ने परमिट नहीं मांगा। एक रोडवेज है, भीलवाड़ा से अजमेर चलती है; उसके मालिक हैं, उन्होंने लिखा कि भीलवाड़ा से जयपुर के लिये ५ परमिट दिये जायं, कलेक्टर के मना करने पर उनको परमिट नहीं दिया गया। ८ तारीख को जो महिलाएं मांडल आ रही थीं, वे जब ६ मील दूर पहुंचीं तो तीन सी० आई० डी० जिनके नाम मैं पेश कर सकता हूं, उन्होंने उनकी गाड़ियों को, बैलों को रोक दिया और उन औरतों के साथ मारपीट करने की कोशिश की; पर उसी वक्त कुछ सज्जन जो यहां आ रहे थे वहां पहुंच गये, उन तीनों के नाम हैं :-

१. शफी मोहम्मद २. सरदारसिंह और ३. कजोड़ मीना।

इन तीनों सी.आई.डी. वालों ने महिलाओं के साथ मारपीट करने की कोशिश की। जैसे कि गृह मंत्रीजी हाथ हिला कर कहते हैं मैं एफिडेविट दे सकता हूं कि ये तीन आदमी वहां मौजूद थे; वह बनेड़ा के ही रहनेवाले हैं। हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं सही बात कह रहा हूं। आपको सही बात छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

आपने कहा कि महिलाओं के साथ महिला-पुलिस ने बात की। दूसरों ने नहीं की; मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि १ तारीख को भीलवाड़ा में सत्याग्रहियों का जत्था गया, ४ महिलाएं सत्याग्रह करने गईं तो उन सत्याग्रहियों के

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

साथ धूमाधामी करने के लिए, घसीटने के लिए छः ऐसी औरतों को जो सिविल ड्रेस में उपस्थित थीं, लाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! मैं यह उचित समझूंगा कि जब मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया है तो बजाय भाषण के जो स्पष्टीकरण के प्रश्न हैं वे ही पूछ लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे ही तो पूछ रहा हूं। आपने कहा वह गलत कहा है। आपने कहा कि पुलिस की औरतें थीं। महिला फोर्स पुलिस की थी, यह गलत है और यही मैं उनसे पूछना चाहता हूं। वहां पर छः महिलायें सिविल ड्रेस में थीं। कलेक्टर साहब से कहा कि ये महिलायें सिविल ड्रेस में हैं। कलेक्टर ने खुद ने अपनी जीप में बैठा कर सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को साड़ियों की जगह बुश शर्ट पहिना कर लाया गया। आप कहते हैं कि पुलिस महिलायें ड्रेस में थीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, sir, आज सरकार जानकारी देती है वह पूरी जिम्मेदारी के साथ देती है। उसके पास एक मशीनरी है। हमारे गृह मंत्रीजी ने उनके जो ऐतराज थे उनके बारे में सदन में कहा। जो इन्फोर्मेशन उनको मिली वह करेक्ट होनी चाहिये। स्पष्टीकरण के बाद भी इस प्रकार कहा जाय तो यह एक गलत परम्परा होगी। उनके खुद के सोर्स नहीं। असेम्बली में आते वक्त पट्ट बिछा कर खुद नारा लगाते हैं तो वे तो एक पार्टी हैं। इसलिये पार्टी के लिए हाउस का उपयोग नहीं होना चाहिये; ऐसा मेरा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अब कह चुके हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ मैंने कहा वह अन्तिम है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने कहा है कि महिला पुलिस उपस्थित थी। मैंने फॉटोज़ प्रस्तुत की हैं कि किस प्रकार सिविल ड्रेस में लोगों के साथ छेड़खानी की गई तो आप उसको देख सकते हैं। पुरुषों ने स्त्रियों के हाथ पकड़ रखे हैं, छेड़खानी की है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जयपुर से महिला फोर्स को भेजा है इसलिए कह रहा हूं कि महिला फोर्स वहां गई है।

श्री रामकिशन (वैर) : ऐसा हो सकता है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लेकिन उनका वहां उपयोग हुआ है या नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया उस पर आपके आदेश होने चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य खुद इस आन्दोलन के संचालक हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह गलत है कि संचालक हैं। हों तो भी सही चीज को कहने में क्यों ऐतराज होना चाहिये ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नारे लगायें...

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Next item.

(२-३० म. प.)

कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ ।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, sir, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में १६ अक्टूबर की कार्यवाही के लिए मैंने लिखा है, उसमें यह है कि "राजस्थान जन सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर जिसकी प्रति दिनांक ४ मई, १९६२ को सदन की मेज पर रख दी गई थी, विचार किया जाय ।" विचारार्थ लिये जाने का यह प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था । नियमानुसार जिस प्रस्ताव की सूचना पहले जो दे देता है उसी के नाम से वह प्रस्ताव दिखाया जाता है । लेकिन जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें मुख्य मंत्री का नाम मेरी जगह लिखा गया है । मेरा निवेदन है कि उसमें संशोधन कर दिया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : आपका पर्पज सर्व हो गया । यदि गवर्नमेन्ट इनीशियेट नहीं करे तो आप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेन्ट स्वयं कर रही है । हम खुद ही चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

रिपोर्ट स्वीकार की गई ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का डिसीजन नहीं लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय द्वारा ही वह किया जा चुका है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I raised the point of order that a motion received first from any Member of the House shall be given priority over any motion received later on from any other Member.

श्री उपाध्यक्ष : But actually if there is a Government motion, then it is always given prior consideration. Therefore it has been taken.

पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रिएम्प्शन बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सैकण्डरी एज्युकेशन (सैकण्ड एमेण्डमेण्ट) बिल, १९६२ को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, वित्त): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (एमेण्डमेण्ट) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करता हूं।

(२.-२० म. प.)

राजस्थान पशु चिकित्सक विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति को)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वैटेरिनरी प्रेक्टीशनर्स बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सक विधेयक..................

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैंने यह एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था बनेड़ा के विषय में उसका क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): That will be discussed later on in the general discussion on Tehsils.

श्री कुमारानन्द : मैंने मोशन दिया था, जनरल डिस्कशन के लिए उसका क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : That will be replied by the Chief Minister when we have general discussion.

राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियंत्रण विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा)

श्री उपाध्यक्ष : जो बिल कल प्रवर समिति को सौंपा गया था उसके सदस्यों की नामावली इस प्रकार है:—

(१) होम मिनिस्टर
(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(३) श्री दुर्गालाल वाढ़दार
(४) श्री नत्थीसिंह (१२५)
(५) श्री रामानन्द अग्रवाल
(६) श्री मानिकचन्द सुराणा
(७) श्री रामकिशन
(८) श्री बृजसुन्दर शर्मा
(९) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
(१०) श्री मालमसिंह
(११) श्री मोतीलाल चौधरी
(१२) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
(१३) कुमारी उमा माथुर
(१४) श्री फूलचन्द जैन
(१५) श्री रामदेवसिंह

Page No.68

राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२
(प्रवर समिति को)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२ को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया हुआ है; वह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इस प्रकार का मेरा प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा राजस्थान में जो पशुओं की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक हैं उनके पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान सरकार को चाहिये तो यह था कि कई वर्ष पहले इस प्रकार के विधेयक को लाते, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि हमारे राजस्थान का राज्य जहां मिनरल वैल्थ के बारे में गर्व करता है वहां राजस्थान के अन्यान्य भागों में हमारा पशुधन भी काफी है। उस पशुधन की चिकित्सा की दृष्टि से हमारी राज्य सरकार पिछले दिनों से काफी उदासीन रही है। 'उदासीन' मैं इसलिये कह रहा हूं कि कृषि मंत्री महोदय ने किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण रिंडरपेस्ट की व्यवस्था कर ली हो, किसी प्रकार टीके लगाने की व्यवस्था कर ली हो और उसके आंकड़े छपवा कर विधान सभा के सदस्यों के सामने भेज दिये हों, लेकिन जहां राजस्थान के पशुधन का सवाल है इस बारे में उनकी चिकित्सा के बारे में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये उतनी व्यवस्था राज्य के सभी भागों में नहीं हो सकी है। पशु-चिकित्सकों की जिस प्रकार की हालत है, राजस्थान सरकार का ध्यान इन वेटेरिनरी डॉक्टर्स की ओर १५ सालों के बाद गया है कि उनका पंजीकरण होना आवश्यक है। आयुर्वेद चिकित्सकों के पंजीकरण के लिये इन्डियन मेडिसिन बोर्ड है। एलोपेथिक डॉक्टर्स के लिये मेडिकल कौन्सिल है लेकिन जहां पशु-चिकित्सकों के पंजीकरण का सवाल है उसके बारे में आज तक हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसको प्रवर समिति में देने के लिये मैंने प्रस्ताव इसलिये किया हैं कि इस विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन बातों के बारे में इतने सूक्ष्म समय में विचार नहीं किया जा सकता। जिस समय जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि हम इस कानून को जल्दी में पास कर रहे हैं, इसमें कई प्रकार की खामियां रह जावेंगी। जोधपुर से आने-वाले माननीय सदस्य ने उस समय इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन जब कानून बन गया उसके बाद उनको भी खामियां नजर आयीं तो उन्होंने भी वक्तव्य दे दिया कि यह विधेयक लूला-लंगड़ा है। मेरा इस कानून की भावना से कतई विरोध नहीं, मेरी तो यह मांग है कि इस प्रकार का कानून तो बहुत दिनों पहले ही आ जाना चाहिये था। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान कानून के उन क्लॉज़ेज़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें खामियां रह गई हैं, जिन पर सदन में संशोधन लाकर विचार नहीं हो सकता। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजना होगा, जो इस पर विचार करके संशोधन के साथ प्रस्तुत कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारी भावना है कि राजस्थान के पशु-चिकित्सकों का पंजीकरण बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था, उसके लिये कानून शीघ्र बनाया जाय और उसके रजिस्ट्रेशन के लिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अलग बोर्ड का निर्माण किया जाय और उन डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाय जो पशु-चिकित्सक हैं, जो अदालत में शहादत देते हैं उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाय। पशुओं की चिकित्सा की दृष्टि से जो भी साधन हैं वे राज्य सरकार के नियन्त्रण में चल सकें। बोगस कुछ लोग जो झूठे सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऐसे लोगों को इस फील्ड से अलग किया जाय। जैसा कि मैंने पहले कहा था इस विधेयक की भावना ठीक है, लेकिन जो कानून बनाया गया है वह उस प्रकार का बन नहीं पाया है। राजस्थान सरकार का इन्डियन मेडिसिन बोर्ड है, इन्डियन मेडिकल कौन्सिल बनी हुई है उसके कॉन्स्टीट्यूशन पर भी विचार करना होगा। आज जो भी कॉन्स्टीट्यूशन बनते हैं, चाहे वह हिन्दुस्तान की सरकार बनाती हो या राज्य सरकार; सब जगह हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, हमने उसके जरिये अधिक से अधिक सत्ता को विकेन्द्रित किया है। इस बोर्ड के कम्पोज़ीशन की जो व्यवस्था की है, जो पशु-चिकित्सकों पर नियन्त्रण रखेगा, वह कम्पोज़ीशन जिस प्रकार का होगा उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वह किस प्रकार का संगठन होगा, क्या उस प्रकार के संगठन से हम राज्य के पशु-चिकित्सकों पर सही मायने में नियन्त्रण कर सकेंगे या नहीं? यह देखने की बात है। जो डोमीनेटिंग बोडी है उसका निर्माण इसमें ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। उसमें डॉक्टर्स का रिप्रेज़ेन्टेशन ज्यादा नहीं होगा, उसमें सरकार का बहुमत होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो वेटेरीनरी डॉक्टर्स के लिये कौन्सिल बनायेंगे उससे डॉक्टरों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती, वह राज्य सरकार के हाथ में एक कठपुतली मात्र रह जायगी, वह राज्य सरकार के मंत्रियों के इशारे पर चलनेवाली संस्था होगी। इस कानून के तहत क्लॉज़ ४ में जो व्यवस्था की है परिषद् के अन्दर किस प्रकार की व्यवस्था होगी; उस व्यवस्था के अन्दर डाइरेक्टर महोदय एनीमल हस्बेन्डरी रहेंगे, वेटेरीनरी कॉलेजेज़ के प्रिन्सिपल्स रहेंगे, युनिवर्सिटी के वेटेरीनरी डिपार्टमेन्ट के सदस्य होंगे और राजस्थान के जितने भी पशु-चिकित्सक हैं उनके चार नुमाइन्दे सिर्फ चुने हुए होंगे। आपने उस कौन्सिल में अपने डाइरेक्टर को रख दिया, वेटेरीनरी कॉलेजेज़ के प्रिन्सिपल्स को रख दिया, चार मेम्बर्स इलेक्टेड रख दिये; उसके बाद यह व्यवस्था क्यों की कि पशु-चिकित्सक जहां चार नुमाइन्दे चुन कर भेजेंगे उसके बाद स्टेट गवर्नमेन्ट दो और डॉक्टर्स की नियुक्ति करेगी? उसके बाद भी आप दो डॉक्टर्स के नोमीनेशन के अधिकार क्यों चाहते हैं? कौन्सिल का जो कॉन्स्टीट्यूशन है, जब हम राजस्थान स्तर पर कौन्सिल का निर्माण करते हैं और पशु-चिकित्सकों को चुन कर अपने नुमाइन्दे भेजने का अधिकार देते हैं उसके बाद दो और डॉक्टर्स को नियुक्त क्यों करते हैं? अगर आपको डॉक्टर्स के छः प्रतिनिधि लेने हैं तो वह भी चुनाव करा कर लीजिये। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब परिषद् का गठन वे लोकतान्त्रिक आधार पर करना चाहते हैं तो डॉक्टर्स जो नुमाइन्दे चुन कर भेजते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाय ताकि डेमोक्रेटिक ढंग से चुन कर आ सकें; नहीं तो यह होगा कि डाइरेक्टर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपका, वेटेरीनरी कॉलेज के प्रिन्सिपल्स आपके, इस तरह से बहुमत आपका हो जायगा और इस तरह से वे आपके इशारों पर ही काम करेंगे । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के अन्दर जो सबसे खराब व्यवस्था की है, जिसमें लोकतन्त्र का गला घोटा है वह है नुमाइन्दों के अधिकारों में कमी करने का । इसके पीछे जो भावना है वह यह है कि राजस्थान सरकार अपने नुमाइन्दों की संख्या अधिक रख कर मनचाहा काम करवाना चाहती है । कहने को तो आप कहेंगे कि हमने तो इसके लिये इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी का निर्माण कर दिया, लेकिन वह इन्डिपेंडेन्ट बॉडी न होकर सरकार की बॉडी होगी और उसमें सरकार के लोगों का बहुमत होगा । इतना ही नहीं; हम आगे चल कर देखते हैं तो किस प्रकार डॉक्टर्स अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, कोई पीरियड नहीं पन्द्रह दिन तक नहीं चुनें तो सरकार अपनी तरफ से नोमीनेट कर देगी । माननीय मंत्री महोदय क्लॉज़ ४ के (ई) को देखें, उसको हटाया जाना चाहिये । कौन्सिल का जो कम्पोज़िशन है उससे तो सदन के माननीय सदस्य सहमत होंगे; लेकिन इसके गठन में लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को काम में लिया जाय । जहां डॉक्टर्स के दो प्रतिनिधि और राज्य सरकार नोमीनेट करना चाहती है वे अधिकार सरकार को नहीं होने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यह जो कौंसिल बन जावेगी तो उसमें रजिस्ट्रेशन का सवाल खड़ा होगा । अब जो रजिस्ट्रेशन के लिये क्वालिफिकेशन्स तय की हैं उनके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा । ये क्वालिफिकेशन्स धारा १८ में दी हैं । इसमें यह है कि जिनको ये डिग्रियां हासिल होंगी उनको ही रजिस्टर किया जावेगा ।

अब केवल रजिस्टर ही करना हो तो बात समझ में आ सकती है कि आप उसके लिये कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर दें; पर आगे चल कर ऐसी भी व्यवस्था की है, उदाहरण के लिये मैं निवेदन कर दूं, समझाने के लिये, उन्होंने लिख भी दिया है कि वेटेरीनरी केस के सिलसिले में किसी कोर्ट में अगर शहादत देने का मौका आवे तो जो रजिस्टर हैं उनको ही माना जावेगा, बाकी को नहीं । अगर यह व्यवस्था नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो चाहें रजिस्टर करावें, जो न चाहें न करावें । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की है और शिड्यूल में लिखा है कि इन-इन यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां मान्य होंगी । इनमें राजस्थान की भी हैं और बाकी स्थानों की भी हैं । लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कितने क्वालिफिकेशन वाले वेटेरीनरी डॉक्टर्स हैं, जिनको ये डिग्रियां मिली हुई हैं और कितनी जगहों पर वेटेरीनरी हॉस्पिटल्स हैं और कितनी डिस्पेन्सरियां हैं और कहां-कहां पशु-चिकित्सा की व्यवस्था है? कल ही सदन में प्रश्न आया था कि ५०० डॉक्टरों की कमी है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): आदमियों की कमी है, औरों की तो नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आदमियों की कमी है, पर जानवरों की कमी नहीं है; यह आप जानते हैं । आपके इलाके में ही जानवर बहुत अधिक हैं ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अब क्वालिफाइड डॉक्टर्स वेटेरीनरी के कितने हैं, यह वे बतायेंगे जो वेटेरीनरी में काम करते हैं और राजस्थान में पशुधन कितने गांवों में हैं ? कोई गांव राजस्थान में ऐसा नहीं है जहां पशुधन नहीं हो और राजस्थान भर में केवल दो-चार स्थानों के अलावा और कहीं वेटेरीनरी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है । तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि छोटे-छोटे गांवों में, ढाणियों में बसने वाले जानवरों का इलाज कौन करेगा? आज तक कौन करता आया है, सैंकड़ों वर्षों से जब कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं थे तो गांवों में और इन ढाणियों में गरीब लोगों के पास, जिनके पास आपका यह महंगा इलाज कराने के लिये पैसा तक नहीं, क्या साधन हैं आज अपने पशुओं का इलाज कराने का ? दूसरी दिक्कत यह भी है कि सरकार के पास आज इतनी व्यवस्था नहीं कि राजस्थान भर के गांवों में इसकी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा सके । आज सरकार अगर गांव-गांव में वेटेरीनरी अस्पताल और डिस्पेन्सरियां खोल दे तो आपकी यह बात मान सकते हैं कि दूसरों को प्रेक्टिस नहीं करनी चाहिये। आज गांव में देशी आधार पर पुराने ढंग से कोडियों में इलाज करते हैं पशुओं का लोग । आपको मालूम होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज राजस्थान में अनेकों रेबारी हैं, ऊंटों का जत्था लेकर चलते हैं, गांवों के सैंकड़ों लोग ऐसे हैं, जो उनमें से किसी के बीमार होने पर चन्द नये पैसों में उनका इलाज कर देते हैं। एक रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं । आप चाहते हैं कि वे पुरानी पद्धति से इलाज करनेवाले समाप्त हो जावें ? नहीं, तो उनका क्या होगा, आपने उनके बारे में क्या सोचा है ? उनको आपने इस एक्ट में एक्सेप्ट नहीं किया, उनके लिये कोई व्यवस्था इसमें नहीं की, उनको क्वालिफाइड नहीं माना । यह हो सकता है, मैं तो यह कह सकता हूं कि आज के पढ़ाई के युग में एग्रीकल्चर की डिग्री लेकर आनेवाला एक ग्रेजुएट एग्रीकल्चर के बारे में एक्सपर्ट नहीं हो सकता उतना जितना गांव का एक अनपढ़ किसान एक्सपर्ट है, जिसने कहीं किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में शिक्षा नहीं पाई है, फिर भी वह उस एग्रीकल्चर बेचुलर से कहीं ज्यादा जानता है कि फसल कैसी होनी चाहिये, बीज कैसा होना चाहिये, खाद कितना और कैसा होना चाहिये, पानी कितना और बरसात कितनी होनी चाहिये, मौसम कैसा होना चाहिये, इत्यादि ।

ये सारी बातें एग्रीकल्चर कॉलेज से निकले हुए, टॉप नम्बर से पास हुए, जिसे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड सरकारी नौकरी के लिये मान सकते हैं, उससे अधिक गांव का एक अनपढ़ साधारण किसान जानता है । उसे प्रत्यक्ष ज्ञान इसका होता है । ठीक इसी तरह वेटेरीनरी डिग्री पानेवाले की बात है । उसने डिग्री किसी कॉलेज की ले ली तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने पशुओं की सारी बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली । मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसे-ऐसे वेटेरीनरी डॉक्टर्स निकल कर आते हैं जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कि घोड़े और अन्य जानवरों की क्या क्या बीमारियां हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान की दृष्टि से पुरानी पद्धति से इलाज करने वाले ज्यादा क्वालिफाइड हैं, इन डिग्रीधारियों के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बनिस्पत; पर इनके रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं की गई है और राजस्थान में इस पद्धति से काम करनेवाले हजारों की संख्या में होंगे, जब कि आपके डॉक्टर बहुत ही थोड़े हैं। वे गांव गांव में फैले हुए हैं, जब कि सारे राजस्थान में आपकी वेटेरीनरी के तीन या चार अस्पताल सारे हैं। तो क्या आप उनको रेगुलेट नहीं करना चाहते? क्या आप उनको किसी प्रकार से ट्रेड-अप नहीं करना चाहते? क्या आप उन पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाना चाहते? अगर आप चाहते हैं कि उनको भी लाभ पहुंचे और उनसे भी लोग लाभ लें तो उनके भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये। यह अहम मसला है। इसे गांव से आने वाले कई माननीय सदस्य जोरदार शब्दों में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उनको आज मालूम है गांवों में वेटेरीनरी डॉक्टर नहीं, डिस्पेन्सरी नहीं, अस्पताल नहीं तो वे उन गांवों में पुरातन से काम करने वालों के रजिस्ट्रेशन की बात रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात सदन के सामने और रखना चाहूंगा और वह यह है कि जिस पर हमें विचार करना है प्रवर समिति में। हमने कौंसिल का गठन कर दिया और इसके बाद हमने पांच साल का समय भी रख दिया। हमने इसके लिये बाकी भी सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन सरकार ने इसमें लिखा है कि कौंसिल के लिये रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। इसमें धारा १३।१४ के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि रजिस्ट्रार के लिये आपने क्या क्वालिफिकेशन रखी है? कौन होगा? किसको रजिस्ट्रार अपोइन्ट किया जा सकता है? कहां लिखा है आपने इसमें यह? आप जिसको चाहेंगे अपोइन्ट कर देंगे। राजस्थान में ऐसे भी उदाहरण हैं कि मिडल पास को बी.डी.ओ. बना दिया जाता है और डिग्री होल्डर रह जाते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): ऐसा कोई उदाहरण है क्या?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पिछली विधान सभा में ही आया था उदाहरण। सब-इन्सपेक्टर आर. ए. एस. की ग्रेड में आ गया है मेट्रिक पास पुलिस से। तो इसमें या तो आपकी मर्जी का आदमी होगा, पोलिटिकल सफरर होगा, रिटायर हैंड होगा, उसको आप रख देंगे; नहीं तो आप क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करिये। कौंसिल, जिसके नाम से दावा हो सकता है, कोर्ट में बात मानी जाती है, उसका आप रजिट्रार बनाने जा रहे हैं और सारे एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन्स जिसके थ्रू होंगे उसके लिये क्वालिफिकेशन नहीं रख रहे हैं। यह बहुत बड़ा लेकुना है इस कानून में, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

आगे का क्लॉज़ एक ऐसा है कि जिसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि सरकार के लॉ डिपार्टमेंट को एक तरह का मीनिया हो गया है। मीनिया इसलिये कहता हूं इसको कि कोई भी कानून इस लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू इस सदन में आवे तो एक क्लॉज़ जरूर उसमें होना चाहिये उनके हिसाब से, और वह क्या है? यह है वह कि इस कानून के तहत की गई कोई भी कार्यवाही अदालत में चैलेन्ज नहीं की जा सकती। यह हर कानून में

Page No.73

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मिलेगा । अगर कोई झूठी कानूनी कार्यवाही करता है तो आप उसे अदालत में जाने से रोकना क्यों चाहते हैं, जाने दीजिये । आप अगर गल्ती नहीं करते हैं तो फिर उसके कोर्ट में जाने से डरते क्यों हैं ? और अगर गलती करते हैं तो ठीक है उसे जाने दीजिये, गलती आपके ध्यान में अगर नहीं आई है तो उनके ध्यान में आ जावेगी और ठीक हो जावेगी । क्या आप गलती ठीक कराना नहीं चाहते ? आप हर कानून में यह धारा रखते हैं । यह क्लॉज़ २७ है. इसमें "No suit or other legal proceedings shall lie in respect of any act done in the exercise of powers conferred by this Act on the State Government or the Council or any of its members or office bearers." अब आप यह बताइये कि राजस्थान सरकार या यह परिषद् कोई भी गलत कार्यवाही करे उसके लिये कोई अदालत में नहीं जा सकता । क्यों नहीं ? राजस्थान सरकार रोज गलत कार्यवाहियाँ करती है, नित्य प्रति गलत कार्यवाहियाँ करती है । बड़ी-बड़ी वोडीज करती हैं और अदालत में जाकर वे चैलेन्ज होती रहती हैं । हमने सबसे बड़ा संविधान इस देश में बनाया है । मैं अहम बात रखना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि कानून में इस प्रकार की बात रखना, ऐसी धारा रखना राजस्थान सरकार के द्वारा भारत के संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है । हमने भारत के संविधान में तीन व्यवस्थाएं मानी हैं । एक जुडीशियरी की, दूसरी लेजिस्लेचर की और तीसरी एग्ज़ीक्यूटिव को माना है और जब कभी भी प्रशासन ज्यादतियां करता है या कानून के बारे में इन्टरप्रिटेशन का सवाल खड़ा होता है तो अदालत का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है । यह मौलिक अधिकार है जो संविधान ने देश के हर नागरिक को दिया है और मैं मानता हूं कि कानून में इस प्रकार की व्यवस्था करना कि अदालत में नहीं जा सकते, भारत के संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल पड़ता है ।

एक नहीं, अनेक उदाहरण हो सकते हैं । राजस्थान की शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था यूनीवर्सिटी में वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट के सवाल को लेकर, युनीवर्सिटी जो कि सीनियर बॉडी है, इससे ज्यादा सीनियर ऑफिस और नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए भी लोग अदालत में गये और आखिर राज्य सरकार ने अपने कानून में संशोधन किया । तो फिर समझ में नहीं आता कि आप इस कानून में इस प्रकार की पाबन्दी क्यों लगाना चाहते हैं ? अगर आप यह मान कर चलते हैं कि आप गलत काम नहीं करेंगे तो फिर अदालतों में लोगों को जाने दें । यह प्रोवीज़न क्यों इसमें होना चाहिए ? तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि यह मीनिया हमारे भूतपूर्व राजस्व मंत्री को था कि वह नहीं चाहते थे कि उनके एक्शन को अदालतों में चैलेंज किया जाये । मैं समझता हूं कि इस प्रोवीज़न को वर्तमान मंत्री महोदय इस कानून में से हटावेंगे और लोगों को कोर्ट्स में जाने का मौका देंगे । उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमारे मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए और राज्य सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसी संबंध में निर्णय लेकर हमारी सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस कानून में बहुत कुछ इन्क्वायरी कराने का सवाल है कि जो डॉक्टर्स होंगे उनके कन्डक्ट के बारे में कुछ इन्क्वायरीज़ होंगी। इस तरह की चीज इस कानून के क्लॉज़ ३० में है:—

"30. Proceedings in inquiries and appeals.—For the purpose of any inquiry held under section 25, or of any appeal under section 23, the Council shall be deemed to be a court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872); and shall exercise the powers of a commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (Central Act 37 of 1850) and every such inquiry and appeal shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 to 10 of the said Public Servants (Inquiries) Act 1850."

मैं माननीय मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा उनके जवाब में कि जितनी भी कौंसिल्स बनी हैं उनमें कौन कौन से कानूनों में इस प्रकार की व्यवस्था है, जहां पर हमने इस प्रकार की कौंसिलों को अधिकार दिया है, जहां पर हमने कौंसिल्स को कोर्ट्स की संज्ञा दी है। इन्डियन एवीडेन्स एक्ट के प्रोवीज़न्स में साफ आता है, पब्लिक सर्वेन्ट्स को इन्क्वायरीज एक्ट के अन्दर अधिकार दिया है, कौंसिल बनी हुई है, जांच करनी है वह करे और जो कुछ कार्यवाही करनी है वह कर सकते हैं। हमने उसको जुडीशियल बॉडी कभी भी नहीं बनाया। मैं नहीं समझता कि वेटेरीनरी कौंसिल, जो डॉक्टर्स की बनने वाली है उसको जुडीशियल करेक्टर क्यों दें? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में बतायेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, जिनके तहत इस प्रकार का अधिकार दिया है? उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, अब आप बतायेंगे कि गांवों में रहने वाले लोग पशुओं की बीमारी के लिये ज्यादा समझ सकते हैं, कोई अदालत में जाये तो उसकी शहादत नहीं ली जायेगी और आपका डॉक्टर शहादत दे जाये तो आपके कानून में लिख दिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस क्लॉज़ को पढ़ कर इसमें क्लॉज़ ३२ (३) में लिखा है:—

"(3) No person shall be qualified to give evidence as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872), on any matter relating to Veterinary science, unless the said person shall have been registered under this Act."

अब जितने भी बेचारे गांवों में रहने वाले लोग जो पशुओं की बीमारियों के बारे में ज्यादा समझते हैं उनकी तो कोई गवाही नहीं हो सकती और इतना ही नहीं जो डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन से बच जायें, किसी प्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन न हो सके या किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाये तो वह भी अदालत में शहादत नहीं दे सकता। इस प्रकार से तो आप इन्डियन एवीडेन्स एक्ट और सारे एक्ट्स में तरमीम करना चाहते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि हम एक्सपर्ट्स होंगे और रजिस्टर्ड होंगे केवल उन्हीं की शहादत को मानेंगे। परन्तु आपको मालूम होगा कि यह अदालत का काम है कि वह किसी को एक्सपर्ट मानती है। हम जानते हैं कि एक्सपर्ट्स के बयान कोई कनक्लुजिव नहीं माने जा सकते। आपका पी. एम. ओ., सीनियर फिज़ीशियन या सर्जन भी किसी अदालत में गवाही देने जाये तो the evidence of expert is not conclusive. अगर वह भी कनक्लुज़िव नहीं है तो फिर आपको इसे यहां रखने की क्या जरूरत है? आपने शहादत में संशोधन करने की बात की है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही आखिर में मैं कहूंगा कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है उसमें कमी रह गयी है, किसी का नाम रजिस्टर्ड नहीं हो सका हो दफ्तर की गलती से और उसका नाम न हो, कई बार गलती से रह जाता है, कई बार लोगों के नाम नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के कई केसेज़ मिल जाते हैं कि लोगों के नाम नहीं हैं। अब आपने लिख दिया इसमें कि:-

"Every court shall presume that a person whose name is entered in the latest of such lists is duly registered under this Act, and that a person whose name is not so entered is not registered under this Act:"

और रजिस्टर्ड नहीं है वह कहीं प्रेक्टिस करता हुआ पकड़ा जाये तो उसको जेल में रख देंगे। उसकी शहादत नहीं हो सकती और परेशानी पैदा होगी। तो क्या यह कानून राजस्थान में लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया जा रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जितने भी सारे क्लॉज़ेज़ हैं वे बड़े गम्भीर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बात और अंत में रहती है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया और एक मीनिया के बारे में बताया था कि पहले वाले मंत्री महोदय में यह मीनिया था कि लोग उनके एक्शन के लिए अदालतों में न जायें, परन्तु एक और मीनिया हमारी राज्य सरकार को पहले से ही रहता है और वह यह है कि म्यूनिसिपल कमेटी है या इसी प्रकार की दूसरी संस्थायें हैं उनको राज्य सरकार बड़े डेमोक्रेटिक ढांचे की बनाने की कोशिश करती है; एक लोकतांत्रिक आधार पर उनको चलाना चाहती है, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी करते हैं जो कि उन संस्थाओं के स्वतंत्र विकास में बाधायें उपस्थित करती हैं। ये संस्थायें अब कभी सरकार की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं। तो उनका गला घोटने की व्यवस्था कर दी जाती है। ऐसा ही नहीं; बल्कि क्लॉज़ ३५ में व्यवस्था है और उसमें लिखा है—

"35. Control of Council by the State Government.—If at any time it shall appear to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred upon it under this Act., or has failed to perform a duty imposed upon it by this Act, the Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council, and if the Council fails to remedy such default, excess or abuse within such time as may be fixed by the Government in this behalf, it may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such agency and for such period at it may think fit;

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Provided that it shall take steps as soon as may be convenient to constitute a new council of members prescribed in Section 4. "

पहली आपत्ति तो यह है कि आखिर कौंसिल को बनाने के लिए साधारणतया आप चुनाव करेंगे। डॉक्टरों की सहूलियत के लिए संस्था बनाई, उसके लिए नुमाइन्दे उसमें हैं, राज्य कर्मचारी उसमें मौजूद हैं; तो या तो यह कहना चाहिए कि हमारी सरकार को हमारे डाइरेक्टर महोदय के ऊपर विश्वास नहीं है या डाक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि आपको उनकी योग्यता पर विश्वास है, आपके डाइरेक्टर इन्स्टीट्यूशन के प्रेसीडेन्ट हैं, आपके कर्मचारी उसमें हैं जो आपकी तनख्वाह पाते हैं, आपकी सेवादारी में हैं, वे उसके अध्यक्ष हैं और फिर आप कहते हैं कि यदि संस्था अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेगी, अगर प्रेसीडेन्ट उसमें गड़बड़ करता है, डॉक्टर काम नहीं करते हैं; कानून के अनुसार काम नहीं करते हैं तो दूसरे डाइरेक्टर को आप बना सकते हैं। आखिर उसके डिज़ोल्यूशन की नौबत क्यों आनी चाहिए? उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है, यदि लिख दिया कि दूसरी एजेन्सी को काम दे देंगे और जब कन्वीनियेन्ट होगी तो हम फिर उसको रीकॉन्स्टीट्यूट करेंगे। राज्य सरकार को उसकी सुविधा होगी, दुबारा चुनाव कराके जैसी भी सुविधा राज्य सरकार को होगी वह राज्य सरकार करेगी और तब तक वह एजेन्सी नई काम करती रहेगी।

(३ म० प०)

अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक नई एजेन्सी राज्य सरकार ने बनाई है। वह सरकार की मर्जी के अनुसार एजेन्सी होगी और सारा उनकी मर्जी और इच्छा के अनुसार काम चलेगा। तो वह आपकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए संस्था होगी तो उसको क्यों हटायेंगे? आज हम म्युनिसिपैलिटियों में क्या देखते हैं कि आज राजस्थान में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं उनमें से आधे से ज्यादा भंग कर दी गई हैं, उनको डिज़ॉल्व कर दिया है, सुपरसीड कर दिया है, उनके पावर खत्म हो चुके हैं और राज्य सरकार चुनाव नहीं कराती है और नोटिफिकेशन शाया हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) नियुक्त किया जाता है, जब तक कि चुनाव नहीं हो, या जब तक कि कौंसिल का कान्स्टीट्यूशन दुबारा नहीं बन जाय। अब सरकार की सुविधा की बात है तब चुनाव कराएगी। चुनाव कराने की क्या जरूरत है, प्रशासक काम कर रहा है? जैसा वे चाहते हैं वह काम करता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत घातक व्यवस्था है। इसके लिए पीरियड फिक्स-अप करना चाहिए। वैसे तो मैं डिज़ोल्यूशन का विरोधी हूं, लेकिन अगर डिज़ोल्यूशन की व्यवस्था रहती है और अगर सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य यह आवश्यक समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए तो कम से कम एक अवधि रहनी चाहिए कि इतनी अवधि के अन्दर अन्दर उसका पुनर्गठन हो जायगा, दुबारा परिषद् का निर्माण हो जायगा, इस तरह की आगे एजेन्सी काम नहीं करेगी। इस प्रकार की गारन्टी, इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस कानून का सवाल है जो कुछ भी मोटे-मोटे मुद्दे सैद्धान्तिक रूप से हो सकते हैं वे मैंने सदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के माननीय सदस्यों से निवेदन किये हैं। मैं इस कानून का विरोध नहीं करता हूं। मेरी तो मान्यता यह है कि इस कानून को बहुत पहले लाना चाहिए था; हां, देर से लाये हैं। लेकिन यह कानून अच्छा नहीं है। इसमें कानूनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, कानून की बहुत सी खामियां हैं। इसलिए यह कानून सही दिशा में अच्छा कानून नहीं आया है। इसलिए मैंने यह भावना प्रदर्शित की है इसको प्रवर समिति में जाने की, ताकि उस पर गम्भीरता से विचार कर सकें और संशोधित कानून सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ अगले सत्र में आ जाय, इस प्रकार का जो प्रस्ताव मैंने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार और माननीय मंत्रीजी मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और अगर नहीं करते हैं तो सदन के बाकी के सदस्य मेरे प्रस्ताव का समर्थन करके सरकार को मजबूर करेंगे कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको पुनर्विचार के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेज दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम मिस हो गया था बाई मिस्टेक।

श्री उपाध्यक्ष : Your name is included.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस ऑर्डर में है?

श्री उपाध्यक्ष : It is in the list.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : But according to the date on which I have submitted my amendment, it should have been included at an earlier stage.

श्री उपाध्यक्ष : Anyway, you can speak if you like.

श्री रामकिशन (वैर) : मेरा भी था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बोल लें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You can decide between yourselves. Either Shri Handa or Shri Ram Krishan; anybody.

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस कानून का संबंध है, सिद्धान्ततः हम सभी लोग इसका समर्थन करते हैं, और मेरी भी यह मान्यता है कि ऐसे कानून निश्चित् तौर से जैसा कि इसके उद्देश्य में स्पष्ट कहा गया है इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और डॉक्टरों के लिए जो दिक्कत आती है इलाज वगैरह की व्यवस्था में, उसका प्रबन्ध करने के लिए इस कानून में व्यवस्था की गई है। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है हम इसका समर्थन ही करते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस कानून में कुछ खामियां बताई हैं वे खामियां मेरी नजर में भी आई थीं उन सब को दोहराना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर मैं समझता हूं, प्रस्ताव करने वाले मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करेंगे।

एक प्रश्न जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था कि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां बहुत बड़ी संख्या में

(श्री रामकिशन)

पशुधन हैं, और राजस्थान की आमदनी या राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने में पशु-धन हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा उद्योग है। वह जानवरों का ही नहीं हमारा एक धन्धा है जिससे कि मनुष्य-जाति का बहुत बड़ा कल्याण होता है, और राजस्थान में जैसा कि बतलाया जाता है, और वैसे मेरी एक निजी बातचीत के दौरान में मंत्रीजी ने भी यह बतलाया था कि डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसी कि शायद व्यवस्था की गई है कि हर पंचायत समिति में सरकार का इरादा है कि एक पशु-चिकित्सालय स्थापित किया जाय, इस दृष्टि से अगर सरकार व्यवस्था करती है तो भी वह काफी नहीं है, क्योंकि एक एक तहसील या एक एक पंचायत समिति काफी लम्बी-चौड़ी होती है, और उसमें मानलें कि उतने डॉक्टर्स की जरूरत है और इतने राजस्थान के अन्दर हैं और और भी मिल जायं तो भी जरूरत इस बात की है कि कई पुराने अनुभवी लोग हैं जो कि इलाज करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक अवधि निश्चित् की जाय। इस तरह की बहुत जगह ऐसी व्यवस्था की गई है, जैसा कि वैद्यों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में किया गया है, डॉक्टर्स के लिए और प्रदेशों में और यहां पर उनको अनुभव के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया है। और अनुभव का मापदण्ड पंचायत समिति या जो संस्था या डॉक्टर्स की जो कौन्सिल है या बोर्ड हो, या जो भी तरीका है, उसके द्वारा उसकी जांच पड़ताल कर ली जाय। यह निश्चित् तौर से व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो गांवों में इलाज करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें रजिस्टर किया जाय। अगर यह व्यवस्था नहीं की गई तो कानून के अनुसार वे लोग इलाज नहीं कर सकेंगे। इलाज के लिए रोज सरकार और पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ जायगा और जैसा कि हमारा इरादा है अच्छाई का उसके बजाय उसका परिणाम बुरा निकल सकता है। एक तो यह है कि अनुभव के आधार पर पशु-चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहनी चाहिए और इसके लिए एक अवधि निश्चित् की जा सकती है कि इस कानून के लागू होने के इतने समय तक, जैसा कि समय समय पर दूसरे विभागों की निकलती हैं, वैद्यों के बारे में जैसा कि एक साल के लिये करते हैं फिर २-३ साल के लिए बन्द कर देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था इसमें अवधि के साथ हो जानी चाहिए।

दूसरा, इसी कानून में माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने बताया था कि धारा १८ है उसमें यह कहा गया है कि सारी योग्यता प्राप्त करने के बाद भी अगर कौन्सिल चाहे तो रजिस्ट्रार से कह देगी कि अमुक अमुक डॉक्टर को रजिस्टर नहीं करो। पता नहीं यह व्यवस्था क्यों रखी है? अगर योग्यता है और उसने नियम की पूर्ति की है लेकिन अगर कौन्सिल कहे तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करने से मना कर देगा। उससे मैं नहीं समझता कि सरकार का इरादा क्या है, किस इरादे से यह व्यवस्था की गई है? इस व्यवस्था से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस व्यवस्था पर दुबारा विचार किया जाय। यह तभी किया जा सकता है जब कि प्रवर

(श्री रामकिशन)

समिति जैसा कि प्रस्ताव था उसमें इसकी पूर्ति की जाय और इस पर गम्भीरता से सोचा जाय कि सरकारी पक्ष ने किस दृष्टि से रखा है और इसके दूसरे परिणाम क्या निकलते हैं। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार जहां तक कौन्सिल के निर्माण का सवाल है तो जो कौन्सिल बनेगी और जब यह सरकार मानती है कि वह स्वायत्त संस्था होगी और खुद अपना संचालन करेगी तो एक तरह से वह सरकार के सहयोगी के हिसाब से काम करेगी, बाकी सारा काम वह अपना स्वतन्त्रता से करेगी तो फिर डाइरेक्टर को पदेन सदस्य क्यों रखा है ? पदेन सदस्य तो फिर भी समझ में आ सकता है, लेकिन उसको पदेन प्रेसीडेन्ट क्यों रखा है ? नियन्त्रण की दृष्टि से रखते हैं तो पदेन सदस्य रख सकते हैं, लेकिन वह सदस्य भी होगा और वही प्रेसीडेन्ट होगा, सभापति होगा, यह व्यवस्था किसलिए की गई है ? मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल न तो लोकतान्त्रिक पद्धति है और न डाइरेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर का डाइरेक्टर है, यह जरूरी हो कि वह पशु-चिकित्सा का एक्सपर्ट हो। उस सूरत में उसको एक मेम्बर बना दिया जाय, यह हो सकता है, लेकिन मेम्बर अपने में से चेयरमैन चुनें, सभापति चुनें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे संस्था के सदस्यों की निष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और इस तरह से जो सरकार का उद्देश्य है उस तरह से करने में उनके लिए भी व्यवस्था हो सकती है।

तीसरा, जैसा कि इस कानून में ज़िक्र किया गया है कि अदालत में नहीं जायगा, उसके मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जब सरकार कानून बनाती है तब मन में समझती है कि वह उचित करती है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि ऐसे कानून की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। आपने हाईकोर्ट का एक फैसला पढ़ा होगा कि नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारियों की यूनियन के लिए सरकार ने मान्यता नहीं दी। कानून में आपने पाबन्दी लगा दी है कि अदालत में नहीं जायगा, जब कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि छोटे कर्मचारियों की यूनियन बननी आवश्यक है और विधि संगत है और उस पर पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए। इस तरह के कानून की व्यवस्था की गई है तो विधान के खिलाफ नहीं रखना चाहिए। वह बहुत आवश्यक है। ऐसा फैसला हुआ है कि यूनियन बनने की सुविधा दी जानी चाहिए। कानून में इस तरह की चीज क्यों रखनी चाहिए ? सरकार का अगर गलत निर्णय होगा तो वह अदालत में जायगा और अगर सही निर्णय होगा तो अदालत में नहीं जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार ठीक ही काम करेगी तो भी इसकी व्यवस्था होना इसमें बहुत जरूरी है।

इस कानून में दूसरी व्यवस्था है और जैसी कि सरकार ने नियन्त्रण की कोशिश की है और एक तरफ उसको सहयोगी संस्था मानती है, जो कि इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सलाह-मशविरा देगी। उसको भंग करने का जो तरीका है वह बिल्कुल ही गलत है। वह व्यवस्था हटा देनी चाहिए।

ये इसके मुख्य मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को पूरी तरह से विचार करना चाहिये और

(श्री रामकिशन)

खास तौर पर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जो चीज थी वह साफ हो चुकी है। अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन करने पर मंत्रीजी विचार करें, क्योंकि हमें पशु-धन की रक्षा करनी है। हमारे पास चिकित्सक नहीं हैं, उनकी संख्या दो सौ, ढाई सौ के आसपास है और राजस्थान में करोड़ों पशु हैं। बीमारियां फैलती हैं, जहां से, जिस क्षेत्र से मंत्रीजी आये हैं वहां बहुत जादू-टोना चलता है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन पशुओं का इलाज गांवों में रहनेवाले कर लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन लोगों का आप रजिस्ट्रेशन करें या डॉक्टरों के समकक्ष करें, लेकिन ऐसे नियम बना दें कि वे भी इलाज कर सकें।

मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से बिल रखा है वह पूरा नहीं होता। इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुकुटबिहारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान पशु-चिकित्सा विधेयक इस सदन में पेश हुआ है उसके लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जावे।

राजस्थान के अन्दर करीब १३ साल के बाद यह विधेयक पेश हुआ है। चाहिये तो गवर्नमेन्ट को यह था कि सबसे पहले उसके लिये ध्यान देकर यह बिल लाते। लेकिन फिर भी अभी जिस हालत में बिल पेश हुआ है वह ऐसे बिल की पूर्ण मंशा को प्राप्त नहीं हुआ है। इस बिल में कई कठिनाइयां आई हैं और कई ऐसी कमियां रह गई हैं जिसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि सरकार इन कमियों और कठिनाइयों को पूर्ण रूप से सुलझाने के लिये पूर्णतया विचार करे और उसके बाद सदन में विधेयक आवे। लेकिन जो बिल पेश हुआ है उसी हालत में इसको पास कर देते हैं तो उसके अन्दर जितनी कमियां रह गई हैं उनके लिये बार-बार अमेन्डमेन्ट लाने पड़ेंगे। ऐसी सूरत में मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जहां इस पर पूर्ण विचार किया जाय और उसके बाद सदन के सामने यह बिल आवे और सदन पूर्णरूप से उस पर विचार कर सके।

इसके अन्दर कौन्सिल का कॉन्स्टीट्यूशन किया गया है। मैं नहीं समझता कि वह किसी भी सिद्धान्त के आधार पर किया गया हो। यह विधेयक भी बार कौन्सिल एक्ट के मूल सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिये था लेकिन न तो उन सिद्धान्तों के आधार पर यह बिल पेश किया गया और न अन्य सिद्धान्त मान कर पेश किया गया। इसके अन्दर जो मेम्बर्स हैं वे कई तो सरकारी अफसरान हैं और कुछ डॉक्टर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिप्रेज़ेन्टेशन डॉक्टरों का होना चाहिये था और जो सरकारी अफसरान हैं उनका कोऑप्टेड मेम्बर्स की हैसियत से रिप्रेज़ेन्टेशन होना चाहिये था। प्रेसीडेन्ट नोमीनेटेड न होकर इलेक्टेड होना चाहिये था। इन आधारों पर यह बिल न होकर अजीब तरह का पेश

(श्री गंगासिंह)

किया गया है। यह बिल किन्हीं आधार भूत सिद्धान्तों पर नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि यह सिलेक्ट कमेटी को पेश किया जाय।

बिल के अन्तर्गत जो रजिस्ट्रेशन की अपील्स होती हैं उनमें भी गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में कार्यवाही रखी है। मैं समझता हूं जब गवर्नमेन्ट ने इतनी तादाद अपने रिप्रेजेन्टेटिव कौन्सिल में ले लिये हैं उस हालत में अपील इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी जुडिशियरी के पास जाना जरूरी है जिससे किसी भी डॉक्टर को यदि ग्रीवान्सेज़ हों तो मिटाई जा सके। इसके अतिरिक्त जो बार कौन्सिल बनाई है उसका कोरम ५ आदमियों का रखा है। कोरम की तादाद एक्ट में रखना वाजिब नहीं है। कोरम टोटल मेम्बरान के प्रपोर्शनेट होना चाहिये; जैसे कि वन-थर्ड या वन-हाफ।

इसके अलावा जो इस बिल के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई कौन्सिल के मेम्बर्स चुने नहीं जायेंगे तो गवर्नमेन्ट उनको अपोइन्ट कर देगी। गवर्नमेंट को अपोइन्ट करने के पॉवर देने के साथ यह जरूरी होता है कि गवर्नमेन्ट किस समय तक नियुक्त कर सकती है। सेक्शन में गवर्नमेन्ट द्वारा मुकर्रर करने का प्रावधान जरूर है, लेकिन गवर्नमेन्ट कहां तक मुकर्रर कर सकती है, यह उसमें दर्ज नहीं है। इन आधारों पर ध्यान रखते हुए और ऐसे विधेयक को पास करने की जो महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल रखा जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में भूतपूर्व माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : भूतपूर्व बोलने वाले या भूतपूर्व सदस्य ?

श्री अब्दुलजब्बार : भूतपूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : 'भूतपूर्व' से आपका क्या मतलब है ?

श्री अब्दुलजब्बार : पूर्व वक्ता समझ लीजिये। इसमें खास तौर से देखने योग्य और विचार करने योग्य मामला है वह है क्लॉज़ २३, कानून का क्लॉज २३: "Appeal to Council from decision of Rajasthan." इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी किस्म का कोई भी एग्रीव्ड पर्सन कौन्सिल के सामने कोई अपील करेगा रजिस्ट्रेशन के दिये हुए डिसीज़न के खिलाफ तो कौन्सिल को सुनने का पॉवर होगा। साथ ही साथ नीचे क्लॉज़ २५ में यह बताया है कि यदि रजिस्ट्रार कौन्सिल को इस बात के लिये एप्रोच करे या किसी तरह के इन्स्ट्रक्शन्स भेज दे कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाय तो कौन्सिल रजिस्ट्रेशन करना रिफ्यूज़

(श्री अब्दुलजब्बार)

कर सकती है। मतलब यह है कि कानून में यह बात बराबर बताते हैं कि रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील की जा सकती है और वही रजिस्ट्रार यदि यह कह दे कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये तो रजिस्ट्रेशन रुक सकता है। इसमें आगे जाकर अपील का प्रोविजन है क्लॉज २६ में। वह है स्टेट गवर्नमेन्ट को। स्टेट गवर्नमेन्ट को अपील की जाती है उसका मतलब यह रह जाता है किस बात की अपील, कौंसिल और रजिस्ट्रार के बीच में घूमती है। जिस तरह का कन्स्ट्रक्शन हो रहा है उससे किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि खासतौर से आवश्यक महसूस होता है आगे चल कर क्लॉज ३२ में "Qualified practitioners certificates etc."

जहां तक पहले का सवाल है: "No certificate required by any Act from any Veterinary practitioner or Veterinary officer shall be valid unless the person signing the certificate shall have been registered under this Act."

इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जहां तक इसका सब सेक्शन (२) है:

"No prescription by a veterinary practitioner or a veterinary officer shall be dispensed by chemists unless the persons prescribing the prescription shall have been registered under this Act."

Now how is it possible for a person dealing in medicines to know that the person, who has issued the prescription, is registered under this Act by the Government?

ऐसी सूरत में साधारण व्यक्ति जो कि माना हुआ है और जो जानवर और आदमी का इलाज समान रूप से कर सकता है, अगर आपके नियम लागू हो जाते हैं और जानवर को नमोनिया हो जाता है और उसके लिए सल्फेडाइज़ीन की गोली लिख देता है और उसको लेने जाता है तो आपने केवल डॉक्टर की पर्ची को मान्यता दी है इसलिए कोई आदमी जानवरों; बछड़े व गाय आदि के लिए सल्फेडाइज़ीन की गोली खरीद कर उसे नहीं खिला सकता। ऐसी सूरत में खुले रूप में कुठाराघात है उनके साथ में। इसके साथ ही जो शहर से थोड़ी दूर पर रहते हैं जहां डॉक्टर का एप्रोच ऐसा होता है जैसे शादी में मेहमान जाते हैं। ऐसी हालत में क्लॉज ३० है, इसे तुरन्त निकाल देना चाहिए और इस पर गौर करने के लिए समय की आवश्यकता होती है; इसलिए इसका प्रवर समिति में जाना आवश्यक होता है। यही नहीं; अगर मामूली सा जोड़ टूट जाता है तो उस पर लोग पट्टी बांध देते हैं गांवों में। इस कानून के पास करने के बाद में उत्साह मिल जाता है दुश्मनी निकालने का.........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): प्रेक्टिस करने पर रुकावट कहां है ?

श्री अब्दुलजब्बार : प्रेस्क्रिप्शन इश्यू करने के बाद भी मना कर सकता है; Only a person who is qualified can only deal with this.

श्री मोतीलाल चौधरी : There is no objection.

कौन से क्लॉज में ?

Page No.83

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कोई क्लॉज़ नहीं है जिसमें प्रोहिबिट किया है।

श्री अब्दुलजब्बार : There is Section 32 (2)-"No prescription by a veterinary practitioner or veterinary officer shall be dispensed." What does this mean ?

श्री मोतीलाल चौधरी : Only those who are registered can issue the certificate. This is only for the medicine, which will have to be given by the chemist.

श्री अब्दुलजब्बार : Same thing is coming now.

जब कि दवाई खरीदने जायेंगे। सादी चोट में जानवर का जोड़ टूटने के बाद पट्टी बांध देते हैं। अब उसके लिए किसी ने लिख दिया कि सिन्दूर ले आओ। मान लीजिये, मैंने ही लिख दिया; लेकिन उसके बाद भी केमिस्ट नहीं देगा। ऐसी सूरत में जानवर को इलाज नहीं मिल पायगा और वह मर जायगा। ऐसी सूरत में जो प्रोविज़न है उनके अनुसार आदमी रजिस्ट्रार और कौंसिल के बीच में ही घूमता रहेगा और इसके अरमानों पर पाला पड़ जायगा। ऐसी सूरत में इसे प्रवर समिति को भेजा जाय और इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो वेटेरिनरी प्रेक्टीशनर्स बिल विचारार्थ लाया गया है, इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने हेतु प्रस्ताव है। इस बिल के क्लॉजज़ को गौर से पढ़ने से ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव में जो बातें कही हैं, अगर वे इस बिल को गौर से पढ़ जायेंगे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आयेगी कि जिसकी वजह से कोई ज्यादा समय सोचने के लिए दिया जाय। जो मुद्दे उन्होंने खासतौर से बताये हैं, एक तो क्लॉज़ १८ के लिए कहा कि रजिस्ट्रेशन के अनुकूल किसी की क्वालिफिकेशन है और रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी एप्लीकेशन है, उसको रजिस्टर न करने के लिए कह दिया जाय तो वह नहीं होगा; ऐसी बात नहीं है। इसी क्लॉज़ का जो दूसरा प्रोविज़ो है वे शायद उसे पढ़ना भूल गये हैं। उसमें है :—

"Provided that the Registrar shall refer to the Council an application for entry in the register from a person in respect of whom he considers that the Council may wish to proceed under sub-section (1) of Section 25."

क्लॉज़ १८ है, उसमें रजिस्ट्रेशन इस हालत में दिया गया है कि प्रेक्टीशनर क्वालिफाइड हो। परन्तु उस हालत में रजिस्टर नहीं किया जायगा, जैसा कि आगे क्लॉज़ २५ में सब क्लॉज़ (१) है कि अगर किसी क्रिमिनल ऑफेन्स में कन्विक्टेड हो गया है या मिसकन्डक्ट की बात आ गई है कौंसिल के सामने तो उन वजूहात को देखते हुए इसे रजिस्टर करना ठीक नहीं होगा। इसी हालत में एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है, वर्ना नहीं। इसलिए जो क्लॉज़ १८ में रेस्ट्रिक्शन डाले गये हैं वे ठीक हैं। इसके अलावा क्रिमिनल ऑफेन्स में कन्विक्टेड आदमी के लिए तो हर लॉ में प्रोविज़न है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कि क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हो जाता है तो जो लॉ में राइट दिया गया है वह राइट खत्म हो जाता है । तो इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है जिसकी वजह से किसी खास परेशानी की बात मालूम होती हो ।

दूसरी बात कही गई कि इस कानून को बनाने में देरी की गई है । अगर हुई है तो किसी कारण से हो गई है । अगर अब ज्यादा देरी करने की बात कही जाय तो यह ठीक नहीं होगा । इस वेटेरिनरी बिल में जो प्रोविजन्स हैं वे देखने में साफ मालूम होते हैं । अगर कोई लेकुना रह गया है तो सरकार द्वारा शंकाओं का समाधान हो सकता है ।

जो क्लॉज़ चार है, इसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों की यह शंका है कि जो कौंसिल का गठन किया जा रहा है, यह कोई सरकारी बॉडी है और इससे उनका पंजीयन करने का कानून बनाया जा रहा है । ऐसे प्रोफेशन में जो कोई पड़ेगा और ऐसे जो वैद्य हैं और जो गांवों में प्रेक्टिस करते हैं उनके लिए यह रोक हो रही है ; ऐसी बात नहीं है । पंजीयन का कानून है, उस कानून के तहत जो क्वालिफाइड हैं, उनका नाम ही रजिस्टर किया जायगा । कौंसिल में नौ आदमी रखे गये हैं, उसमें डाइरेक्टर है और चार इलेक्टेड मेम्बर वेटेरिनरी प्रेक्टीशनर्स में से जायेंगे । उनका रिप्रेज़ेन्टेशन काफी मात्रा में है । ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उनके साथ उनके हितों पर कुठाराघात किया गया हो । ऐसी बात भी नहीं है कि यह कोई सरकारी बॉडी है और इस कौंसिल के बनने से उनके राइट सेफ-गार्ड नहीं होंगे । यह बात लिस्ट देखने से मालूम नहीं पड़ती है ।

दूसरी बात रखी गई है कि गांवों में, जहां कि चिकित्सा प्राइवेट रूप से कुछ वैद्य लोग करते हैं, वे करते रहें परन्तु उनकी मान्यता कानून के तहत तब ही हो सकती है जब कि वे किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करें । वह न करने पर इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होता है । यह बात इसलिए कही गई है कि वेटेरिनरी प्रोफेशन को प्रगति मिले और यह ख्याति प्राप्त हो और यह प्रोफेशन प्रगति कर सके । इसीलिए यह कानून बनाया गया है और जो वैद्य गांवों में प्रेक्टिस करते हैं उनको प्रोहिबिट नहीं किया गया है; सिर्फ उनको मान्यता प्राप्त नहीं होगी । इसमें लिखा है कि जब तक वे किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त न करें तब तक उनको अधिकार नहीं मिल सकता है । परन्तु गांवों में जो वेटेरिनरी का प्रोफेशन करते हैं और प्राइवेट रूप से इलाज करते हैं उनको किसी ने रोका नहीं है ।

इन मुद्दों पर खास तौर पर बातें कही हैं । एक क्लॉज़ ३२ के लिए यह कहा है कि इंडियन एवीडेन्स एक्ट की धारा ४५ है, इस एक्ट में जो एक्सपर्ट एवीडेन्स देने का प्रावधान रखा गया है इसकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि एक्सपर्ट एवीडेन्स वेटेरिनरी प्रोफेशन का कोई भी आदमी दे सकता है, जो रजिस्टर किया हुआ है । यह बात ठीक नहीं है । इस कानून के तहत वेटेरिनरी प्रेक्टीशनर को डिफाइन किया है कि जो इस कानून के तहत रजिस्टर होगा । यह बात

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ठीक है कि इल्लीगल प्रेक्टिस करते हैं और जो प्रमाण-पत्र देते हैं या एवीडेन्स देने के लिए चले जाते हैं उन पर रोक लगाना जरूरी है। इस कानून के तहत वह क्लीअर मालूम होता है, क्योंकि इंडियन एवीडेन्स एक्ट की दफा ४५ है और वैसे रिकॉग्नाइज्ड युनिवर्सिटी से डिग्री लेकर डॉक्टर की तारीफ में आता है और वेटेरिनरी प्रोफेशन में डिग्री हासिल किये हुए है तो वह क्वालिफाइड है और इस कानून के तहत उसको रजिस्टर्ड एक्सपर्ट माना जायेगा। यह ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती जिससे कोई भय मालूम पड़ता हो कि हर एक आदमी जाकर एवीडेन्स में एपिअर हो जायगा। ऐसी बात इसमें नहीं है जिससे किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है।

इन बातों के अलावा दूसरी कोई मुद्दे की बात इस कानून में नहीं है जिससे इसके प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता मालूम पड़े या इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में काफी बातें रखी गई हैं और उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिवाय इसके जैसा कि क्लॉज़ २७ में लिखा है कि लॉ कोर्ट में जाने की पाबन्दी है। इसमें कोई बात हो तो अमेंडमेंट के जरिये संशोधन किया जा सकता है। वैसे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए या ज्यादा सोचने के लिए समय दिया जाय। मेरे विचार से मैं, समझता हूं कि दूसरे माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि ऐसी बातें नहीं हैं कि प्रवर समिति में भेजने का कोई कारण हो। अंत में, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से आपके जरिये यह प्रार्थना करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए आग्रह न करें और इसे पारित करने के लिए सहयोग दें, क्योंकि जैसा बताया गया है कि पहले ही काफी समय हो गया है और अब आगे समय देने की आवश्यकता पैदा नहीं होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स बिल सदन में उपस्थित हुआ है। इस सदन में जितने भी बिल उपस्थित हुए हैं, जिनमें से यह पहला ही बिल है जिसमें दोनों क्लॉज़ेज़ ६१, ६२ की मंशा की पूर्ति होती है। इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम और मेमोरेन्डम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दोनों ही मौजूद हैं। बिल में टोटल ७, एक्सपेन्डीचर जिसकी टोटल राशि १३ हजार तक पहुंचती है प्रोवाइड करने की मांग है।

वैसे तो इस बिल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और यह बिल आज से बहुत पहले आ जाना चाहिये था, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आखिर यहां पर वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर कितने हैं और राजस्थान में यह एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आपको जहां पर हर छोटे बड़े कस्बों में, गांवों में, बाजारों में ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक वैद्य, हकीम और डॉक्टर प्राप्त हो जावेंगे, मगर वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर बड़ी कठिनाई से ढूंढने से मिलेंगे। आप गांवों में चले जावें तो आपको मालूम होगा कि मन्दिरों से लोग पानी लाकर जादू टोना या गुरुद्वारे का पानी छिड़क कर अपने पशुओं का इलाज करने की परम्पराओं में विश्वास करते हैं। विकास समितियों में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वेटेरिनरी डॉक्टर क्या काम करते हैं ? अगर आप उनके रजिस्टरों को देखेंगे और जांच पड़ताल करेंगे तो आपको वे खाली मिलेंगे और नम्बर बहुत कम मिलेगा।

आप देखेंगे कि जितने वेटेरिनरी हॉस्पिटल्स सारे राजस्थान में बिखरे हैं, अगर उनमें खर्च होनेवाली राशि का अन्दाजा लगावें तो आपको मालूम होगा कि वह राशि बड़ी नहीं है। बड़ी कठिनाई से उनको हजार रुपये साल की धन-राशि दी जाती है। ऐसी हालत में यह भी एक कारण हो सकता है कि जिससे हम वेटेरिनरी प्रेक्टिशनरों के लिये रजिस्ट्रेशन का बिल नहीं ला सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ जिस रूप से इसको आरंभ किया गया है वह यह है कि यह कार्य एक कौन्सिल के सुपुर्द किया गया है। मैं यह कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि एक निश्चित मनोवृत्ति हर बिल में दृष्टिगोचर हो रही है, चाहे वह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो। जब हम प्रजातन्त्र के संगठन द्वारा कार्य चलाना चाहते हैं तो हमें नौकरशाही का उसमें अधिक प्रवेश और ज्यादा से ज्यादा पकड़ क्यों रखनी चाहिये ? ये दोनों प्रवृत्तियें सारे राजस्थान में काम कर रही हैं। एक ओर हम जनमत की बातें करते हैं और दूसरी ओर हमारे ब्यूरोक्रेट हमारे इस जनतन्त्र के चांद को ग्रहण लगाना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर इस तरह से उनका वर्क में समावेश रहा तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने रखूंगा कि हम प्रजातंत्र को पूरा विकास नहीं देना चाहते।

कौन्सिल का निर्माण इसके लिए होगा। कौन्सिल के पास बहुत शक्ति है। अपॉइन्टमेंट वह करती है, डिसीज़न वह देगी यानि वह डिसीसिव कोर्ट है। वह किसी के रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर सकती है, रोक सकती है। इस तरह से यह बड़ी एक्टिव बॉडी है। इसको एक्टिव पॉवर्स दिये गये हैं। इसमें डाइरेक्टर सबसे ऊपर हैं। डाइरेक्टर, प्रिन्सिपल वेटेरिनरी कॉलेजेज़ आदि के अलावा सरकार के दो नोमीनेटेड लोग भी हैं। रही बात प्रेसीडेन्ट के इलेक्शन की, वह आपने न रख कर डाइरेक्टर को प्रेसीडेन्ट रखा है। यूनिवर्सिटी की सीनेट बनती है उस बॉडी में नामजद लोगों को लिया है और जब इसमें प्रेसीडेन्ट को नोमीनेट क्यों किया जाता है, क्यों न वह लोगों द्वारा चुना जावे ? इसके अलावा दो वेटेरिनरी रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स को नोमीनेट करने की बात रखी है और फिर जब डाइरेक्टर प्रिन्सिपल हैं तो फिर दो रजिस्टर्ड वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स को रखने की क्या जरूरत है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने इस संबंध में हमारे गांव की परिस्थितियों को गहराई से देखना चाहिए। मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां पर राठी गायें बहुत अच्छी होती हैं और जो ऑल इन्डिया में सबसे अच्छा इनाम प्राप्त कर सकी हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जीवन निर्वाह होता है और वे लोग हजारों की संख्या में गायें रखते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रकार का घास होता है जिसको मैंने एग्रीकल्चर पेपर में पढ़ा है कि उसमें बहुत अच्छा फैट होता है। इसे Punjab & Bombay भेजा। ये लोग गूजर हैं जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गायें रखते हैं और इनमें मुसलमान भी हैं। लेकिन ये गूजर ही कहलाते हैं। आमतौर पर वर्षा होती है तो वे अपने पशुओं को चराते हैं और जब घास सूख जाता है तो नहरी इलाकों में आ जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां वेटेरिनरी हॉस्पिटल हैं मगर उनको मैंने कभी वेटेरिनरी हॉस्पिटलों में जाते नहीं देखा। उन लोगों में ऐसे अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन इसी में बिताया और अपनी दाढ़ियें सफेद की हैं। बुजुर्ग हैं, जो हम पढ़े-लिखे लोगों से भी ज्यादा अनुभवी हैं और एक्सपर्ट से भी आप इलाज करायें तो भी जो इलाज नहीं हो सकता उनको वे कर सकते हैं। इसलिए आप जो कौन्सिल बनावें उसमें ऐसे लोगों को जो अनुभवी हैं और पशुओं का इलाज करते हैं यदि ऐसे आदमियों को शामिल कर लिया जाता तो वे भी प्रेक्टिशनर्स में रजिस्टर किये जाकर प्रेक्टिस कर सकते। जब इसमें बहुत से वेटेरिनरी ग्रेज्युएट हों तो अलग बात है, लेकिन हम अंदाज लगावें तो मेरे जिले में १० लाख की जन-संख्या है वहां दो या तीन वेटेरिनरी हॉस्पिटल्स हैं, सारे गंगानगर में ३ लाख पशुओं के पीछे देखा जाय तो एक लाख पशुओं के पीछे एक वेटेरिनरी हॉस्पिटल आवेगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपके यहां कितने हैं ?

श्री हांडा : ३ या ४।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन सभी बातों को देखते हुए इस सारे एक्ट में जहां सारी शक्तियें कौन्सिल को दी गई हैं, सारे ढांचे में कुछ अनुभवशील पशु-पालकों को भी शामिल कर लिया जावे या अनुभवी लोग जो पशु-चिकित्सा करने वाले हैं उनको सम्मिलित कर लें।

एक माननीय सदस्य : पशु-पालन संघ नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर बना दिया जावे तो कोई हानि होने वाली नहीं है। मैं तो पशु-पालन संघ की कल्पना कर रहा हूं।

सहानुभूति पशुओं के सम्बन्ध में रख लीजिये कोई हानि नहीं है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूं कि पशु-पालक संघ नहीं है; न मैंने कहा है, मैंने एक कल्पना रखी है। जो पशुओं से हमदर्दी रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि मनुष्य को पशु ही जीवित रखते हैं, खास-तौर से गांवों से आने वाले तो इस बात को मानते हैं। दो बैलों की जोड़ी भारतवर्ष को रोटी खिलाती है। यह ठीक है कि आपका चुनाव-चिन्ह वही है पर आपकी कितनी सहानुभूति बैलों की जोड़ी से है यह आपके व्यंग से साबित है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने व्यंग नहीं किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो मेरा यह निवेदन है कि नॉमिनेटेड सरकार के पिछ-लग्गू वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स नहीं होने चाहिये, ड्यूली इलेक्टेड होने चाहिये, डाइरेक्टर साहब जरूर होने चाहिये, वेटेरिनरी कॉलेजेज़ के प्रिंसिपल होने चाहिये। प्रत्येक जिले से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक अनुभवशील व्यक्ति बुलाइये और उनमें से चुनकर चार-पांच या और अधिक को रख लीजिये । ऐसी प्योरली डेमोक्रेटिक बॉडी इस वेटेरिनरी कौंसिल को बनाइये ।

अगर किसी ने क्रिमिनल ऑफेन्स कर लिया है तो वेटेरिनरी कौंसिल उसको ट्राई करेगी, तीन महीने की सजा का प्रावधान है पर उसकी जो वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर की क्वालिफिकेशन है उससे उसे डिबार मत कीजिये । किसी ने थापा-मुक्की कर ली है इससे उसकी वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर की क्वालिफिकेशन लुप्त नहीं हो जाती । ३२३, ३२४, ३२५, ३२६; यहां तक कि ३०७ के केसेज़ बन जायं, यह कांग्रेस राज में आसान बात है और अब तो किसी को सीटी बजाते हुए भी चालान हो सकता है, जैसा कि नया एक्ट आ रहा है, तो ऐसी हालत में किसी वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर पर ३२३ का केस हो गया है तो उसकी वेटेरिनरी की डिग्रीज़ समाप्त नहीं हो जाती ।

अगर उसने मोरल टर्पीट्यूड की बात की है, अगर उसने सेंध लगा ली है, तो ऐसी बात कर सकते हैं, वैसे सरपंच को आप अलाउ करते ही हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मोरल टर्पीट्यूड जानवरों के सम्बन्ध में हो ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रेक्टिस के सम्बन्ध में है, कुछ उन जानवरों से है जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता ।

इसके विभिन्न क्लॉजेज़ पर और भी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है । कौंसिल को शक्तियां दी हैं, इसके रूल्स और आने वाले हैं, रजिस्ट्रार का अपॉइन्टमेन्ट भी कौंसिल करेगी । वह रजिस्ट्रार ईयरली और फाइव ईयरली रिपोर्ट कौंसिल की प्रकाशित करेगा, उसका कार्य-काल भी ५ साल होगा । पर रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन्स का कहीं भी वर्णन नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है कि इसइस क्वालिफिकेशन का होगा । अपना आदमी रिटायर हो जाय तो उसको इस जगह पर थोप दे । किसी भतीजे, भानजे को पहुंचाने की मोरी रखने का स्पष्ट इंगित है । तो इसकी क्वालिफिकेशन को स्पष्ट डेस्क्राइब कीजिये कि इस क्वालिफिकेशन का आदमी हो ।

अन्त में यह सारा रोना रोने के बाद, डेमोक्रेसी का एक छोटा सा नाटक खेलने के बाद, वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स का रजिस्टर रखने के बाद ३५ वें क्लॉज़ पर आते हैं तो जैसी कि संस्कृत की कहावत है :

'पुनर्मूषको भव :'

फिर से चूहा बना दिया गया है। यह प्रावधान रख दिया गया है कि सरकार चाहे तब ही इस कौंसिल को खत्म कर सकती है और जितने भी समय बाद चाहे इस कौंसिल को जन्म दे सकती है ।

आज ५० पर्सेंट म्युनिसिपैलिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी प्रजातान्त्रिकता चीख-चीख कर चिल्ला रही है, पर ५० प्रतिशत म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जिनमें चार-चार, पांच-पांच वर्ष से एड्मिनिस्ट्रेटर्स चल रहे हैं । तो यह सारा ढांचा कौंसिल का चित्रित करने के बाद यह रखते हैं कि इस कौंसिल को जब भी चाहा खत्म किया जा सकता है । फिर इतना सब यह करने की क्या जरूरत है ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं तो यह निवेदन करूंगा कि एक पूर्ण रूप से शक्ति-सम्पन्न कौंसिल बनाइये, उसको पूरी शक्तियां दीजिये, उसको जिंदा रहने दीजिये और कार्य करने दीजिये।

तीसरा मेरा सजेसन यह है कि अनुभव-शील लोगों को रजिस्टर कीजिये, रजिस्टर्ड वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स में। यदि वेटेरिनरी कॉलेजेज़ से डिग्री हासिल किये हुए लोगों को ही रखेंगे तो यह कमी पूरी नहीं हो सकेगी। जो अनुभवी लोग हैं उनके लिये दो महीने की कोई ट्रेनिंग रख दीजिये, उनके लिये ट्रेनिंग कैम्प्स खोल दीजिये, उनके लिये कन्डिशन्स रख सकते हैं कि दो तीन महीने में पर्टीक्यूलर ट्रेनिंग ले लें। फिर उनको रजिस्टर करना चाहिये रजिस्टर्ड वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स में। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है, एग्रोनोमी पर बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने के बाद, टेक्नोलॉजी की बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने के बाद, फार्म इकोनोमी पर बड़े-बड़े थीसिस पढ़ने के बाद, रोटेशन ऑफ क्रोप्स की थ्योरीज़ पढ़ने के बाद कई ऐसे लोगों को देखा है कि गांवों में जाकर पूछते हैं कि गुड़ कौनसे पेड़ पर लगता है, यह मैंने देखा है। इस प्रकार की बड़ी-बड़ी डिग्री प्राप्त लोगों को यह पूछते हुए सुना है कि धोई हुई दाल किस पेड़ पर लगती है।

खुद मेरे गांव की बात है; १९५० में कोई नायब तहसीलदार, तहसीलदार खराबा माफ करने आया था, वह शायद जालौर क्षेत्र से आया था जहां गन्ना नहीं होता...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको ध्यान नहीं है उस क्षेत्र में गन्ना होता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाड़मेर या जैसलमेर क्षेत्र से आया था...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : वहां भी गन्ना होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : या जोधपुर युनिवर्सिटी के क्षेत्र से आया था। उसने कहा कि गन्ने की खेती दिखाओ, उसे लोगों ने गन्ने की खेती दिखाई और उन्हें गन्ने की फसल दिखाकर कहा कि गन्ने की खेती का खराबा है, माफ होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि गुड़ देखिये, क्या कहीं खेत में गुड़ नजर आता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वाजिब बात है, गन्ने की फसल में खराबा है, कहीं खेत में गुड़ नजर नहीं आता।

तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि अनुभव बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आप अपनी छाप लगाना चाहते हैं तो अपने इन्स्टीट्यूशन्स में दो-तीन महीने ट्रेनिंग देकर उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं। मैं निश्चितरूप से अर्ज कर दूं कि अगर हमें भारतवर्ष की मौजूदा परिस्थितियों में, हमारे देश की मौजूदा परिस्थितियों में कोई वाकई लाभ-दायक चीज़ पैदा करनी है तो अपने निरीक्षण को, अपने अनुभवों को, लोगों के युग-युगान्तर के अनुभवों को काम में लाना पड़ेगा। कोई बड़ी डिस्कवरी हुई है तो वह युग-युगान्तर के अनुभवों के बाद हुई है। रेडियो एक्टीविटीज़ मरक्युरी ने इनवेन्ट किया था, वे ही पत्थर थे जिनको सुपरस्टीशस पिपुल घरों में लाकर रखते थे और उन पर निशान पड़ जाते थे। आज भी पुराने चिकित्सक छोटी-मोटी चीजें काम में लेते हैं उनको भी हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उनके जो एक्सपेरिमेन्ट्स हैं उनको भी हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा और उनको संघ में शामिल करना पड़ेगा।

अन्त में मैं इन्हीं सजेशन्स के साथ बात समाप्त करूंगा और यह अर्ज करूंगा कि इस इन्सटीट्यूशन को अधिक प्रेक्टिकल रूप में बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : व्यास कौन सा ? दो हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास उनका अमेन्डमेन्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक व्यास के साथ वकील जुड़ा हुआ है और दूसरा बिना वकील के है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर काफी बोलने वाले हैं, अतः दस मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें। जहां तक हो सके कोई नई बात ही कही जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत से सम्मानित सदस्यों ने भी कह दिया है कि इस बिल को बहुत जल्दी ही लाना चाहिये था। मैं जब प्रेक्टीशनर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन का बिल है उस पर सोचता हूं तो यह विचार आता है कि ऐसे कितने प्रेक्टीशनर्स हैं और कौन से हैं ? इस बिल को लाने के लिए ज्यादा बातें कही जायं। लेकिन राजस्थान में प्राइवेट प्रेक्टीशनर तो बहुत ही थोड़े नजर आयेंगे। हिन्दुस्तान की जो हालत है उसको यदि हम देखें तो हमें मालूम होगा कि पशुओं के इलाज के लिए प्रेक्टिशनर और उनकी दवाओं पर निर्भर तो शायद एक पर्सेन्ट भी नही रहते होंगे, क्योंकि उनकी यह आदत नहीं है। यदि दूसरे मुल्कों में देखा जाय तो वे लोग जानवरों की कीमत बहुत अधिक मानते हैं और वे यह मानते हैं कि यदि एक जानवर भी मर जायगा तो बहुत अधिक नुकसान हो जायगा। यदि हमारे गांवों में जानवर बीमार हो जाते हैं तो पास में यदि वेटेरिनरी हॉस्पिटल हो तो वहां ले जाते हैं नहीं तो घरू इलाज ही करते हैं। यह वस्तु-स्थिति है राजस्थान की, और हिन्दुस्तान की भी बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति है। जहां तक वेटेरिनरी कॉलेज की स्थापना की बात है और उनमें से जो स्नातक आज डॉक्टर्स होकर निकल रहे हैं उनकी कोई मान्यता नहीं है और इसके लिए जब तक कोई परिषद् नहीं बनाते हैं तब तक काम नहीं चलेगा जो कि उनको मान्यता दे सके और कॉलेज से निकलने वाले जो स्नातक हैं वे जो भी दवा प्रेस्क्राइब करें उनको खुद को और उनकी दवाओं को प्रोत्साहन मिले।

इस विधेयक में स्पष्ट कहा गया है : "राज्य में स्थित पशु-चिकित्सा कॉलेजों के स्नातकों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों को सर्वथा मान्यता प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि ये स्नातक किसी ऐसे मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा नियन्त्रित नहीं होते जो उनके व्यवसायिक आचरण के लिये उत्तरदायी हों। इसके अतिरिक्त, इन स्नातकों के नुस्खों पर,

(श्री मुरलीधर व्यास)

श्रौषधि देने वाले कैमिस्ट श्रौषधि देने से मना कर सकते हैं" यानी यह एक ऐसा श्रावश्यक श्रंग है कि वेटेरिनरी कॉलेज खोलने के वाद में मान्यता प्राप्त कराना वहुत श्रावश्यक है ।

जहां तक इस विल का सवाल है मैं यह मानता हूं कि यह वहुत श्रावश्यक है। परन्तु जव इसको उस दृष्टिकोण से देखें कि वास्तव में कितने प्रेक्टिशनर्स हैं श्रौर सर्विस करने वाले कितने हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि रुपये में १४ श्राने होंगे तो सरकारी, डॉक्टर्स होंगे श्रौर दो श्राने प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले होंगे। लेकिन श्राज उनके लिए एक परिषद् का निर्माण किया गया है, हमारी मान्यता है कि उनको मान्यता मिलनी चाहिये; लेकिन यदि परिषद् भी सरकारी बॉडी वन जाय तो काम नहीं चलने वाला है। उसको, स्नातक को मान्यता देने के लिए निष्पक्ष रहना चाहिये श्रौर योग्यता के श्राधार पर ठीक ढंग से जांच कर सके श्रौर इस प्रकार की परिषद् हो तो उसका मूल्य अधिक होता है किन्तु यदि परिषद् वनायी जाती है श्रौर उसमें संचालक महोदय इस विभाग के हों, दो-चार डॉक्टर्स हों श्रौर कुछ बाहर के डॉक्टर्स हों तो वह एक सरकारी वॉडी ही वन जाती है, श्रौर एक तौर पर कॉलेज के छात्रों की सर्टिफाइड वॉडी वन जाती है। हमको इस वॉडी को थोड़ा ऐसा निष्पक्ष वनाना चाहिये जिससे श्रधिकांश सदस्य सरकार से सम्वन्ध रखने से श्रलग हों। उनकी उसमें मेजोरिटी हो। राजस्थान में यदि प्रिन्सिपल, डाइरेक्टर श्रौर कुछ ऐसे लोगों को न लें तो हमारे पास ऐसे श्रौर योग्य श्रादमी नहीं है जो काम कर सकें इस परिषद् में। ऐसे लोगों को लेना चाहिये लेकिन यदि उन्हीं के हाथ में इस परिषद् का सारा संचालन श्रा जाय तो जो मूलभूत उद्देश्य हैं इस विल को लाने का उसमें दिक्कत श्रावेगी श्रौर जो काम करना चाहते हैं उसमें भी दिक्कत श्रायेगी। साथ ही साथ यह उतनी पवित्र संस्था भी नहीं हो सकती।

इसके क्लॉज़ २५ के द्वारा श्रापने यह श्रधिकार दिया है कि श्रगर सरकार यह समझे कि यह परिषद् ठीक तरह से काम नहीं करती है तो उस कौंसिल को जो विधान सभा के द्वारा वनती है भंग करने का श्रधिकार सरकार को है। सरकार इसको किसी भी समय भंग कर सकती है श्रौर नॉमीनेट करके एक वॉडी वना कर सरकार काम चला सकती है।

(४ म. प.)

मैं कहना चाहता हूं श्रापके दस या नौ सदस्य हैं श्रौर चुने हुए पांच या छः हैं; तो वैसी हालत में परिषद् के लिये निष्पक्षता से सोचना मुश्किल हो जायगा। जहां सरकारी सदस्यों की संख्या श्रधिक है वहां श्रन्य सदस्यों की राय को वह महत्व नहीं देने वाले हैं। उनकी राय उनसे मेल नहीं खाएगी, श्रौर इस तरह से वह वॉडी ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं कर सकेगी। इसके श्रलावा जहां इस परिषद् को भंग करने का सवाल श्राता है, उसमें भी जो सरकारी सदस्य हैं, डाइरेक्टर सरकार द्वारा नॉमीनेट किये हुए हैं वे सरकार को यह वतायेंगे कि यह परिषद् ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है इसको भंग

(श्री मुरलीधर व्यास)

किया जाना चाहिये। सरकार को सूचना देने वाले वे ही होंगे। एक बॉडी में बैठने वालों के विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन सरकार के जो नुमायन्दे उसमें बैठते हैं वे जिस प्रकार की सलाह देंगे उसी सलाह के आधार पर परिषद् भंग होगी। आखिर डेमोक्रेसी में कानून इसलिये बनाते हैं, उसमें हमारी मन्शा यह होनी चाहिये, जो भी संस्था का हम निर्माण करें वह एक पवित्र संस्था हो। उसके संचालन के अन्दर सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। संस्था को पवित्र रखने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा नॉमीनेटेड सदस्य उसमें ज्यादा न हों; तभी जाकर हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सकेगी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, कोई भी कानून बनाते हैं वह कानून बनाते समय तो सुन्दर नजर आता है; उससे ये ये लाभ होंगे, उस समय दूसरा रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जब कानून बन जाता है, उसके बन जाने के बाद हमें कई दिक्कतें सामने आती हैं। इसके द्वारा जो प्रेक्टिशनर्स रजिस्टर्ड होंगे वे ही दवा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और उनको ही वह दवा मिलेगी। आज जहां पर डॉक्टरों का इन्तजाम नहीं है वहां हम देखते हैं, कुछ लोग अपने पुराने अनुभवों के आधार पर, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र है सब जगह डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं हो सकती। ९० प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है वहां पर अगर ऐसे अनुभव के आधार पर कोई व्यक्ति दवा करता है, तो वह गुनहगार साबित होगा। बहुत से लोग प्राचीनतम तरीकों से इलाज करते हैं वह रुक जायगा। वस्तुस्थिति ऐसी है कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि जब तक हमारे पास सारे क्षेत्र के लिये क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हो जाते तब तक हम किस प्रकार की व्यवस्था रक्खें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये। थोड़ी बहुत जो अनुभव के आधार पर मदद मिलती है उससे हमें लाभ उठाना चाहिये। इस तरह से जो सुझाव मैंने दिये हैं उस पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक पर अभी चर्चा चल रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैंने उनके भाषण को सुना; ऐसा मालूम पड़ा कि इस कानून का जो उद्देश्य है उसको वे समझ नहीं पाये होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, पशुओं से सम्बन्धित जो साइन्स है वह दो पार्ट में डिवाइडेड है; एक तो एनीमल हस्बेन्ड्री और दूसरा वेटेरीनरी। एनीमल हस्बेन्ड्री में ब्रीडिंग आदि आता है और वेटेरीनरी वह सेक्शन है जिसमें उसका इलाज किया जाता है। सब से ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया गया है और केमिस्ट्स भी उनके प्रेस्क्रिप्शन पर ही दवा देंगे। ताज्जुब तो उस समय हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य जो गंगानगर से आये हैं बोल रहे थे और जो पार्टी दावा रखती है अपनी थ्योरी रखने की; theory of their party is based on scientific basis, cause and effect. वे भी साइन्स को

(श्री मोतीलाल चौधरी)

छोड़कर अनुभव की बातें करने लगे । जिस युग में साइन्स नहीं और जो अनुभव के आधार पर इलाज करते हैं उनका कहना है कि उस इलाज को इलाज क्यों नहीं मान लिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्षमा करेंगे; आज वह जमाना नहीं है कि जहां बिना साइन्स के चला जा सके । आज किसी के घर में माता निकल आती है तो उसको यह नहीं कहा जाता कि तू माताजी को पूज आ और उसका पानी लेले, आज तो डॉक्टर्स के पास ले जाने की सलाह दी जाती है ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या कभी आपने माता को पूजा नहीं है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं माताजी की पूजा करता हूं, उस माता की जिसने मुझे जन्म दिया है; मैं पत्थर की माता को नहीं पूजता । जो ग्रामीण लोग हैं, जो साइन्स को नहीं मानते हैं वे ऐसी बातें करते हैं । जो मंत्र-तंत्र की प्रणाली हिन्दुस्तान में चली आ रही है उसका मुझे विरोध नहीं, अगर उसमें साइन्टिफिक बेस है तो । साइन्टिफिकली बेस नहीं है, केवल यह है कि वह आदमी जो दवा देता है उससे भला हो जाता है इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । आज अनुभव के आधार पर इलाज की छूट देते हैं तो न तो पशुओं का उसमें भला होगा और न ग्रामीण जनता का । यह बिल जो लाया गया है वह इसलिये है कि पशु साइन्स के बारे में जो डिग्रीज़ हैं; चार तरह के लोग इसमें होते हैं– स्टॉकमैन, कम्पाउन्डर्स, उसके बाद एक शोर्ट-टर्म डिग्री होती है उसके बाद डिग्री कोर्स होता है । प्रेक्टिकल डिफीकल्टी यह सामने आयी है कि किसी पशु को जहर दे दिया, उसका पोस्ट मोर्टम करने के बाद उसको सर्टिफाइ कौन करे ? डिस्पेन्सरी का डॉक्टर करता है उसकी एवीडेन्स को कोर्ट माने या नहीं माने । गावों के अन्दर हॉस्पीटल हैं नहीं; वैसी स्थिति में इस बिल के लाने का उद्देश्य इतना ही है, जो डॉक्टर्स हैं जो पशु-साइन्स को जानते हैं उनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया जाय, सिम्पली क्वालिफाइड होने पर सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है कि इसको अमुक बीमारी हो गई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह क्लॉज़ तो कौंसिल को भंग करने का है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : I am sorry. क्लॉज़ ३१/३२ में साफ है । सिम्पल उद्देश्य यह है कि कौन आदमी सर्टिफिकेट दे ? मान लीजिये एक भेड़ मर गई, उसको जहर दे दिया गया और मर गई, अब उस पर आपस में झगड़ा हुआ तो इसका सर्टिफिकेट अब कौन दे कि वह किस तरह से मर गई । गांव का कोई भी आदमी जिसके लिये चर्चा आई कि वह पुरातन से इलाज करता आया है, इसका पोस्टमोर्टम करने का तरीका नहीं जानता होगा । उसका लंग्स नहीं निकाल पावेगा और डेफीनिटली मालूम नहीं कर सकेगा कि किस कारण उसकी मौत हुई । तो इसलिये वहां तो सर्टिफाइड और क्वालिफाइड डॉक्टर ही काम आ सकेगा ।

दूसरी बात, आज मैडिकल साइन्स काफी डेवलप हो गया है । जो मैडीसिन्स आदमी के काम आती हैं वही जानवरों के

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भी काम आने लगी हैं। अब इसमें मात्रा का फर्क है। तो इसके लिये डॉक्टर की ही जरूरत होगी। ट्रेन्ड कम्पाउन्डर को भी इसके लिये अलाउ नहीं कर सकते। इसलिये कम्पाउन्डर्स को भी सर्टीफिकेट देने के लिये अलाउ नहीं किया गया है। जो 'ए' क्लास के डॉक्टर्स होते हैं या एम०बी०, बी० एस० होते हैं या वैद्य होते हैं और जो प्रेक्टिस करते हैं, वे ही इसमें लिये गये हैं।

मैंने वैद्य का जिक्र किया; वह इसलिये कि आयुर्वेद भी आज एक एस्टैब्लिश्ड साइन्स है; that is equivalent and better than your allopathy. इसके बारे में हमारे शास्त्र थोड़े बहुत आज भी मिलते हैं। अधिक नहीं मिलते, हमारे गांवों में इण्डियन मैडिसिन के तरीके हैं। उसकी पूरी पद्धति क्या है इस के पुराने शास्त्र नहीं मिल रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि वे रिसर्च करें तो सम्भव है इस बारे में पुरानी पद्धति कामयाब हो जावे। साइन्टिफिक बेस भी खोज से मिल सकता है इसका। आज, माफ करिये अगर मैं यह कहूं कि आयुर्वेद में आज पशु-पालन के बारे में कोई एस्टैब्लिश्ड पद्धति नहीं है। कुछ किताबें जरूर उपलब्ध हैं। मुझे मौका मिला है देखने का। इसमें ताज्जुब हुआ, आज भी थोड़ी बहुत किताबें जो मिलती हैं बड़ी अच्छी हैं, इसे किसी मिस्टर बोस ने लिखी हैं। बहुत से तरीके हैं, यह उन्होंने भी माना है, पर इसके पीछे कोई पूरा साइन्टिफिक बेस नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य की भावनाओं की तो कद्र की जा सकती है, पर इस साइन्स का पता लगाने के लिये पूरा रिसर्च किया जाना बहुत जरूरी है।

गुप्तकाल में पशु-चिकित्सा में आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ा हुआ था, इसके डॉक्टर, वेटेरिनरी डॉक्टर और डिस्पेन्सरीज़ वगैरह बहुत थीं। ऑपरेशन भी हुआ करते थे। पर आज वे शास्त्र मिल नहीं रहे हैं। वे लुप्त हो गये हैं. नये सिरे से खोज की आवश्यकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ३१/३२ को लेकर जो जोर दिया गया तो उनके लिये कोई रुकावट नहीं है। आज भी घरों में लोग कुछ भी दवा दे सकते हैं। लौंग का घासा देते हैं, कौन रोकता है उनको जब कि बहुत डॉक्टर हैं और वैद्य भी हैं। कौन मना करता है, अगर आप घर में तुलसी के पत्ते से इलाज करना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर घर में जानवरों का इलाज आप करते हैं तो आपको कौन रोकेगा? इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई गांव का आदमी रेवारी वगैरह इलाज करता है तो रुकावट कहां है? रुकावट केवल इतनी है कि अगर जरूरत पड़े तो सर्टीफिकेट कौन दे? इन्जेक्शन वगैरह देकर कौन इलाज कर पावेगा। तो इस एक्ट की मंशा केवल इतनी है कि वेटेरिनरी साइन्स को ओर्गेनाइज़ किया जाय और पशुधन की वृद्धि में उसका उपयोग किया जाय। इसके लिये युनिवर्सिटी की डिग्री क्वालिफिकेशन रखी है तो ठीक है। कम्पाउन्डर्स और लाइव-स्टॉकमैन को भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिये।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही गई। मैं इससे एग्री नहीं हूं। बहुत जोर दिया गया, इसके फॉर्मेशन और डाइरेक्टर वगैरह के रखने के बारे में। मैं निवेदन करूं कि इस वेटेरिनरी साइंस का राजस्थान में जो प्रोग्रेस

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हुआ है वह चार-पांच वर्ष में हुआ है। तो इसके विस्तार के लिये प्रिन्सिपल और डाइरेक्टर होना जरूरी है। डिग्री पाने के पश्चात् भी कई ऐसे मामले देखे गये हैं कि जिनमें झूठे सर्टिफिकेट वाले आ जाते हैं। हिन्दुस्तान में आज गड़बड़ी में डिग्रियां विकती हैं। आज बाजार में पंजाब युनिवर्सिटी की कई डिग्रियां बिकीं। कई केस चल रहे हैं। दिल्ली में चल रहे हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो इन केसों को कौन पकड़ेगा ?

दूसरी बात, आज वेटेरिनरी में प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स बाजार में नहीं हैं। जब वह स्टेज आवेगी तब सोचा जावेगा, पर आज के दिन तो सरकारी डॉक्टर ही हैं। इसलिये ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये कि इसे उत्साह मिलना कम हो जाय; वल्कि यह मानकर चलना चाहिये कि पांच साल आने वाले काल तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकेगी कि जब प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स बाजार में मिल सकें अधिक संख्या में। आज तो गांवों में हालत यह है कि सरकारी डॉक्टर जाता है और इस वेटेरिनरी मदद देने के फायदे लोगों को समझाते हैं तब भी बड़ी मुश्किल से उनसे अपने जानवरों का इलाज करवाते हैं, लोग मना कर देते हैं। उनको हर तरह से कनविंस करना पड़ता है। पंचायत समिति में एक एक हफ्ता लोगों को इसके लिये राजी करना पड़ता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी के लिये जिन जिन ने प्रस्ताव रखे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। एक दो बात जो आपकी हैं उनके लिये संशोधन रखे जा सके हैं। उन पर विचार किया जा सकेगा। पर सिलेक्ट कमेटी में भेजना बड़ी चीज नहीं है।

साथ ही मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शिड्यूल में जो डिग्रियां रखी हैं उसमें आइटम नम्बर ६, गोहाटी युनिवर्सिटी की डिग्री का जिक्र है। वैचुलर ऑफ मैडिकल साइन्स की डिग्री के लिये मैट्रिकुलेट को भर्ती कर लेते हैं, जब कि हमारे यहां के कॉलेज में इन्टर को लेते हैं, और भी देश में सब जगह इन्टर वालों को लेते हैं। इस बारे में वेटेरिनरी कॉन्फ्रेन्स में भी विचार किया गया था कि इस गोहाटी युनिवर्सिटी को बाध्य किया जावे कि वे मैट्रिकुलेट को न लें, इन्टर साइंस को लें। हमारे यहां शोर्ट-टर्म डिग्री दो साल में इन्टर आर्ट्स वालों को देते हैं। अब अगर गोहाटी की इस डिग्री को हम मानते हैं तो हमारे इस शोर्ट टर्म डिग्री वालों को भी मौका मिलना चाहिये।

इसके बाद पंजाब युनिवर्सिटी का आइटम नम्बर २० है। वे दो तरह की डिग्रियां देते हैं। एक वैचुलर ऑफ वेटेरिनरी साइन्स और दूसरी लाइसेन्स्ड वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स। यहां भी इसमें मैट्रिक को अलाउ करते हैं। तो ये भी नथिंग बट कम्पाउन्डर्स हैं। मैंने इनका कोर्स और सिलेबस देखा है और अपने यहां के कम्पाउन्डर्स का कोर्स और सिलेबस भी देखा है। अब अगर हम उनको अलाउ करते हैं तो इन कम्पाउन्डर्स को भी अलाउ करना चाहिये। हम अपने कोर्स में उनसे बिलो नहीं हैं। जहां तक मैं मानता हूं, हमारा वेटेरिनरी कॉलेज हिन्दुस्तान भर के अच्छे कॉलेजों में

(श्री मोतीलाल चौधरी)

में एक है। एक टीम आई थी, उसने भी माना है कि This is the best College.

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

१५०-२०० आदमी यह शॉर्ट-टर्म कोर्स खत्म कर चुके हैं। वे आपकी सर्विस में डॉक्टर्स हैं, डिस्पेन्सरी के इन्चार्ज हैं, ब्लॉक लेवल पर भी डिस्पेन्सरियों के इन्चार्ज हैं। तो जब आप पंजाब की इन डिग्रियों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो इनको भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिये। वर्ना उनको भी नहीं करना चाहिये। वे पंजाब वालों से तो बैटर हैं। उसको हम क्यों न दें? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम क्वालिफिकेशन्स की दृष्टि से संशोधन करें और साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो अपने-अपने प्रस्ताव इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए रखे हैं वे विदड्रॉ कर लें और इसको पास कर लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ४ बजे के करीब बयान दिये जाने की बात स्पीकर महोदय ने कही थी, लेकिन अब ४ बजकर २० मिनट हो गये हैं; इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि अभी तक मुख्य मंत्री महोदय नहीं आये हैं और न बयान देने की कोई तैयारी सी ही प्रतीत होती है। तो इस संबंध में आप व्यवस्था दें; घग्घर नदी की जो बाढ़ आई उसके लिए जो बयान दिया जाने वाला था वह कब दिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : ४॥ बजे बयान देंगे तब तक श्री गिरधारीलालजी बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का पशु-धन बहुत महत्व रखता है और हमारी सरकार ने वेटेरिनरी साइन्स को डेवलप करने के लिए इन चार-पांच सालों में अनेक व्यवस्थाएं की हैं। कॉलेजेज़ वगैरह खोले और जो ग्रेजुएट निकाल रहे हैं उनके नियंत्रण के विषय में यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया है। बहुत से भाइयों ने इस संबंध में यह कहा है कि राजस्थान सरकार ने इस बिल के पेश करने में इतनी देर की है उसके लिए उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। हमारे राजस्थान के अन्दर जब वेटेरिनरी साइन्स का दौर आया और उसके संबंध में जब हम तरक्की करने लगे और चार-पाँच साल से जब से हमने वैटेरिनरी साइन्स का इम्प्रूवमेन्ट किया उसके बाद ही आज हमारे यहां इस संबंध में जो प्रेक्टिशनर्स आये हैं उनको रजिस्टर करने के लिए या उनको मान्यता देने के लिए जो प्रावधान हमने इस सदन में पेश किये हैं उनको प्रवर समिति के समक्ष भेजने के लिए जो ऑब्जेक्शन्स उन्होंने बताये हैं मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्शन्स कोई महत्व नहीं रखते। मेरी राय में यह प्रवर समिति को नहीं भेजा जाना चाहिये।

बहुत से सुझाव भी आये हैं कि पुराने अनुभवी लोग हमारे गांवों में अच्छा इलाज करते हैं और उनको भी हमें मान्यता देनी चाहिए। परन्तु जबकि एक साइन्स को हम यहां डेवलप कर रहे हैं और उसके लिए कॉलेजेज़ खोले जा रहे हैं और उन कॉलेजेज़ के द्वारा बहुत से ग्रेजुएट्स निकल

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रहे हैं उनको मान्यता न देकर ऐसे लोगों को मान्यता दी जिनको हम कह सकते हैं "नीम हकीम खत-र-ए जान"; जिनको पता नहीं कि किस प्रकार की दवाइयां किस बीमारी के समय देनी चाहिए। ऐसे लोगों को मान्यता दी जाय कि जिनसे पशुओं को नुकसान पहुंच सकता है तो वह कहां तक वाजिब हो सकता है ? जब हम एक इन्स्टीट्यूशन से ग्रेजुएट्स निकालते हैं उनको मान्यता न देकर ऐसे लोगों को मान्यता दें जो कि इस साइन्स के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखते और वे सिर्फ अनुभव के आधार पर ट्रीटमेन्ट करते हैं। बहुत से अनुभव सही सिद्ध हो जाते हैं और कहीं पर वे सही सिद्ध नहीं होते। तो कोरी कल्पना और भावनाओं के आधार पर यदि किसी को मान्यता दी जाये तो वह उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए जो एम्स और ऑब्जेक्ट्स बिल में दिये गये हैं, और ऐसे ग्रेजुएट्स को मान्यता दी जाय जो कि कॉलेजेज़ से निकले हैं, और उनके द्वारा जो भी दवाइयां प्रेस्क्राइब की जायं या सर्टीफिकेट्स दिये जायं उनको मान्यता दी जाय; यही इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसकी पूर्ति के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे प्रश्न भी आये हैं कि परिषद् के गठन में ऐसे लोगों को लिया जाय जो कि वेटेरिनरी साइन्स में कोई डिग्री प्राप्त न हों और केवल अनुभव के आधार पर ही उनको इस परिषद् में रखा जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात उचित प्रतीत नहीं होती। यह टेक्नीकल सब्जेक्ट है और केवल अनुभव के आधार पर और बिना उस साइन्स के संबंध में कोई शिक्षा लिए हुए भी किसी व्यक्ति को परिषद् में रख दिया जावेगा तो वह परिषद् को पता नहीं किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकेगा और इस साइन्स के संबंध में जो जरूरी सुझाव हैं वह किस प्रकार से अच्छी प्रकार से पेश कर सकेगा। यह उनके सोचने की बात है।

दूसरी बात यह है कि ऐसा भी कहा गया है कि रजिस्टर्ड उन आदमियों को भी करना चाहिए जो कि अनुभवी आदमी हैं। मैं यह नहीं समझता कि अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो सकता है ? जबकि आपके यहां पर ही आई० ए० एस० और आर० ए० एस० और दूसरी ऐसी ही नौकरियां हैं जिनमें आप क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं, और उनके द्वारा उन्हीं लोगों को वह स्थान मिलता है जोकि उसकी क्वालिफिकेशन्स के हैं। ऐसी हालत में अनुभव के आधार पर कोई भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार किसी जगह किसी आदमी को नियुक्त नहीं करती है। यह सोचने का विषय है। केवल अनुभव के आधार पर ही किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो यह जो व्यवस्था की गयी है कि किसी युनिवर्सिटी का या कॉलेज का ग्रेजुएट हो, उसी को रजिस्टर किया जाय; यही उचित प्रतीत होता है।

इसके अलावा एक ऐसा प्रश्न भी आया कि रजिस्ट्रार कौन मुकर्रर हो और उसकी क्या क्वालिफिकेशन्स हों तो इस प्रकार की बात कहना कि रजिस्ट्रार तो किसी भी भाई भतीजे को बना दिया जायेगा और ऐसे ही लोगों के लिए यह स्थान कायम किया जाता है तो यह तो सिर्फ उनके सोचने की बात है, यह उनके कहने की बात है। सिर्फ विरोध

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करने से भी कोई प्रश्न हल नहीं होता। रजिस्ट्रार एक क्वालिफाइड आदमी बनता है और रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बाद में बनेंगे ऐसा प्रावधान इसमें है तो उसके द्वारा नियुक्त होगा। परिषद् के गठन के बारे में ऐसा विचार आया कि इन्डिपेन्डेन्ट लोगों को ज्यादा स्थान देना चाहिए, और उनकी मेजोरीटी होनी चाहिए, ताकि वह सही सुझाव गवर्नमेन्ट को दे सकें। जबकि इसमें प्रावधान दिया गया है कि डाइरेक्टर होगा, कॉलेजेज़ के प्रिंसिपल होंगे और ४ सदस्य ऐसे होंगे जो कि रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर्स होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे; ऐसी हालत में और इन्डिपेन्डेन्ट आदमियों को भेजने से क्या मतलब है, मेरी समझ में नहीं आता। यह टेक्नीकल सब्जेक्ट है और इसमें वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो कि इसमें ज्ञान और अनुभव रखते हों। इसलिए यह प्रावधान रखा गया है कि ४ व्यक्ति ऐसे आयेंगे जो कि उनके प्रतिनिधि होंगे। तो इस विधेयक में जितने भी प्रावधान रखे गये हैं वे इस आधार पर रखे गये हैं कि उनका सही प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और अपने विचार परिषद् के सामने रख सकेंगे; न्याय और इन्साफ दिला सकेंगे, इसके लिए काफी है। कई भाइयों ने क्लॉज़ २७ के संबंध में कहा है कि परिषद् का जो गवर्नमेन्ट ने कानून बनाया है उसको चेलेन्ज नहीं किया जा सकता और कोर्ट-ऑफ-लॉ में पेश नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में यह कहना है कि जब एक रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील कौंसिल में होगी और कौंसिल के खिलाफ अपील स्टेट गवर्नमेन्ट के पास होगी तो जब दो-दो और तीन-तीन अपील्स का प्रोविज़न किया है तो मेरा ख्याल है कि किसी भी भाई को नुकसान नहीं हो सकता।

दूसरे यह है कि एक्सपर्ट एवीडेन्स किस व्यक्ति की मानी जा सकती है जोकि अनुभव रखता हो। इस प्रकार की बात तो शायद ही किसी ने की हो। मेडीकल जूरिस्प्रुडेन्स को आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि वही आदमी सर्टीफिकेट दे सकता है जिसने कि डिग्री प्राप्त की हो। तो एक्सपर्ट एवीडेन्स तो उसी की मानी जाती है जो कि इस संबंध में ज्ञान रखता हो या जिसने रिकॉग्नाइज्ड युनिवर्सिटी से कोई डिग्री प्राप्त की हो, उसी की एक्सपर्ट ओपीनियन मानी जा सकती है।

इस प्रकार के कई लोग जो हैं उनको लेकर आप कह दें कि बहुत पुराने अनुभवी हैं और इन आदमियों को सर्टीफिकेट या प्रमाण-पत्र देने का कोई आधार मान लिया जाय तो वह आधार, मेरे ख्याल से, उचित प्रतीत नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे ये सुझाव हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो सुझाव है उसका मैं विरोध करता हूं, और उन भाइयों से निवेदन करता हूं, जिन्होंने प्रवर समिति में दिये जाने का जो सुझाव दिया है, कि वे उसको वापिस ले लें।

(३-३० म० प०)

गंगानगर जिले में घग्घर नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, गंगानगर जिले में घग्घर नदी के फ्लड्स की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उसके संबंध में मैं निम्न वक्तव्य देता हूं ।

घग्घर नाली के फ्लड्स का ज्यादे से ज्यादा असर पहली बार १९६० के अन्दर अनुभव किया गया जब कि हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तहसील के कुछ हिस्सों में उसकी वजह से नुक्सान हुआ । १९६० में पानी से यह खतरा मालूम होता था कि हनुमानगढ़ जन्क्शन और कस्बे को भी हानि पहुंच सकती है । उसके बाद १९६१ में १९६० के मुकाबले में कम फ्लड्स आये और इस साल सितम्बर से ही काफी तेजी के साथ फ्लड्स का आना शुरू हुआ । सबसे पहले २४ अगस्त से १९ सितम्बर, १९६२ तक मामूली तौर से फ्लड्स आते रहे, लेकिन २० सितम्बर के बाद सिचुएशन में काफी फर्क पड़ने लगा, और उटू हैड वर्क्स और राजस्थान फीडर का साइफन है, उन दोनों पर दबाव बढ़ता चला गया । २०-९-६२ को उटू पर ३,४८८ क्यूसेक्स पानी आया था, उस समय राजस्थान फीडर के साइफन पर ३,१९० पर क्यूसेक्स था । २६ को उटू पर वह बढ़कर ५,२३० हुआ और राजस्थान फीडर के साइफन पर ५,००० हो गया । २६ सितम्बर से उटू पर ९,००० क्यूसेक्स से ऊपर हुआ जब कि राजस्थान फीडर के साइफन पर ७,००० क्यूसेक्स था और ६ अक्टूबर से १०,०३८ क्यूसेक्स की हमारे साइफन पर तेजी थी २-१०६२ का उटू पर १०,००० क्यूसेक्स था और राजस्थान फीडर के साइफन पर ९,८३८ क्यूसेक्स ।

इससे यह मालूम होता है कि २६ सितम्बर से लगाकर राजस्थान के अन्दर पानी ज्यादा से ज्यादा आने लगा और जो पानी पंजाब में काफी हुआ था उसके प्रेशर से राजस्थान की हनुमानगढ़ की तहसील में सबसे पहले ज्यादा पानी आया उसके बाद इन्टेन्सिटी के ज्यादा होने की वजह से जो हमारा साइफन ८,००० क्यूसेक्स के लिए बनाया गया था उसमें १०,००० क्यूसेक्स के ऊपर भी पानी बढ़ता हुआ चला गया । नोर्थ घग्घर का पंजाब में ओवरफ्लो हो गया; पानी वहां पर और उसकी वजह से ४० स्क्वायर मील के फैलाव के अन्दर वह पानी बढ़ता हुआ राजस्थान के हिस्से के अन्दर बढ़ा । ३ अक्टूबर को सूरतगढ़ में नोर्थ सूरतगढ़ ब्रान्च है वहां ६ फुट के करीब पानी बढ़ गया और सूरतगढ़ ब्रान्च में ६,००० क्यूसेक्स के करीब पानी का बहाव हो गया ।

अब राजस्थान केनाल फीडर के साइफन पर पानी का बहाव कम होने लगा है, लेकिन सूरतगढ़ तहसील में इस वक्त वह एक प्रकार से अपनी पीक स्टेज पर है और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पानी का बहाव हो रहा है और अनूपगढ़ तहसील की साइड में वह पानी बढ़ता हुआ चला जा रहा है । सौभाग्य से इस सारी स्थिति में भी किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं हुई है, ह्यूमन लाइफ का कोई लोस नहीं हुआ है और न कैटल का लोस हुआ है । हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तहसील में करीब ६०,००० एकड़ जमीन जिस पर खरीफ या रबी के अन्दर उपज होती वह पानी के डूब में आई हुई है । अनूपगढ़ तहसील में पानी जाना शुरू हुआ है इसलिये उसका अन्दाजा इस समय पूरी तरह से नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दिया जा सकता है, इन दोनों तहसीलों में जो खरीफ की क्रॉप्स हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तहसील के अन्दर करीब १०,००० एकड़ में खड़ी थी उनके नुक्सान की आकांक्षा की जा सकती है। रबी कल्टीवेशन के लिए यह इलाका काफी महत्वपूर्ण है। रबी की फसल पर जो असर अभी नजर आया है वह कमजोर मालूम होता है।

जिन विलेजेज़ के अन्दर पानी का काफी बहाव बढ़ा है उसमें ज्यादातर लोगवाग अपना सामान निकालने के अन्दर कामयाब रहे, सिवाय कुछ जगहों के ऊपर जहां कि वे खाने पीने की चीजें नहीं निकाल पाये कुछ व्यक्ति। लेकिन यह नुक्सान बहुत कम मात्रा में कहा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा नुक्सान तलवाड़ा विलेज में, हनुमानगढ़ तहसील में, बढ़ोपल व अमरपुरा और सूरतगढ़ तहसील में, कुछ गांवों में सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है। ज्यादातर मकान इन गांवों के अन्दर गिर गये हैं और दूसरे कुछ गांवों के अन्दर भी मकान गिरे हैं।

जो कि अभी एक रफ एस्टीमेट किया जा सका है खरीफ क्रॉप में ४०-५० लाख के आसपास नुक्सान हुआ है। जो रबी क्रॉप नहीं उपजाई जा सकी है उसकी वजह से हानि होगी, उसका अन्दाजा इस समय देना मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ रफ सा उसके बारे में कहा जा सकता है।

जहां तक इस नुक्सान को कम किया जा सके और स्थिति को सम्हाला जा सके उसके बारे में निम्नप्रकार की कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) राजस्थान केनाल के उट्टू फीडर के पास जहां कि घग्घर पास होती है उस जगह अप रिजेज़ में हानि कुछ कम की जा सके इस ख्याल से उस स्थान पर काटकर कुछ पानी को राजस्थान कैनाल के अन्दर लाया गया है।

(२) जो फ्लड वाटर हमारे यहां पर आया उससे सूरतगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी को हानि नहीं हो और सेन्ट्रल मैकेनिकल फार्म और दूसरी जगहों पर हानि नहीं हो पाये और गाँवों के अन्दर नहीं हो पाये उसके ख्याल से बढ़ोपल माइनर, सूरतगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी और जो रेल्वे लाइन है उसको काट कर पानी के फ्लो को बहाने के लिए मार्ग बनाया गया है।

(३) कुछ जगहों पर लीकेजेज़ बीच में नजर आये थे, उनको उसी वक्त ठीक करने के लिए कार्यवाहियां की गई हैं।

(४) और जो ६० के फ्लड्स के बाद हनुमानगढ़ के प्रोटेक्शन के लिए जो वाल बनाई गई थी उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और इसकी वजह से हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ टाउन्स और फोर्ट को हानि से बचाया जा सका है।

आगे उनके लिए रिलीफ मेजर्स के लिए १०,०००) रु० का रिलीफ फण्ड है, उसके अलावा २५,०००) कलेक्टर को एक्सप्रेस रिलीफ के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं। लैण्ड रेवेन्यू, इरिगेशन चार्जेज, तकावी किश्त, बेटरमेंट लेवी को पोस्टपोन करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं। जिन लोगों को तत्काल काम नहीं मिल सका उनके लिए रिलीफ वर्क्स शुरू करने के

Page No.101

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिए आदेश दिये जा रहे हैं । जिन लोगों के मकान गिर गये हैं और जिनको टेम्परेरी एकोमोडेशन चाहिए उनके लिए सरकन्डी परचेज़ की जा रही है । जिन गांवों में सामान रह गया है वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग का इन्तजाम कर दिया गया है । पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिसिन वगैरह भेजकर बाढ़ की वजह से बीमारियां न फैलें उसके बारे में इन्तजाम किया जा रहा है । ऐसे नये हाउस साइट्स को सिलेक्ट करने के लिये आदेश दिये गये हैं कि जहां पर आयन्दा फ्लड्स आने पर मकान को खतरा नहीं पहुंचे और ठीक जगह पर बसाया जा सके, इंजीनियर्स को कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये जा रहे हैं । साथ ही जिन लोगों के मकान गिर गये हैं उन लोगों को प्रति व्यक्ति ५००) से १०००) रु० तक मकान बनाने के लिए लोन दिये जाने के बारे में आदेश जारी किये जा रहे हैं कि जिससे वे अपने मकान बना सकें । साथ ही साथ सूरतगढ़ बांध को और स्ट्रेन्गथन करने के लिए आदेश जारी किये गये हैं जिसको ज्यादा स्ट्रेंग्थन्ड किया जाय ।

घग्घर का सेलाब, माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि लगातार एक परेशानी का कारण बनता हुआ चला जा रहा है इसलिए इसके पर्मानेन्ट सोल्युशन की दृष्टि से राजस्थान गवर्नमेन्ट ने पंजाब गवर्नमेन्ट के साथ मिल कर एक योजना बनाई है जो कि ५ करोड़ की योजना होती है, और उसको भारत सरकार के पास स्क्रुटिनी और फाइनल एप्रूवल के लिये भेज दिया है । हम अपनी तरफ से इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी स्वीकृति मिले । अब तक जो योजना थी वह १६ हजार क्यूसेक्स से नीचे पानी को ले जा सकने की थी; इस आधार पर बनाई थी । लेकिन इस साल मैग्ज़िमम १९ हजार क्यूसेक्स तक पहुंच गया इसलिये इस लाइट में रिवाइज़ करना होगा । हम उम्मीद करते हैं कि ज्योंही भारत सरकार की स्वीकृति मिल जाय उसके बाद २ वर्षों में इसे क्रियान्वित कर दिया जाय । इसके साथ साथ हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको भी आउटसाइड स्टेट्स मानकर फण्डस की व्यवस्था करनी चाहिये ।

इस वक्त सरकार की तरफ से मौके पर जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ साथ जो स्वायत्त संस्थाएं हैं ; म्युनिसिपेलिटीज़ और पंचायत्स वगैरह, उन्होंने मेहनत के साथ काम किया, उसकी प्रशंसा भी उल्लिखित करना चाहता हूं । साथ ही साथ उन लोगों के साहस की हम प्रशंसा किये बिना नहीं रहते जिन्होंने सामूहिक तौर से इसे एमर्जेन्सी मानकर सारी चीजों का मुकाबला किया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो अपना वक्तव्य इस बाढ़ के संबंध में दिया है उसमें कई तथ्य जो समाचार–पत्रों से हमारे सामने आये हैं उनके संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया । जैसे आज के ही 'लोक-वाणी' में यह समाचार है कि पंजाब सरकार के कुछ अफसरों ने हमारे राजस्थान में आकर राजस्थान के अधिकारियों की सूचना के वगैर और उनकी सहमति के वगैर राजस्थान केनाल के अंदर साइफन के नजदीक बीच

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने की कोशिश की और इसमें राजस्थान सरकार के अधिकारियों को इस हद तक कहना पड़ा कि या तो वे इस हरकत से बाज आ जावें, वर्ना उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेन्स के तहत कार्यवाही करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला था जिसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय को अपने वक्तव्य में बताना चाहिये था। इसके अलावा जिस समय यह मोशन मूव किया उस समय भी हमने यह जिक्र किया था कि केवल हम यही नहीं जानना चाहते कि इस समय स्थिति क्या है। यह भी बात महत्वपूर्ण है; इसके साथ साथ जब पहले पता लग गया था तो सरकारी अधिकारियों ने इसके बारे में वक्त पर कदम उठाया या नहीं, ताकि इतनी बड़ी केलेमिटी को किसी हद तक बचाया जा सके या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। जिस गांव का जिक्र किया है, मुख्य मंत्री महोदय ने तलवाड़ा के बारे में, मेरे पास उन टेलिग्राम्स की कॉपीज हैं जो टेलिग्राम्स वहां की जनता ने अधिकारियों को दिये थे २८ तारीख को कि यदि उनको बुलडोजर मिल जाय, बुलडोजर के लिए वे पैसा देने को तैयार थे, यदि बुलडोजर मिल जाता तो गांव को केलेमिटीज से बचा सकते थे। बावजूद टेलिग्राम के सुनवाई नहीं हुई, बुलडोजर नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि वह गांव डूब गया। एक बहुत बड़ा गांव तलवाड़ा पानी में सबमर्ज हो गया।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मुख्य मंत्री महोदय ने भी बात बताई कि १९ हजार क्यूसेक्स की, इस बात का इन्डीकेशन मिलने लगा था कि घग्घर नदी में इस प्रकार की बाढ़ आने वाली है तो उस वक्त से ही राजस्थान के अधिकारियों को और राजस्थान सरकार द्वारा सचेत होकर इस बारे में कदम उठाया जाना चाहिये था। मुख्य मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया है कि इस बात का इन्डीकेशन था, लेकिन उस वक्त से राजस्थान के अधिकारियों ने क्या प्रिकॉशन्स लिये इस केलेमिटी को पहले से रोकने के लिये, उसका जिक्र नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि दरअसल में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, और हालत यह रही, जिस तरह मुगल सल्तनत का जिक्र है कि फौजें दिल्ली के पास तक आ गई और मुगल बादशाह ताश खेलते रहे, उसी किस्म की बात राजस्थान सरकार की ओर से हुई मालूम होती है। जब कि आउट बांध पर इतना पानी आ गया था और पंजाब में काफी हेवोक कर दिया था तो पूरी तरह से अंदाज लगाया जा सकता था कि इसका क्या नतीजा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो केलेमिटीज बड़ोपाल या मानकसला दूसरे विलेजेज हैं उनके संबंध में हुई हैं उस बारे में वहां के देहातवालों का कहना है कि यदि पर्टिकुलर जगह पर ब्रीच नहीं किया जाता तो गांव बच सकता था। यह बात महत्वपूर्ण जांच करने की है कि वास्तव में इस जगह ब्रीच करना वाजिब था या नहीं, इस बारे में ठीक तरह से एसेसमेंट किया गया या नहीं किया गया; सही तौर से अनुमान लगाया गया या नहीं?

तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि जो एसेसमेन्ट नुक्सान के बारे में गवर्नमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की ओर से लगाया गया है उसके बारे में जो बात बताई गई है मेरा निवेदन है कि अखबारों से जो जानकारी मिली है, अखबारों के प्रतिनिधि उन क्षेत्रों में घूमकर आये हैं, फिर हमारे उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो सदन में आये हैं उनसे स्टेटमेन्ट्स मिले हैं उनको देखते हुए पानी जो सन् ६० में आया था उससे कहीं ज्यादा अब की बार पानी है। सन् ६० में भी पानी में २५ गांव अनूपगढ़ तहसील के, जो तीसरे नम्बर की तहसील सबसे नीचे है, २५ गांव सबमर्ज हो गये थे। इस समय १९ हजार क्यूसेक्स पानी राजस्थान में आया जिसका कोई अंदाज नहीं था, हिस्ट्री में कभी आया नहीं था। फिर सूरतगढ़ फार्म जो ३० हजार एकड़ का है उसमें पानी पहुंच गया और उससे भी दुगुने एरिया को नुक्सान हुआ बताया जाता है। 'लोकवाणी' में १ लाख एकड़ फसल खड़ी थी खरीफ को उसका नुक्सान बताया गया है। पिछले सन् ६० का नुक्सान है उस मात्रा में देखें तो अबकी बार उससे कहीं अधिक है। १ लाख एकड़ में नुक्सान होने का फीगर गलत नहीं कहा जा सकता।

इसके मुकाबले में उपाध्यक्ष महोदय, जो रिलीफ का कदम सरकार की ओर से उठाया गया है, १० हजार रुपये रिलीफ में या २५ हजार रुपये और कुछ रिहेबिलिटेशन के लिये दिये हैं ये बहुत ही नाकाफी हैं; इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रैजेडी को मीट करने के लिये बहुत कम रकम है। मैं कहूंगा कि केलस एटिट्यूड है गवर्नमेंट का इस समस्या के प्रति। दरअसल में एक बड़े पैमाने पर प्रश्न लिया जा सकता था। एक गांव में ७०० घर जलमग्न हो गये। बहुकला में ३०० घर जलमग्न हो गये। इनके अलावा और भी कई गांव हैं जिनमें इतनी बड़ी केलेमिटी आई है उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रश्न है। फिर सैकड़ों गांवों में पानी अभी पड़ा है उसको निकालने, उनको रिलीफ देने आदि के लिये बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कदम गवर्नमेंट की तरफ से उठाये जा रहे हैं वे नाकाफी हैं। इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये। केवल सस्पेन्शन ऑफ रेवेन्यू कोई रेमेडी नहीं है, यह कोई रिलीफ नहीं है, इसे तो इस बार नहीं तो अगली बार वसूल कर सकते हैं या उससे भी अगली बार वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए यह अपने आप में कोई रिलीफ है नहीं। इसलिए सरकार को इसके बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। इसलिए मेरा तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह सजेशन है कि इस प्रश्न पर अलग से इस सदन में बहस होनी चाहिए, इसको अलग समय लेकर बहस के लिए रख देना चाहिए जिसमें हमें मौका मिले इस बात को सामने रखने का कि क्या सरकार की तरफ से फेल्योर रहे हैं, क्या सरकार की इसके बारे में कमी और कमजोरियां रही हैं, और दूसरे प्रश्न जो पंजाब गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर भी अच्छी तरह से विचार हो सके। इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके व सदन का ध्यान १४ सितम्बर, १९६० को इस सदन में उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने जो आश्वासन इस सदन को दिया था उसकी ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि उसी तरह का आश्वासन आज हमारे मुख्य मंत्रीजी

Page No.104

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दे रहे हैं। उस समय भी यह बात कही गई थी :

"राजस्थान केनाल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी आज्ञा दे दी गई है कि वहां पर आइन्दा इस तरह के फ्लड रिकर न हों, इसलिए वहां पर प्रोजेक्ट बनाया जाय। उनको आदेश दे दिया गया है कि प्रोजेक्ट का प्लान तैयार कर पेश करें जिससे गवर्नमेंट उस पर आदेश जारी कर सके। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, इसके बाद मुझे वायरलैस से सूचना मिली है कि पानी सूरतगढ़ से अब रवाना हो गया है"; सो एण्ड सो।......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं समझता हूं कि दोनों में बहुत भेद है। उस वक्त आदेश दिये गये योजना बनाने के लिए, अब भारत सरकार के पास भेज कर स्वीकृति चाही है; दोनों आश्वासनों में बहुत भेद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो वर्ष में इस ओर से उस ओर गुजरा है; फिर आप कहें कि दो वर्ष में पूरा हो जायगा, यह सन्देहास्पद है। इसके बारे में गवर्नमेंट कितनी तेजी से बढ़ रही है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक बात समझ नहीं पाया कि जो यहां स्टेटमेंट दिया गया, हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार उस स्टेटमेंट के देने के बाद आगे बहस शुरू होने का सवाल हो तो प्रश्न अलग है और अगर कोई जानकारी जानने का प्रश्न हो तो अलग सवाल है। मैं समझता हूं कि यह बहस के ऊपर बहस करने की बात है और अगर चेयर आवश्यकता समझे तो अलग से समय निश्चित किया जा सकता है मुझे इसमें एतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही तो सजेशन है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि यह चीज उपयुक्त नहीं होती है कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसके बाद ऑटोमेटिक बहस हो और फिर हाफ आवर डिस्कशन, वन अवर डिस्कशन करने के लिए रूल्स हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ऐसा सोचते तो तमाम पोइन्ट्स कवर कर लेते।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आप प्रश्न पूछें तो प्रश्न पूछें, दूसरे भी पूछ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने मेरा सजेशन सही माना। मैंने सजेस्ट किया है कि एक अवर टाइम रख लीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप काउन्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि स्टेटमेंट देने के बाद, आज जो परिपाटी चल रही है, बहस चालू हो जाती है। उसके बाद स्पष्टीकरण के प्रश्न तो ठीक रहते हैं। इसके अलावा रूल्स में हाफ एन अवर डिस्कशन, दूसरे डिस्कशन के कई तरीके हैं, जिन तरीकों से नोटिस दिया जाकर उसको किया जा सकता है। इस समय उसको सारी बहस के तरीके पर लें आयें तो उचित नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): उस स्पष्टीकरण के कारण......

श्री भैरोंसिंह : इसके बारे में मुझे प्रश्न करने हैं, उपाध्यक्ष महोदय......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सफाई के लिए पूछ रहे हैं या लम्बा लेक्चर होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं, श्री भैरोंसिंह ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इन फ्लड्स को रोकने में पंजाब सरकार को सरकार के नाते जिस तरह बिहेव करना चाहिए था, क्या पंजाब सरकार ने उस तरह किया है और राजस्थान सरकार को उस संबंध में शिकायत नहीं है ? अगर इस प्रकार की शिकायत है तो वह क्या है और उस शिकायत को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या चेष्टा की गई है ? क्या यह भी सही है कि बाढ़ को रोकने के लिए पंजाब में चंडीगढ़ के पास एक बांध बनाये जाने की योजना पहले से स्वीकृत है और पंजाब सरकार उसको जान-बूझ कर या कहिये व्यस्तता के कारण इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है । यह उसी के कारण है जिस समय पंजाब में इर्रिगेशन की फैसिलिटी ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है और थोड़ा पानी ज्यादा आने से बाढ़ आती है और घग्घर के बांध में पानी आता रहता है और उसके कारण राजस्थान को हानि उठानी पड़ती है ।

दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार १९६० से १९६२ में दो स्टेटमेंट देने के बाद, १९६०–६१ में उस फ्लड को रोकने के लिए कुछ परमानेन्ट मेजर लेने की तैयारी कर रही है— वह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है । जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अब तक केवल स्कीम बनाई है; जो स्कीम्स बनाई हैं वे भारत सरकार के विचाराधीन हैं और विचाराधीन रहने में कितना समय लगेगा, आज कोई डेफीनिट नहीं कहा जा सकता । उन्होंने यह जरूर बताया कि दो साल में वर्क शुरू हो जायगा...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): यह कहा कि सेंक्शन मिलने के बाद दो वर्ष में कार्य पूरा कर दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : दो वर्ष में कार्य पूरा होता है, ठीक है; सरकार पर भरोसा करके चलना चाहिए, हालांकि पिछली बातों से भरोसा नहीं होता कि दो साल में पूरा कर देंगे । मैं जानकारी करना चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने क्या स्टेप्स लिये हैं । मान लीजिये, बदकिस्मती के कारण पिछली साल आशा नहीं रखते थे कि अगली बार फ्लड आयेगा । अगली साल की आशा रखते तो यह स्थिति आती कि जो प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के सामने जा रहे हैं उसको प्रेशर से करवा लेते । आप कह रहे हैं कि दो वर्ष में होगा ! उस समय तक अगर इस प्रकार की बाढ़ की आशा रख कर चल सकते हैं तो उससे जो नुक्सान होने वाला है उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिये हैं ?

तीसरे, जैसा लॉस के संबंध में मुख्य मंत्रीजी ने कहा, मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल, या गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जितनी इर्रिगेशन स्कीम्स हैं, इर्रिगेशन की जितनी कैनाल फीडर हैं, कैनाल बनी हुई हैं, उन सबका टोटल लॉस कितना हुआ है ? नहर साइफन, राजस्थान कैनाल की माइनर कैनाल टूटी हैं, ब्रीचेज हुए हैं, इन सबका

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान का कुल कितना लॉस हुआ है और क्या राजस्थान सरकार इस पोइन्ट के ऊपर विचार कर सकती है कि राजस्थान कैनाल के काम को कुछ दिनों के लिए पोस्ट-पोन कर दिया जाय और यह जरूरी काम करने के कारण अगर राजस्थान कैनाल की स्कीम खटाई में पड़ी रहती है तो भी राजस्थान कैनाल की बाकी कैनाल को रिलीफ मिलना चाहिए; और जगह कन्टीन्युअसली लॉस होता जा रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार, तुरन्त किसी प्रकार की दिक्कत अगर पैदा होती हैं तो राजस्थान कैनाल के काम को खटाई में डाल कर इस लॉस को रोकने के लिए जल्दी परमानेन्ट मेजर हाथ में लेने के लिए तैयार है ? अगर तैयार है तो राजस्थान सरकार ने क्या योजना बना रखी है ?......

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न समाप्त होंगे उसके पहले ही समय समाप्त हो जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : समय समाप्त हो गया।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : टाइम और दीजिये। कुछ बातें हैं जिनको बताना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी का स्टेटमेंट हो गया है, इससे ज्यादा स्पष्टीकरण जानना चाहें तो रूल्स के अनुसार हाफ एन अवर डिस्कशन का नोटिस दे सकते हैं, कॉलिंग अटेंशन का मोशन आ सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : दस मिनट के लिए और बढ़ा दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : समय और बढ़ाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब होगा कि हाफ एन आवर डिस्कशन आज होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न आज ही पूछना चाहते हैं। इस संबंध में आवश्यक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नियमों के अन्तर्गत वे आज पूछेंगे। १२७ के अन्तर्गत डिस्कशन हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्यों का मैं सहयोग चाहूंगा कि समय बढ़ाया जाय तो केवल प्रश्न रूप में प्रश्न आने चाहिए, प्रश्न भाषण के रूप में नहीं बनें। केवल एक मिनट में एक प्रश्न खत्म हो जाय।

सदन का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक प्रश्न और रह जाता है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा): But the Hon'ble member will cover other ten minutes ..

श्री भैरोंसिंह : क्या फरमाया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक सवाल आप और रखें तो दस मिनट और बढ़ायें।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will feel responsible and take as little time as possible.

श्री भेरोंसिंह : मैं एक बात और करूंगा और आपकी बात का आदर करूंगा...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I will submit that one minute is absolutely inadequate on an issue of such gravity.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनट में एक प्रश्न पूछिये ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट एक प्रश्न के लिये मामूली तौर पर है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि कोई हम इस मामले में असर नहीं डालना चाहते या इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जानकारी चाही गई है वह नहीं देना चाहते या इस बहस को रोकना चाहते हैं, यह कोई इरादा हमारा नहीं है । अगर आवश्यक समझा जावे तो जैसा मैंने कहा है अलग से इस बारे में आप समय चाहें तो निर्धारित कर सकते हैं । लेकिन मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, हम यह मान कर चलें कि पंजाब गवर्नमेन्ट और राजस्थान गवर्नमेन्ट दोनों का सम्बन्ध इसमें आता है । मैं इसको उचित नहीं समझता कि दूसरी स्टेट गवर्नमेन्ट को जब कि उसको खुद को काफी डेमेज हो रहा है उसको एक्यूज करने को चलें । जहां तक राजस्थान फीडर को फीड करने की बात आती है एक जगह ऐसी शिकायत आई थी । ऑफिसरों को समझाने के बाद वह रोकदी गई । उसके बाद कोई शिकायत नहीं हुई । अब तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई है । वे खुद काफी तकलीफ में हैं । फ्लड की ऐसी हालत में कोई जानबूझ कर किसी को नुकसान नहीं करना चाहता । इसके अलावा वे हायर लेबल पर हैं और हम लोवर लेबल में हैं । उसके बाद में पानी हमारे यहां आता है । यह स्वाभाविक हो सकता है कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिये, यह उनसे पूछने की बात नहीं आती । जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है, मैं निश्चित तौर से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के पास एक पत्र भी भेजा है वह उन्हें मिलेगा कि वे इन इलाकों में तशरीफ ले जायें तो उनको मालूम होगा कि वहां पर क्या हो रहा है । उनको पूरी जानकारी हो सकती है । वह पानी तो नेचुरल कोर्सों में पास होने को ही है । हमको पूर्व सूचना मिलने से नुकसान कम हो सकता है । जो पानी वरस चुका है वह तो वह कर जाना ही है । इसके पूर्व सूचना मिलने से एक भी कैटल या ह्यूमन लाइफ को डेमेज नहीं होगा । सारे लोगों ने कैनाल को प्रोटेक्ट किया है । मैं समझता हूं कि हमारी पूरी जानकारी है कि हमारे ऑफिसरों ने कोई गफलत नहीं की है और अगर उन्होंने कोई गफलत की हो, तब तो आप उन पर कोई आक्षेप करें तो ठीक है । मगर मैं निश्चित तौर से जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, कि हमारे ऑफिसर, रात-दिन एक करके अपनी जिन्दगी को खतरे में डाल रहे हैं; उनके लिये आप यह कहदें तो उचित नहीं होगा । उनको उचित कार्य के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, उन पर आक्षेप लगाना उचित नहीं होगा । उसका नेट रिजल्ट आज यह है कि हमारे यहां कम से कम ह्यूमन और केटल लॉस हुआ । आर० ए० सी० और दूसरे लोगों ने हर प्रकार से मदद की है और कर रहे हैं ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अभी आपने २५ हजार का कहा; ५००) से १०००) रुपये का लोन मकान बनाने की बात कही, उस पर गौर करते। इसके अलावा रूरल हाउसिंग प्रोब्लम की बात कही कि सरकार लोगों को फन्ड डिस्ट्रीब्यूट करती। मैं यह कहूंगा कि आखिरकार यह टेक्निकल प्रश्न है कि पानी कहां से कहां को डाइवर्ट किया जावे। यह तो हमें इंजीनियरों पर ही छोड़ कर चलना होगा। यह तो नहीं हो सकता कि उनको इन्सट्रक्शन दे दी जावे कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटरी को तोड़ दो, फीडर को रोक दो। हो सकता है कि इंजीनियर इस बात को समझे कि एक जगह के नुकसान होने से १० जगहों को बचा सकते हैं, तो इस संबन्ध में वह ज्यादा समझता है। ये सारी बातें हैं। यह फ्लड अन प्रेसिडेन्टेड था। १९६० में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। फ्लड आया, योजना बनानी शुरू की। यह योजना दो स्टेटों को मिल कर बनाने का प्रश्न है, जिसके लिये इंजीनियरों की राय पर इन्डिया के लेवल पर फैसला होता है।

जहां तक राजस्थान गवर्नमेंट का सवाल है हम प्रयत्नशील हैं कि जो पानी ऊपर से आ रहा है वह तो बह कर जाता है, अब उसके लिये कम से कम डेमेज हो इसके बारे में प्रयत्न किया जा रहा है; फिर भी और बहस के लिये अधिक समय चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बहस कर लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जहां तक घग्घर बाढ़-नियंत्रण की ५ करोड़ की योजना बनाई, दो वर्ष लगे, इस बीच में राजस्थान सरकार ने कौन से मेजर्स एडॉप्ट करने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों को नुक्सान न हो। दूसरा हमारी सरकार ने इसके लिये बहुत ही चिन्ता व्यक्त की है, लेकिन उस एरिया का दौरा उप-मंत्री और चीफ सेक्रेट्री ने ही किया है, चीफ मिनिस्टर ने इसका दौरा अभी नहीं किया है। जैसा सुनते हैं कि वे अस्वस्थ हैं, अगर वे अस्वस्थ हैं तो किसी दूसरे मिनिस्टर को भेज सकते थे; जब कि पंजाब में वहां के चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर उस एरिया में जाते हैं। हमारे यहां राजस्थान में ग्रेव केलेमिटी है, क्या इसको डिप्टी-मिनिस्टर और चीफ सेक्रेट्री के लेवल पर ही हल करना चाहते हैं या जिम्मेदारी को महसूस करते हुए किसी केबिनेट मिनिस्टर को भेजने का कष्ट करेंगे और अगर वे स्वस्थ हैं तो वे भी दौरा करेंगे, इस ग्रेव केलेमिटी को देखते हुए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जल्दी से जल्दी वहां जा रहा हूं और जैसा आपने कहा कि जब तक पूरी कैनाल नहीं बन जावे तब तक क्या मेजर्स लिये जावेंगे; १९६० के मेजर के बाद कुछ नहीं किया गया, इसके लिये मैं कहूंगा कि हनुमानगढ़ को पानी से बचाने के लिये रिंगवाल की तरह किया गया, अन्यथा हनुमानगढ़ आज जलमग्न होता। इस समय ऑफ हैड मैं कुछ नहीं कह सकता। टेक्निकल एडवाइज़ करेंगे उसके बारे में कहा जा सकता है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आज का समय समाप्त हुआ। बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.१० बजे दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ११ अक्टूबर, १९६२)

२. प्रस्ताव

(क) स्थगन-प्रस्ताव २९१

सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व योगेन्द्रनाथ हांडा ने गंगानगर की पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

गृह-मंत्री ने स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य दिया।

(ख) विशेषाधिकार प्रश्न ३२८

जयपुर की पुलिस द्वारा श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा दिये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव को एक विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया।

३. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ३३०

(१) श्री मथुरादास माथुर, गृह-मंत्री ने पाकिस्तान में शरण पाने वाले डाकुओं द्वारा राजस्थान-पकिस्तान सीमा क्षेत्र में लूट-पाट सम्बन्धी स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने गंगानगर जिले में घग्घर नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

४. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार ३६९

श्री मथुरादास माथुर ने कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। तत्पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया :

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

५. विधायी कार्य

(क) पुर:स्थापित किये गये विधेयक :

निम्नांकित विधेयक, पुर:स्थापित किये गये :—

(१) राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२ ३७०

(२) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२ ३७१

(३) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ ३७१

(ख) प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा : ३७२

राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियंत्रण विधेयक, १९६२ जो दिनांक १० अक्टूबर, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था उसके सदस्यों के नाम आज सदन में घोषित किये गये। सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

(१) श्री मथुरादास माथुर, प्रभारी मंत्री

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(३) श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(४) श्री नत्थीसिंह (१२५)

(५) श्री रामानन्द अग्रवाल

(६) श्री मानिकचन्द सुराणा

(७) श्री रामकिशन

(८) श्री बृजसुन्दर शर्मा

(९) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

(१०) श्री मालमसिंह

(११) श्री मोतीलाल चौधरी

(१२) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(१३) श्री फूलचन्द जैन

(१४) कुमारी उमा माथुर

(१५) श्री रामदेवसिंह

(ग) विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२ ३७३

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

Page No.112

वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री रामकिशन

(२) श्री गंगासिंह

(३) श्री अब्दुलजब्बार

(४) श्री रघुनाथ बिश्नोई

(५) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(६) श्री मुरलीधर व्यास

(७) श्री मोतीलाल चौधरी

(८) श्री गिरधारीलाल व्यास।

सदन की बैठक ५ बजकर ८ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक १२ अक्टूबर, १६६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२

की

कार्य-सूची

१. राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १६६२

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

२. राजस्थान हकशफा विधेयक, १६६२

(प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर देखिये)

A list of the various Examinations conducted by the Registrar, Departmental Examination, Rajasthan, Bikaner.

---

1. Short term S. T. C.
2. Acharya 1st Year & 2nd Year.
3. Basic S. T. C. 2nd Year.
4. Shastri.
5. Ayurvedic Shastri.
6. Ayurvedic Acharya 1st Year & 2nd Year.
7. Bhisgacharya.
8. Bhisgacharya 1st Year & 2nd Year.
9. Physical Education Diploma.
10. Physical Education Certificate.
11. Handicraft.
12. B. S. T. C.
13. Music & Drawing Certificate.
14. Music & Drawing Diploma.
15. Drawing & Painting Certificate.
16. Drawing & Painting Diploma.
17. Clay modelling Certificate.
18. Clay modelling Diploma.
19. Architecture Certificate.
20. Architecture Diploma.
21. Sculpture Certificate.
22. Sculpture Diploma.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर देखिये)

Statement showing progress of economy measures

Heads of Account	Account of economy adopted tentatively in budget estimate 1962-63	Amount for which orders of reduction have been issued
1	2	3
9—Land Revenue	...	5·31
10—State Excise Duties	0·64	...
11—Taxes on Vehicles	...	0·51
12—Sales Tax	0·64	...
13—Other Taxes and Duties	0·32	...
14—Stamps	...	...
15—Registration	...	...
18—Parliament and State Legislature	...	...
19—General Administration	11·00	1·77
21—Administration of Justice	1·00	...
22—Jails	..	0·43
23—Police	12·00	28·24
26—Miscellaneous Deptts.	0·50	4·31
27—Scientific Departments	0·30	...
28—Education	5·00	23·01
29—Medical	1·00	3·10
30—Public Health	0·50	0·90
31—Agriculture	2·55	3·22
33—Animal Husbandry	1·75	1·77
34—Co-operation	1·80	2·26

परिशिष्ट

1	2	3
35—Industries.	0'25	6'72
37—C. D. P. etc.	0'05	...
38—Labour and Employment.	...	0'49
39—Miscellaneous Social and Development Organisation.	0'25	6'72
44—Irrigation-Charges on Irrigation (Combined) Establishment and Tools and Plant.	2'25	1'05
50—Public Works-Charges on Buildings and Roads (Combined) Establishment and Tools and Plant.	6'10	1'94
64—Famine.	...	0'11
68—Stationery and Printing.	...	1'35
70—Forest.	1'90	0'41
71—Miscellaneous.	0'20	0'98
TOTAL	50'00	94'60
CAPITAL HEADS		
103—Capital Outlay on Public Works.	...	30'00
114—Capital Outlay on Roads and Water Transport Schemes.	...	..
124—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.	...	0'02
Q—Loans and Advances by State Governments.	...	7'00
TOTAL	...	37'02

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर देखिये)

Rajasthan State Electricity Board, Bikaner.

Statement Showing the Electric Outstanding above Rs. 1000/- against various accounts of Bikaner City.

ABSTRACT

Serial No.	Name	Outstanding as on 1-4-62	O/S 1-4-62 to August, 1962	TOTAL
1.	Rulers	1,27,160·07	20,094·51	1,47,254·58
2.	Municipality	5,08,136·78	1,32,408·21	6,40,544·99
3.	A. E. N. Water Works	1,24,523·35	91,097·38	2,15,620·73
4	Hospital	1,32,723·31	33,761·81	1,66,485·12
5.	Other Rajasthan Government Departments	24,950·83	12,789·04	37,739·87
6.	Northern Railway	5,47,579·27	1,10,287·95	6,57,867·22
7.	Other Central Govt. Deptts.	852·37	5,263·23	6,115·60
8.	Private Bodies	8,459·57	3,710·46	12,170·03
	TOTAL ...	14,74,385·55	4,09,412·59	18,83,798·14

परिशिष्ट

Rajasthan State Electricity Board, Bikaner.

Statement showing outstanding against various accounts of the Rulers of Bikaner.

Sl. No.	Account No.	Name	Elec. dues as on 31-3-62	Elec. dues from 1-4-62 to 31-8-62	Total dues	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	4-2-153	H. H. Maharaja of old Fort Bkn.	1668·73	557·36	2226·09	
2.	4-2-156	—do—	18358·69	124·74	18482·43	
3.	16-1-1	—do—	9892·07	1327·92	11219·99	
4.	16-1-2	—do—	1299·56	228·13	1527·69	
5.	14-1-1	—do—	21718·81	5333·31	27052·12	
6.	14-1-2	—do—	23669·19	5375·41	29051·60	
7.	14-1-3	—do—	26071·95	3617·51	29635·46	
8.	14-1-5	—do—	1261·27	219·76	1481·03	
9.	17-1-21	—do—	13664·30	604·36	14268·66	
10.	17-1 36	—do—	1935·33	377·31	2312·64	
11.	21-1-4	Raj Bilash	2603·25	...	2603·25	
12.	12-1-1	Ballabh Garden	1303·08	175·22	1478·35	
13.	12-1-2	—do—	3760·84	2154·43	5915·27	
		TOTAL:—	127160·07	20094·51	147254·58	

परिशिष्ट

(*Rajasthan Government Department*)

HOSPITAL

Serial No.	Account No.	Name	Elec. dues as on 31-3-62	Elec. dues from 1-4-62 to 31-8-62	Total dues	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	9-1-112	T. B. Hospital	5671·87	...	5671·87	
2	9-1-161	Dhuriji Dharam-shala	1112·45	214·69	1327·14	
3	9-1-171	P. M. & H. O.	6858·62	...	6858·62	
4	9-1-134	—do—	1740·27	...	1740·27	
5	9-1-35	—do—	2292·97	25·73	2318·70	
6	9-1-36	—do—	1955·91	19·84	1975·75	
7	9-1-104	—do—	1687·03	587·45	2274·48	
8	9-1-152	—do—	709·36	974·02	1683·38	
9	8-1-2	—do—	82683·35	16930·38	99613·73	
10	8-1-3	—do—	6662·38	5841·71	12504·09	
11	8-1-6	—do—	19149·73	6803·33	25953·06	
12	10-1-26	—do—	...	1364·25	1364·25	
13	11-1-68	—do—	386·50	777·66	1164·16	
14	19-1-217	—do—	1812·87	222·75	2025·62	
		TOTAL ...	132723·31	33761·81	166485·12	
15	6-2-177	Head Master, S. M. P. School.	....	1207·99	1207·99	
16	4-1-39	Supdt. Garden, Gandhi Drain.	16833·86	1980·25	18114·11	
17	20-1-67	Sec. Sadul Club.	..	465·16	465·16	
18	17-1-5	Principal, V. T. College.	1524·21	64·68	1588·89	
19	17-1-9	—do—	677·50	3554·49	4231·99	
20	17-1-39	Dy. of Education.	3028·06	417·35	3445·41	
21	21-1-60	Ganga Theatre.	2887·20	...	2887·20	
22	21-1-63	E. O. Public Offices.	...	2408·97	2408·97	
23	19-1-210	Principal, Sadul Public School.	...	1093·62	1093·62	
24	19-1-333	—do— V. T. College.	...	1996·53	1996·53	
		TOTAL ...	24950·83	12789·04	37739·87	

परिशिष्ट

Serial No.	Account No.	Name	Elec. dues as on 31-3-62	Elec. dues from 1-4-62 to 31-8-62	Total Dues	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
		ASSISTANT ENGINEER WATER WORKS				
25.	27-1-1	A. E. N. Water Works.	1083'31	3453'15	4536'46	
26.	28-1-1	—do—	212'60	3405'95	3618'55	
27.	29-1-1	—do—	1439'84	2238'07	3677'91	
28.	33-1-2	—do—	2552'00	3818'44	6377'44	
29.	29-1-145	—do—	1359'15	4045'56	5404'71	
30.	29-3-143	—do—	1815'37	3445'03	5260'40	
31.	6-1-1	—do—	114618'3	8317'51	19779'34	
32.	6-2-70	—do—	1646'77	3102'82	4749'59	
33.	4-1-48	—do—	5149'50	...	5149'50	
34.	5-1-1	—do—	13597'88	...	13597'88	
35.	26-1-1	—do—	12348'81	1445'10	13793'91	
36.	26-1-160	—do—	24441'76	9052'85	33494'61	
37.	26-1-164	—do—	16061'39	7273'00	23334'39	
38.	13-1-1	—do—	1095'10	.	1095'10	
39.	2-1-10	AEN/W/Works	2294'56	1690'84	3985'40	
40.	20-1-75	—do—	4058'16	433'36	4491'52	
41.	20-1-57	—do—	2539'44	1602'85	4142'29	
42.	20-1-58	—do—	1973'56	8'31	1981'87	
43.	15-1-2	—do—	1983'12	6344'81	8327'93	
44.	17-1-1	—do—	1511'68	11100'02	12611'70	
45.	11-1-1	—do—	2131'41	5240'33	7371'74	
46.	21-1-1	—do—	5527'12	2992'29	8519'41	
47.	21-1-42	—do—	762'97	1847'59	2610'56	
48.	19-1-306	—do—	5684'15	7792'30	13476'45	
49.	19-1-1	—do—	1791'87	2447'20	4239'07	
50.		TOTAL	30258'04	41499'90	71757'94	
		GRAND TOTAL	124523'35	91097'38	215620'73	

परिशिष्ट

Serial No.	Account No.	Name	Elec. dues as on 31-3-62	Elec. dues from 1-4-62 to 31-8-62	Total Dues	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
PRESIDENT MUNICIPAL BOARD						
51.	27-1-2	President, M. Board.	48120'51	3041'70	51162'21	
52.	28-1-2	—do—	2086'37	997'22	3083'59	
53.	3-1-2	—do—	6613'92	499'02	7112'94	
54.	32-1-1	—do—	36224'36	2018'52	38242'88	
55.	32-1-3	—do—	15294'57	1410'18	16704'75	
56.	29-1-1	—do—	54246'06	3378'22	57624'28	
57.	6-1-2	—do—	22022'23	1250'94	23273'17	
58.	7-1-61	—do—	26093'57	1889'33	27982'90	
59.	31-1-1	—do—	1123'50	311'21	1434'71	
60.	31-1-2	—do—	30840'79	1600'02	32440'81	
61.	31-1-3	—do—	7766'20	870'45	8636'65	
62.	1-1-1	—do—	12184'79	..	12184'79	
63.	4-1-49	—do—	45319'46	1859'00	47178'46	
64.	5-1-2	—do—	9437'48	711'25	10148'73	
65.	9-1-1	—do—	7105'39	478'57	7583'96	
66.	9-1-24	—do—	11540'01	341'36	11881'37	
67.	26-1-2	—do—	15231'58	714'87	15946'45	
68.	13-1-2	—do—	17273'18	1422'31	18695'49	
69.	2-1-11	—do—	3204'13	184'50	3388'63	
70.	20-1-59	—do—	13541'13	990'83	14531'96	
71.	20-1-60	—do—	2273'95	...	2273'95	
72.	11-1-2	—do—	13183'54	673'42	13856'96	
73.	17-1-40	—do—	1115'52	24'34	1139'86	
74.	21-1-54	—do—	20191'85	1200'50	21392'35	
75.	21-1-134	—do—	39020'85	1855'21	40876'06	
76.	19-1-104	—do—	...	1237'93	1237'93	
77.	19-1-2	—do—	20064'31	614'55	20678'86	
78.	30-1-1	—do—	27017'53	102832'76	129850'29	
		TOTAL	508136'78	132408'21	640544'99	

परिशिष्ट

Serial No.	Account No.	Name	Elec. dues as on 31-3-62	Elec. dues from 1-4-62 to 31-8-62.	Total dues	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
PRIVATE PARTIES						
79.	1-1-2	Director of Rampuria Ice Factory	1189'55	...	1189'55	
80.	31-2-47	Moolchand Mimani.	1460'81	195'02	1655'83	
81.	7-2-92	Indian Rolling Mill.	...	1604'52	1604'52	
82.	6-1-98	Motilal Mohata well.	1614'94	1229'86	2844'80	
83.	9-1-47	Sadanand.	1523'15	34'09	1557'24	
			5788'45	3063'49	8851'94	
84.	29-1-180	Labchand Sonar.	2671'12	646'97	3318'09	
		TOTAL ...	8559'57	3710'46	12170'03	

परिशिष्ट

Serial No.	Account No.	Name	Elec. dues as on 31-3-62	Elec. dues from 1-4-62 to 31-8-62	Total Dues	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
		CENTRAL GOVT. DEPARTMENTS				
85.	10-1-21	Divl. Engineer, N. Railway.	0'01	1342'19	1342'20	
86.	23-1-1	—do—	500741'32	105520'81	606262'13	
87.	24-1-1	—do—	46837'94	209'19	47047'13	
88.	25-1-1	—do—	...	3215'76	3215'76	
		TOTAL ...	547579'27	110287'95	657867'22	
89.	20-1 38	S. D. O. Mess.	...	3631'25	3631'25	
90.	21-1-62	Supervisor, T. E.	...	1447'23	1447'23	
91.	21-1-123	—do—	852'37	184'75	1037'12	
		TOTAL ...	852'37	5263'23	6115'60	
	GRAND TOTAL	...	548431'64	115551'18	663982'82	

A total sum of Rs. 14,74,285·55 was outstanding against the Ruler of Bikaner, Municipal Board, Water Works, Hospital, other Rajasthan Government Departments, Northern Railways, Central Government Departments and Private Bodies on 1-4-1962. This figure now stands at Rs. 18,83,798·14 upto August, 1962; thus showing an increase of Rs. 4,09,412·59 in outstandings during the intervening period of 4 months. The reasons for this are explained below:—

Ruler of Bikaner:—There is a dispute as to the admissibility of certain buildings as approved by Government for getting concession in the supply of power, which is under correspondence between the representatives of the Ruler and the Board; and as soon as this is decided, the outstanding, it is expected, will be cleared soon.

Municipal Board:—The Municipal Board is not paying not only arrears outstanding; but the current dues as well. There has been going on for a long time a dispute between the Municipal Board and the Electricity Board about these outstandings. The question of payment of octroi duty by the Electricity Board was linked up with the payment of these charges. The position is the same with many other Municipalities in Rajasthan and the question was under consideration of the Government for some time past. Recently, the Government in the Local Self Government Department constituted a Committee to go into the question of non-payment of octroi duty by Government Departments both commercial and others and according to the Committee's recommendation, the arrears against the Municipalities were to be written-off for the period from 1-7-1957 to 31-3-1962. Charges for street-lighting are to be recovered @ Re. 0/3/- per unit and after adjusting the Municipal dues of octroi the balance is to be paid by the Municipalities to the Electricity Board in suitable equal instalments not exceeding ten. If in any area the Municipality does not pay the instalments due, it should be deducted from the subsidy or grant payable to the Municipality by the Government. Regarding dues after 1-4-1962, they are to be treated as current dues and paid to the Electricity Board. If any Municipality fails to pay it's current dues to the Electricity Board, the latter should bring this fact to the notice of the Government and if any Municipality fails to pay up within 30 days, the Electricity Board will be at liberty to disconnect the Municipal connections in that town. This view of the Committee finds support from the fact that in those towns where private companies were supplying Electricity to the Municipalities, there are no arrears of Electricity dues because such private companies immediately disconnect

the supply of Electricity the moment it's dues are not paid. The Committee therefore felt that this was the only way to enforce prompt payment by the Municipalities.

Water Works and other Government Departments

The rates to be charged for Water Works (not only in Bikaner, but in other places also) are under dispute. The matter was discussed at a meeting in Chief Secretary's Chamber, where the Chairman and Chief Engineer of the Board, Secretary, P. W. D. and Chief Engineer, Health were present. The decision of the Government in this connection is awaited. Regarding other Departments, the difficulty appears to be that the Unit Officers are not provided with sufficient funds in the budget to meet this expenditure. The Board is of course not concerned about this, as it is the duty of the Unit Offices to see that they are provided with necessary funds for meeting the expenditure on account of electric charges. Many circulars were issued by the Government in regard to payment of arrears by various departments and though the position has bit improved, still a lot of arrears remain to be paid. The Unit Officers have been instructed to make personal contacts with the various heads of departments situated in their Units and make every effort to get the arrears paid after giving due notice.

Northern Railway:—The amount shown has been outstanding since a long time, the railways disputing the figure and giving their own interpretation of the rates based on "Coal Clause". Various meetings were held to iron out these differences and a stage has been reached where a final decision is to be taken. A meeting in this connection was to have taken place on the 3rd October, but the Chief Engineer, Northern Railways, could not attend the same. It is hoped that a final settlement will be arrived at the next meeting, expected to be convened shortly.

Other Central Government Departments

Regarding other Central Government Departments the outstandings relate to the period after 1-4-1962. The Unit Officers are being instructed to have these cleared as early as possible. Disconnection will be resorted to if the amounts still remain outstanding even after issue of due notice for making payment.

Private Parties

Item No. 79 & 83.—The parties have approached the Electrical Inspector in regard to the rates charged and settlement will be possible only after the Electrical Inspector has given his decision.

Item No. 80.—The party has been disconnected.

Item No. 81.—Necessary notice has been given to the party and it is hoped that they will pay the outstanding within the specified period. The amount represent current dues.

Item No. 82.—There is dispute about applicability of rates in this case. The party contends that since the Water Works Department has taken over the well on leave, the rates applicable to Water Works Department only should be applicable to them. The matter is under negotiation with the Water Works Department.

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ११ अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२५१	३	श्री परशराम:	श्री परसराम:
२५३	४	(जौहरी बाजार)	(जौहरी बाजार, जयपुर)
२६५	१८वीं पंक्ति के नीचे	——	प्रश्न संख्या ५२
२६७	अंतिम से ५ व ४	बसूल	वसूल
२६८	१ व ५	"	"
"	अंतिम से ३	बसूली	वसूली
२६९	अंतिम	तो क्या रखने	तो रखन
२७०	१७ व २७	श्री परशराम:	श्री परसराम:
२८?	६	चंडावत	चूंडावत
२९७	१५	किया ह	किया है
"	अंतिम	लब्बे-लिवाब	लब्बे-लुबाब
३२०	८	Order pease !	Order please !
३२९	शीर्षक	पुलिस हिरासत में मृत्यु सम्बन्धी	विशेषाधिकार प्रश्न
३५०	२६	श्री भैरोसिंह	श्री भैंरोंसिंह
३७२	८	समिति क सदस्यों	समिति के सदस्यों
३८७	१२	शहादत में	शहादत एक्ट में
३८८	१६-१७	अब कभी......हैं। तो	जब कभी......हैं तो

१	२	३	४
३९९	७	तादाद अपने	तादाद में अपने
४०७	अंतिम से ४	मैं, समझता	मैं समझता
४१०	१३-१४	है उस.........है और जब	हैं जब उस.........है तो
४१२	११	सहानुभूति	**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** सहानुभूति
,,	१३	तो, माननीय	**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** तो माननीय
४१७	११	व्यास	व्यास।
४२९	२	This is	this is
४३५	२२	पर दवाव	पर दवाव
४३९	२३	स्ट्रेंग्थन्ड किया	स्ट्रेन्थन किया
४४०	१२	फन्डस की	फन्ड्स की
४४१	अंतिम से २	कि १९ हजार	१९ हजार
४५४	२५	ऑफ हैड	ऑफ हैंड
४५५	अंतिम	हाई स्कल	हाई स्कूल